

केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की नीति सम्बन्धी रिपोर्ट

NUEPA DC




D14450



सत्यमेव जयते

शिक्षा विभाग
मानव संसाधन विकास मंत्रालय
भारत सरकार
जनवरी, 1992



आभार

केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की नीति सम्बन्धी समिति, इसकी दिल्ली और हैदराबाद में बैठकें आयोजित करने के लिए आन्ध्र प्रदेश सरकार द्वारा प्रदान की गई उत्तम सुविधाओं के लिए उनकी अत्यधिक कृतज्ञ है। आन्ध्र प्रदेश सरकार के शिक्षा सचिव श्री के० एस्० शर्मा और आन्ध्र प्रदेश सरकार, नई दिल्ली स्थित विशेष आयुक्त डा० एस्० चक्रवर्ती धन्यवाद के विशेष रूप से पात्र हैं।

श्री अनिल बोर्डिया, श्री आर० के० सिन्हा और शिक्षा विभाग, भारत सरकार के ब्यूरो प्रमुखों द्वारा चर्चा के दौरान जो योगदान दिया गया उसके लिए यह समिति सच्चे मन से सराहना व्यक्त करती है। यह समिति डा० डी० स्वामीनाथन और सुश्री मीरा सेठ के प्रति भी उनके द्वारा कुछ सत्रों में भाग लिए जाने के लिए विशेष रूप से कृतज्ञ है।

समिति भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों, राज्य सरकारों, केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड के सदस्यों और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् को उनके द्वारा एन० पी० ई० आर० सी० रिपोर्ट पर दी गई टिप्पणियों के लिए भी धन्यवाद देती है।

समिति सदस्य-सचिव डा० आर. वी. वैद्यनाथ अय्यर द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्य के लिए हार्दिक सराहना करती हैं। उनके प्रयत्नों के बिना इतने कम समय में इस रिपोर्ट को अन्तिम रूप दे पाना सम्भव नहीं होता।

एक समर्पित दल ने सही ढंग से समिति की बैठकों के आयोजन और रिपोर्ट को तैयार करने के लिए सचिवालयीय और प्रशासनिक सहायता प्रदान की। इस दल में श्री के० के० खुल्लर, श्री टी० सी० जेम्स, श्रीमती एस्० प्रभाकर, श्री पी० एस्० चक्रवर्ती, श्री कृष्ण कुमार, श्री हरि सहाय, श्री आर० पी० अरोड़ा, श्री ए० के० खुराना, श्री ई० कृष्ण कुमारन, श्री वी० नागराजन, श्री कैलाश राम और श्री एस्० एस्० बुटोला शामिल थे। समिति इन सभी के प्रति आभारी है।

परिवर्णी तथा आद्यक्षर

अ० भा० त० शि० प०	अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्	रा० शै० अ० प्र० प०	राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्
के० स्टा० का०	केन्द्रीय स्टाफ कालेज	रा० उ० शि० प०	राष्ट्रीय उच्च शिक्षा परिषद्
के० शि० स० त्रि०	केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड	रा० अ० शि० प०	राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्
के० मा० शि० बो०	केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड	रा० व्या० शि० प०	राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा परिषद्
पा० वि० के०	पाठयचर्या विकास केन्द्र	रा० वि० प०	राष्ट्रीय विकास परिषद्
के० हि० नि०	केन्द्रीय हिंदी निदेशालय	गै० स० सं०	गैर सरकारी संगठन
के० अ० वि० भा० सं०	केन्द्रीय अंग्रेजी तथा विदेशी भाषा संस्थान	रा० शै० आ० प्र० सं०	राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजन तथा प्रशासन संस्थान
के० भा० भा० सं०	केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान	रा० सा० मि०	राष्ट्रीय साक्षरता मिशन
के० व्या० शि० सं०	केन्द्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान	रा० शि० नी०	राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986
स० सा० अ० स्कू०	स्कूलों में संगणक साक्षरता तथा अध्ययन	रा० शि० नी०	राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968
के० प्रा० यो० वि०	केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं विभाग	रा० शि० पु० स०	शिक्षा पुनरीक्षण समिति राष्ट्रीय नीति
जि० शै० प्रौ० सं०	जिला शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान	गै० आ० भा०	गैर आवासी भारतीय
प्रा० बा० दे० शि०	प्रारंभिक बाल देखभाल शिक्षा	रा० से० यो०	राष्ट्रीय सेवा योजना
स० रा० उ०	सकल राष्ट्रीय उत्पादन	रा०प०से०	राष्ट्रीय परीक्षा सेवा
भा० स०	भारत सरकार	न०वि०	नवोदय विद्यालय
मा० सं० वि०	मानव संसाधन विकास	का०यो०	कार्रवाई योजना
भा० कृ० अ० प०	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्	क्षे०इ०का०	क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज
स० बा० वि० यो०	समेकित बाल विकास योजना	अ०औ०वि०	अनुसंधान और विकास
भा० चि० शि० प०	भारतीय चिकित्सा शिक्षा परिषद्	सि०सं०	सिफारिश संख्या (राष्ट्रीय शिक्षा नीति पुनरीक्षण समिति 1986, सिफारिशों की संख्या)
स० वि० बा० शि०	समेकित विकलांग बाल शिक्षा	अ०जा०	अनुसूचित जाति
भा० शि० से०	भारतीय शिक्षा सेवा	रा०शै०अ०प्र०प०	राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्
इ० गा० रा० मु० वि०	इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय	वि०सं०यो०	विशेष संघटक योजना
भा० प्रौ० सं०	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान	रा०शि०सं०	राज्य शिक्षा संस्थान
ज० शि० नि०	जन शिक्षण निलयम	रा०शै०प्रौ०सं०	राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान
के० हि० सं०	केन्द्रीय हिन्दी संस्थान	सा०उ०उ०का०	सामाजिक दृष्टि से उपयोगी उत्पादन कार्य
न्यू० स्त० अ०	अध्ययन के न्यूनतम स्तर	रा०व्या०शि०प०	राज्य व्यावसायिक शिक्षा परिषद्
न्यू० आ० का०	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	अ०ज०	अनुसूचित जनजाति
म० स०	महिला समाख्या		
रा० कै० को०	राष्ट्रीय कैडेट कोर		

प्र०स्ना०अ०
स०सा०अ०
ज०उ०यो०
दू०द०
प्रा०शि०स०
वि०अ०आ०
सं०रा०वि०का०

प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक
सम्पूर्ण साक्षरता अभियान
जनजाति उप योजना
दूरदर्शन
प्रारंभिक शिक्षा का सर्वसुलभीकरण
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम

सं०रा०शै०वै०सा०सं०
सं०रा०अ०बा०शि०नि०
प्रा०शि०स०
सं०क्षे०
म०बा०वि०
सं०शि०वि०स०

संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक
संगठन
संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल शिक्षा निधि
प्राथमिक शिक्षा का सर्वसुलभीकरण
संघशासित क्षेत्र
महिला तथा बाल विकास
सभी के लिए शिक्षा पर विश्व सम्मेलन,
जोमतिथन (मार्च, 1990)

विषय-सूची

आभार	iii
परिवर्णी और आद्यक्षर	v
1. भूमिका	1
2. प्राक्कथन	3
3. शिक्षा व महिला समानता	5
4. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े अन्य वर्गों की शिक्षा	7
5. शिक्षा और विकलांग	9
6. सामान्य स्कूल पद्धति	10
7. नवोदय विद्यालय	12
8. प्रारंभिक शिशु देखभाल और शिक्षा	15
9. प्राथमिक शिक्षा का सर्वसुलभीकरण	18
10. प्रौढ़ एवं सतत शिक्षा	25
11. माध्यमिक शिक्षा	29
12. शिक्षा का व्यावसायीकरण	32
13. उच्च शिक्षा	35
14. तकनीकी और प्रबन्ध शिक्षा	40
15. शिक्षा में भाषाएं	42
16. शिक्षा की विषय-वस्तु और पद्धति	44
17. शिक्षक और छात्र	48
18. शिक्षा का प्रबन्धन	52
19. शिक्षा के लिए संसाधन	55
सिफारिशों का सार	57
परिशिष्ट	
I. भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शिक्षा विभाग के दिनांक 31 जुलाई, 1991 के आदेश सं०एफ 3-1/91 पी०एन-1 की प्रतिलिपि	64
II. नीति पर केब समिति के सदस्यों के बीच परिचालित दस्तावेजों की सूची	66
III. नीति पर केब समिति का सचिवालय	68

अध्याय 1

भूमिका

समिति की नियुक्ति

1.1 संसद द्वारा मई, 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति अपनाई गई थी। नीति का कार्रवाई योजना से, जो संसद द्वारा अगस्त, 1986 में अपनाया गया था, विस्तार से अनुसरण किया गया था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के पैरा 11.5 में नीति के विभिन्न मानदण्डों के कार्यान्वयन की प्रत्येक पाँच वर्षों में पुनरीक्षण करने की परिकल्पना की गई है।

केन्द्रीय सरकार ने मई, 1990 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के पुनरीक्षण हेतु आचार्य राममूर्ति की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की थी। समिति ने अपनी रिपोर्ट 26 दिसम्बर, 1990 को प्रस्तुत की। रिपोर्ट संसद के दोनों सदनों के समक्ष 9 जनवरी, 1991 को रखी गई थी। केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने 8-9 मार्च, 1991 को हुई अपनी बैठक में एन० पी० ई० आर० सी० की रिपोर्ट के विचार हेतु अपनाई जाने वाली प्रक्रिया की जांच की तथा निर्णय लिया कि एन० पी० ई० आर० सी० की सिफारिशों पर विचार करने के लिए अध्यक्ष (मानव संसाधन विकास मंत्री) द्वारा के० शि० स० बो० समिति गठित की जाए।

1.2 उपर्युक्त निर्णय के अनुसरण में 31 जुलाई, 1991 को के० शि० स० बो० के अध्यक्ष ने एन० पी० ई० आर० सी० की रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति के विभिन्न मानदण्डों के कार्यान्वयन तथा जब से नीति तैयार की गई है तब से अन्य संगत विकास के पुनरीक्षण और राष्ट्रीय शिक्षा नीति में किए गए परिवर्तनों के सम्बंध में सिफारिशें करने के लिए एक समिति नियुक्त की।

समिति का गठन इस प्रकार है :-

अध्यक्ष

श्री एन० जनार्दन रेड्डी,
मुख्य मंत्री व शिक्षा मंत्री, आंध्र प्रदेश

सदस्य

श्री विक्रम वर्मा
शिक्षा विभाग, मध्य प्रदेश
श्री जीगांग अपंग

मुख्यमंत्री व शिक्षा मंत्री

अरुणाचल प्रदेश

डा० रामचंद्र पूर्वे

मंत्री (एस० ई० व० पी० ई०), बिहार

श्री आर० एम० वीरप्पन

शिक्षा मंत्री, तमिलनाडु

श्री एस० एस० चक्रवर्ती

मंत्री (उच्च शिक्षा)

पश्चिम बंगाल

श्री ई० टी० मोहम्मद बशीर

शिक्षा मंत्री, केरल

डा० (श्रीमती) चित्रा नायक

सदस्य (शिक्षा)

योजना आयोग

प्रो० जी० राम रेड्डी

अध्यक्ष

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

डा० एम० एस० आदिसेशैया

अध्यक्ष, मद्रास विकास अध्ययन संस्थान

79, सेकेंड मेन रोड, गांधी नगर

अडचर, मद्रास : 600020

डा० राधिका हर्जबर्गर

निदेशक

ऋषि वेली स्कूल,

पो० ओ० मादाहापल्ली,

जिला चिट्टूर आंध्र प्रदेश।

डा० ए० पी० मिश्रा

भटनागर फेलो

नई दिल्ली

श्रीमती जगन्नाथन कृष्णामल

सचिव

लेंड फॉर तिल्लर फ्रीडम (एल ए एफ टी आई)

किलवेलुर : 611104

तंजोर जिला, तमिलनाडु

डा० रामदयाल मुंडा

क्षेत्रीय भाषा के प्रोफेसर

रांची विश्वविद्यालय, रांची

श्री हबीब तनवीर

निदेशक, नया थियेटर

एल-15, डी० डी० ए० स्टाफ क्वार्टर

बेर सराय, नई दिल्ली - 110016

सदस्य सचिव

डा० आर० वी० वैद्यनाथ अय्यर

संयुक्त सचिव (योजना)

शिक्षा सचिव (श्री अनिल बोर्डिया), रा० शै० अ० प्र० प० के निदेशक

(डा० के० गोपालन) तथा एन० आई० ई० पी० ए० के निदेशक (प्रो० सत्य भूषण) समिति की बैठकों में स्थायी रूप में आमंत्रित सदस्य थे।

आदेश की एक प्रति परिशिष्ट - I में दी गई है।

समिति ने डा० डी० स्वामीनाथन, सदस्य, योजना आयोग, सुश्री मीरा सेठ, सचिव, महिला व बाल विकास विभाग, भारत सरकार, श्री आर० के० सिन्हा, अपर सचिव, शिक्षा विभाग, भारत सरकार, शिक्षा विभाग भारत सरकार में सभी ब्यूरो अध्यक्ष, भारत सरकार के सम्बंधित मंत्रालयों/ विभागों के अधिकारियों को विचार विमर्श में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया।

समिति की बैठकें :-

1.4 समिति ने निम्नलिखित अनुसार बैठकें आयोजित कीं :

- (i) पहली बैठक - दिल्ली - 27 अगस्त, 1991
- (ii) दूसरी बैठक - हैदराबाद - 20-21 सितम्बर, 1991
- (iii) तीसरी बैठक - दिल्ली - 25-26 नवम्बर, 1991
- (iv) चौथी बैठक - दिल्ली - 21-22 जनवरी, 1992

प्रणाली विज्ञान व प्रक्रिया

1.5 के० शि० स० बोर्ड ने 8-9 मार्च, 1991 को हुई अपनी बैठक में

निर्णय लिया कि एन० पी० ई० आर० सी० की रिपोर्ट पर राज्य सरकारों व संघशासित प्रशासनों की टिप्पणियां प्राप्त करके समिति को दी जानी चाहिए पंद्रह राज्यों/ संघशासित प्रशासनों से टिप्पणियां प्राप्त हुई थीं। शिक्षा विभाग ने भी एन० पी० ई० आर० सी० रिपोर्ट के प्रत्येक अध्याय पर विस्तृत टिप्पणियां तैयार की हैं। ये टिप्पणियां तीन भागों में हैं : तर्क नामक शीर्षक से पहले भाग में एन० पी० ई० आर० सी० की सिफारिशों और तर्क के सम्बन्ध में विभाग की प्रतिक्रिया बताई गई है, दूसरे भाग में सिफारिशों का कुल विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है तथा तीसरे भाग में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आरंभ से हुए उन विकासों की ओर ध्यान दिलाया गया है जिनका नीति पर प्रभाव पड़ा है। आगे शिक्षा विभाग ने "राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 कार्यान्वयन रिपोर्ट" के कार्यान्वयन की स्थिति पर रिपोर्ट प्रस्तुत की। के० शि० स० बोर्ड के सदस्यों, भारत सरकार के मंत्रालयों/ विभागों तथा सम्बंधित संसाधन संगठनों से भी टिप्पणियां प्राप्त की गई थीं। समिति द्वारा प्राप्त दस्तावेजों का ब्यौरा परिशिष्ट - II में दिया गया है। इन सभी दस्तावेजों पर समिति ने विचार विमर्श किया था।

1.6 समिति द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया यह थी कि एन० पी० ई० आर० सी० रिपोर्ट के प्रत्येक अध्याय को विचार-विमर्श व विवेचन के लिए लिया जाए। विवेचन की कार्यसूची तैयार कर ली गई थी तथा सदस्यों के बीच वितरित कर दी गई।

1.7 समिति को अपनी रिपोर्ट अपनी पहली बैठक के दो महीने के अंदर देनी थी। तथापि समिति को विचार विमर्श में आशा से अधिक समय लग गया। महत्वपूर्ण राष्ट्रीय नीति के पुनरीक्षण के साथ पूरा न्याय करने में हम बहुत सावधान थे। अतः हमने के० शि० स० बो० से रिपोर्ट देने के लिए प्रस्तावित समय को बढ़ाने का अनुरोध किया।

1.8 नई दिल्ली में हुई अपनी तीसरी बैठक में समिति ने यह इच्छा व्यक्त की कि सदस्य सचिव किए गए विचार विमर्श के प्रकाश में एक प्रारूप रिपोर्ट तैयार करके उसे सदस्यों के बीच वितरित करें। रिपोर्ट का गठन एन० पी० ई० आर० सी० रिपोर्ट के अनुरूप है। समिति ने प्रारूप रिपोर्ट पर चौथी बैठक में विचार विमर्श किया तथा के० शि० स० बो० को प्रस्तुत करने के लिए 22 जनवरी, 1992 को अनुमोदित किया।

अध्याय 2

प्राक्कथन

2.1 राष्ट्रीय शिक्षा नीति की समीक्षा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति मूल्यांकन समिति ने स्पष्ट रूप से निम्नलिखित मुख्य विषयों से मार्गदर्शन प्राप्त किया था :

- (i) समता और सामाजिक न्याय
- (ii) सभी स्तरों पर शैक्षणिक प्रबन्ध का विकेन्द्रीकरण
- (iii) सचेत और मानवता के समाज के सृजन के लिए अपरिहार्य मूल्यों का सृजन
- (iv) कार्य के लिए अधिकार

2.2 ये सम्बन्ध अपवाद नहीं हैं और मुख्य रूप से राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप हैं। तथापि, हम यह महसूस करते हैं कि सहभागी शैक्षिक रूपरेखा की धारणा जो रा० शि० नी० मू० स० में दी गई है वह सीमित थी। रा० शि० नी० मू० स० ने शिक्षाविदों, अध्यापकों और शिक्षा संस्थाओं को न केवल शिक्षा सुधार में शामिल करने बल्कि विकास की प्रक्रिया में भी शामिल करने के महत्व पर ठीक ही जोर दिया है। तथापि, शिक्षा में सहभागिता को न केवल शिक्षा संस्थाओं तक ही सीमित रखा जाए बल्कि इसमें समुदाय को भी शामिल किया जाना चाहिए। रा० शि० नी० में यह प्रतिपादित किया गया है कि स्थानीय समुदायों को समुचित निकायों के माध्यम से स्कूल सुधार के कार्यक्रम में प्रमुख भूमिका सौंपी जानी चाहिए। कार्रवाई योजना में प्रारंभिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने के लिए जनता की सहभागिता के लिए कुछ तंत्रों का विस्तार किया है जैसे ग्राम शिक्षा समिति और सूक्ष्म आयोजना। टी० एल० सी० ने दक्षता दर्शाई है और शिक्षा के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए समुदाय को प्रेरित करने की बहुत क्षमता दिखाई है। शिक्षा में जनता की सहभागिता खासतौर से प्रारंभिक शिक्षा तथा प्रौढ़ साक्षरता में शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति के समुचित सरलीकरण और पद्धति की शिथिलता तथा अस्पष्टता के निरीक्षण के लिए एक सुस्पष्ट पद्धति के माध्यम से होना चाहिए।

2.3 रा० शि० नी० मू० स० ने सुस्पष्ट किया कि जो कुछ इसकी रिपोर्ट में दिया गया है। वह बहुत सी समितियों तथा आयोगों द्वारा भी किया

गया है। तथापि, बहुत से विचार तथा धारणाएं केवल कागजों पर ही रह गईं और उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई और इसका प्रयास तो केवल मात्र संभावित वैकल्पों पर सलाह देने तक ही रह गया था। विशेषकर शिक्षा में इसकी भूमिका, लक्ष्यों और मूल्यों के सम्बन्ध में इसने यह स्वीकार किया कि यह रा० शि० नी० के परिप्रेक्ष्य तथा दृष्टिकोण के अनुरूप था और इसमें केवल उन कुछेक “प्रमुख परिणाम क्षेत्रों” का ही उल्लेख किया गया था जिनको पर्याप्त बुनियादी प्राथमिकताएं दी गई हैं। परिणामस्वरूप रा० शि० नी० की केवल कुछेक सिफारिशों पर ही नीति सम्बन्धित कठिनाइयां थीं। रा० शि० नी० मू० स० की सिफारिशों और रा० शि० नी० के बाद के विकासों पर ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि नीति संबंधित कार्य करने की बहुत कम आवश्यकता है परन्तु कार्रवाई योजना को पर्याप्त संशोधित करने की जरूरत है। हमने रिपोर्ट के ढांचे में यह बताया है कि कार्रवाई योजना के संशोधन के लिए रा० शि० नी० मू० स० की कौन सी सिफारिश को लिया जाना चाहिए।

2.4 रा० शि० नी० मू० स० की कुछेक सिफारिशें, जिनमें नीति सम्बन्धी कठिनाइयां हैं उनमें रा० शि० नी० से निम्नलिखित बातें हटकर हैं :

- (i) संविधान के अनुच्छेद 45 के कार्यक्षेत्र का विस्तार ताकि ई० सी० सी० ई० (आर० सं० 104) को शामिल किया जाए।
- (ii) शिक्षा को मूल अधिकार बनाया जाए (आर० सं० 145)
- (iii) अनौपचारिक शिक्षा : राष्ट्रीय शिक्षा नीति में उन बच्चों के लिए एक बड़ा और पद्धतिबद्ध कार्यक्रम का सुझाव दिया है जो पूर्ण दिवस स्कूल में नहीं जा सकते। रा० शि० नी० मू० स० ने, तथापि यह विचार व्यक्त किया है कि प्रारंभिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने को अनौपचारिक स्कूल के एकल पद्धति द्वारा बेहतर ढंग से प्राप्त किया जा सकता है और अनौपचारिक शिक्षा का एक अलग कार्यक्रम रखने की आवश्यकता नहीं है। (आर० सं० 152 (सी) 153-155, 162-165, 170)

(vi) प्रौढ़ शिक्षा : रा० शि० नी० मू० स० ने प्रौढ़ साक्षरता पर किए जा रहे जोर को कम कर दिया है और "अर्नाकुलम अनुभव" पर शंका व्यक्त की (आर० सं० 178, 180, 182 और 185)

(v) व्यावसायीकरण : रा० शि० नी० और रा० शि० नी० मू० स० दोनों ने माध्यमिक शिक्षा के व्यावसायीकरण को महत्वपूर्ण बताया जबकि रा० शि० नी० ने व्यावसायिक शिक्षा को एक प्रमुख धारा बताया। रा० शि० नी० मू० स० ने यह महसूस किया कि शैक्षिक और व्यावसायिक धाराओं को दो भागों में बांटना अपेक्षित नहीं है और व्यावसायीकरण का कोर घटक माध्यमिक स्तर पर सभी छात्रों के लिए पाठ्यचर्या का एक भाग होना चाहिए। इसके अतिरिक्त रा० शि० नी० के अनुसार आगे यह कहा गया है कि व्यावसायिक पाठ्यक्रम सामान्यतः + 2 स्तर पर होने चाहिए, तथापि रा० शि० नी० मू० स० ने यह सुझाया कि कक्षा IX से XII तक के लिए व्यावसायिक शिक्षा का एक समेकित रूप होना चाहिए। (आर० नं० 188 और 189)

(vi) नवोदय स्कूल : रा० शि० नी० मू० स० ने नवोदय विद्यालय के तीन वैकल्प सुझाए हैं, जिसमें योजना में प्रमुख संशोधन करने के सुझाव दिए गए हैं। (आर० सं० 103)

(vii) राष्ट्रीय उच्च शिक्षा परिषद् : रा० शि० नी० मू० स० ने यह अपेक्षित नहीं समझा कि यू० जी० सी०, आई० सी० ए० आर०, ए० आई० सी० टी० ई०, आई० सी० एम० ई० इत्यादि जैसी शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रही विभिन्न संस्थाओं के समन्वय के लिए एक उच्च निकाय रखने की कोई जरूरत नहीं है। इसने यह महसूस किया कि दो समितियां एक तो सम्बन्धित मंत्रियों की और दूसरी सचिवों की (आर० सं० 219)

2.5 रिपोर्ट में दिए गए कारणों से हम सुझाव देते हैं कि व्यावसायिक शिक्षा, एन० सी० एच० ई० और ए० आई० सी० टी० ई० के सम्बन्ध में नई नीति बनाई जाए। जबकि हम + 2 स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा के लिए एक अलग प्रभावी धारा बनाने की वर्तमान नीति को बनाए रखना चाहते हैं हम कोर व्यावसायिक पाठ्यक्रम के विचार को आकर्षक मानते हैं। साधारण व्यावसायिक पाठ्यक्रम जो विभिन्न व्यावसायिक पाठ्यक्रमों से अलग है और जो मूलरूप से मुख्यतः गैर व्यावसायिक

हैं उनमें बहुत से संभाव्य लाभ होते हैं। हम एन० सी० एच० ई० के सम्बन्ध में रा० शि० नी० मू० स० के विचार से सहमत हैं। हमारा विचार है कि ए० आई० सी० टी० ई० अधिनियम को संशोधित करना जरूरी है ताकि ए० आई० सी० टी० ई० की भूमिका वि० अ० आ० के अनुरूप हो। इसके लिए रा० शि० नी० के पैरा 6.19 को संशोधित करना जरूरी है।

2.6 जबकि हम प्रारम्भिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने के लिए रा० शि० नी० / कार्रवाई योजना में सुझाई गई नीतियों से सहमत हैं फिर भी हम भारी मात्रा में महत्वपूर्ण घटकों के संचालन का पूरा समर्थन करते हैं जैसे ग्राम शिक्षा समिति, सहभागिता सूक्ष्म आयोजन, और स्कूल-मेपिंग। हम रा० शि० नी० के पैरा 5.12 को फिर से बनाने की सिफारिश करते हैं जिसमें प्राथमिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण तथा प्रारम्भिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण को प्राप्त करने के लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। हमने रिपोर्ट में प्रारम्भिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण को प्राप्त करने के लिए नीतियों के प्रमुख घटकों का उल्लेख किया है जिसके लिए समुचित ढंग से इन घटकों को शामिल करने के लिए रा० शि० नी० / कार्रवाई योजना को समुचित ढंग से संशोधित किया जाना चाहिए।

2.7. एक अन्य क्षेत्र, जिसमें नीति संबंधी ध्यान की अपेक्षा की जाती है, माध्यमिक शिक्षा है। यद्यपि प्रारम्भिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाना अभी भी पूर्णतया अस्पष्ट लक्ष्य है और अभी काफी कुछ करना है, केन्द्र और राज्यों द्वारा प्रारंभिक शिक्षा को प्रोन्नत करने के लिए किए गए पर्याप्त निवेश का माध्यमिक शिक्षा की मांग पर अनिवार्य प्रभाव पड़ता है। संपूर्ण साक्षरता अभियानों के एक महत्वपूर्ण माध्यमिक परिणाम से प्रारंभिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा की मांग में और अधिक वृद्धि हुई है। अतः हम महसूस करते हैं कि यद्यपि प्रारम्भिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण और प्रौढ़ साक्षरता को और अधिक वरीयता दी जाती रहनी चाहिए, लेकिन समय आ गया है कि हम देशभर में माध्यमिक शिक्षा सुविधाओं का सुनियोजित विस्तार करें। ऐसे विस्तार से असमानताएं दूर होंगी और समान शैक्षिक अवसर प्राप्त होंगे। यह इस अवधारणा के कारण है कि हमने रा० शि० नी० मू० स० की रिपोर्ट के ढांचे से हटकर माध्यमिक शिक्षा पर एक पृथक अध्याय रखने का निर्णय किया। हम मांग करते हैं कि माध्यमिक शिक्षा में अपेक्षित नई पहल के लिए नीति को फिर से तैयार किया जाए।

अध्याय 3

शिक्षा व महिला समानता

3.1 एन०पी०ई०आर०सी० ने महिला शिक्षा को शिक्षा में समानता व सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने की नीति का महत्वपूर्ण अवयव माना है। इसने महिला शिक्षा के मामले का महिलाओं की विद्यमान समस्याओं के विशिष्ट संदर्भ में सही रूप से उल्लेख किया है। जैसे कि पुरुष व्यवहार की विद्यमान सांस्कृतिक मान्यताएं तथा महिलाओं की घरेलू व उत्पादक भूमिका जो शिक्षा तक महिलाओं की पहुंच में बाधा डालती हैं। एन०पी०ई०आर०सी० ने केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों और स्थानीय निकायों के सभी प्रदर्शनों में महिलाओं की ओर से राज्य सरकारों के हस्तक्षेप का समर्थन किया। एन०पी०ई०आर०सी० ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति में अपने सापेक्ष महत्व को यह कह कर अलग करना चाहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शिक्षा को ही केवल महिलाओं के स्तर में मूल परिवर्तन का साधन माना गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शिक्षा पद्धति के अंदर हस्तक्षेप पर जोर दिया गया है तथा स्कूल पद्धति के बाहर सामाजिक-आर्थिक व सांस्कृतिक प्रतिबंधों पर तथा जिनका शिक्षा पर सीधा प्रभाव पड़ता है, उनका पर्याप्त रूप से उल्लेख नहीं किया गया है। सारांश में, एन०पी०ई०आर०सी० का सापेक्ष महत्व राष्ट्रीय शिक्षा नीति में महिलाओं की शिक्षा के संबंध में की गई परिकल्पना से बहुत अधिक मिलता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के पैरा 4.2 व 4.3 में शिक्षा के अन्तरायक व अधिकारयुक्त भूमिका का जोरदार उल्लेख किया गया है। अन्य बातों के साथ-साथ उन्होंने विशेष सहायता सेवाओं के प्रावधान तथा ऐसी रुकावटों को दूर करने पर बल दिया है जो शिक्षा के सभी स्तरों पर महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव उत्पन्न करते हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, जो एन०पी०ई०आर०सी० की व्याख्या से भिन्न हो।

3.2 एन०पी०ई०आर०सी० की सिफारिशें मुख्यतया कार्यान्वयन के सभारतन्त्र से संबंधित हैं। उनमें से अधिकांश, जैसे कि जो ई०सी०सी०ई०, स्कूल शिक्षा उपलब्ध कराने, क्षेत्रीय असमानताओं, शिक्षा की विषय-वस्तु तथा स्त्री-पुरुष पक्षपात, शिक्षकों के प्रशिक्षण, व्यावसायिक शिक्षा तथा प्रौढ़ शिक्षा से संबंधित हैं, को इन विषयों

से संबद्ध एन०पी०ई०आर०सी० की रिपोर्ट के अन्य अध्यायों की सिफारिशों में भी दर्शाया गया है। ऐसी सिफारिशों पर हमारे विचारों को आगामी अध्यायों में प्रस्तुत किया गया है। यहां हम केवल उन सिफारिशों पर अपने विचार प्रस्तुत करते हैं जिन पर एन०पी०ई०आर०सी० की रिपोर्ट में कहीं और चर्चा नहीं की गई है।

3.3 सिफारिस सं० 1 से 5 लड़कियों की स्कूल शिक्षा तथा जल, ईंधन और भोजन की उपलब्धता के बीच संबंध को स्पष्ट करती हैं। सुझाव यह है कि इस संबंध में शैक्षिक आयोजना की जानकारी होनी चाहिए और यह कि शिक्षा विभाग को महिलाओं की शिक्षा उपलब्ध कराने में सुधार लाने की दृष्टि से अन्य विभागों के साथ समन्वय स्थापित करना चाहिए। एन०पी०ई०आर०सी० द्वारा स्पष्ट किए गए संबंध की बढ़ा चढ़ा कर आलोचना नहीं की जा सकती, तथापि, योजना आयोग द्वारा केन्द्र में, राज्य में तदनु रूप एजेंसियों, जैसे राज्य आयोजना बोर्ड अथवा राज्य आयोजना विभाग और जिला तथा उप जिला स्तर पर समेकित आयोजना और विकास के लिए उत्तरदायी एजेंसियों में समेकन-भूमिका को बेहतर ढंग से निभाया जाता है। शिक्षा विभाग से, चाहे केन्द्र में हो अथवा राज्यों में, अपेक्षा करना वास्तविक नहीं होगा कि वह यह सुनिश्चित करने के लिए प्रमुख भूमिका निभाये कि महिलाओं का विकास समग्र ढंग से हो। पाठ्यचर्चा और पाठ्यपुस्तकों में महिला-पुरुष पक्षपात से संबंधित एन०पी०ई०आर०सी० की सिफारिशें (सिफारिश सं० 17 से 20), जनसंचार माध्यम (सिफारिश सं० 21 से 27), महिलाओं की पढ़ाई (सिफारिश सं० 41 से 48) और शैक्षिक क्रम व्यवस्था में महिलाओं का प्रतिनिधित्व (सिफारिस सं० 49 से 52) राष्ट्रीय शिक्षा नीति/कार्रवाई योजना के काफी अनुरूप है। सिफारिश सं० 53 से 57 में महिला समाख्या दृष्टिकोण का समर्थन किया गया है जो कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति की देन है।

3.4 सिफारिश सं० 58 से 62 में न केवल प्रारंभिक, माध्यमिक, व्यावसायिक तथा उच्चतर शिक्षा के आवंटनों में बल्कि अनुसूचित

जातियों के लिए विशेष घटक योजना और अनुसूचित जनजातियों के लिए जनजातीय उप योजना में महिला शिक्षा के लिए संसाधन निर्धारित करने की मांग की गई। तथापि, अनु० जाति/अनु० जनजाति समस्याओं, जो विशेष घटक योजना तथा जनजातीय उप योजना में अव्यक्त अवधारणा की ओर ले जाती है, और महिलाओं के प्रश्न के बीच एक बनियादी अन्तर है। महिला शिक्षा की समस्या को जातिगत और क्षेत्रीय अवरोधों का सामना करना पड़ता है। अतः यद्यपि शिक्षा में महिलाओं की सहभागिता का गहन निरीक्षण किया

जाना चाहिए और ऐसी सहभागिता में बाधक अवरोधों को दूर करने के लिए विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए तथापि निधियों का निर्धारण प्रशासनिक रूप से संभव नहीं हो सकता।

3.5 संक्षेप में, हमारा विचार है कि एन०पी०ई०आर०सी० ने महिला शिक्षा के महत्व पर सही जोर दिया था; राष्ट्रीय शिक्षा नीति ढांचा पर्याप्त है और कार्रवाई योजना में एन०पी०ई०आर०सी० की सिफारिशों को ध्यान में रखने के लिए संशोधन किया जाना चाहिए।

अध्याय 4

अनु० जातियों/अनु० जनजातियों और शैक्षिक रूप से पिछड़े अन्य वर्गों की शिक्षा एन०पी०ई०आर०सी० परिप्रेक्ष्य

4.1 शिक्षा और सामाजिक - आर्थिक विकास के बीच संबंध में अपने दार्शनिक दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए, एन०पी०ई०आर०सी० ने यह विचार व्यक्त किया कि प्रत्येक विभाग में अनु० जातियों तथा अनु० जनजातियों का उत्थान एक पृथक कार्यकलाप नहीं होना चाहिए बल्कि इसके बजाय इसे "निष्पक्षता" पैकेज का एक भाग होना चाहिए। शिक्षा में सुधार पृथक घटना नहीं होना चाहिए बल्कि सभी संबद्ध क्षेत्रों में चहुंमुखी सुधार का एक भाग होना चाहिए। एन०पी०ई०आर०सी० का विचार था कि शैक्षिक प्रक्रिया में कमजोर वर्गों की सहभागिता तब तक निरर्थक होगी जब तक कि उनके पास भूमि सुधारों जैसे उपायों के माध्यम से उत्पादन तथा जीविका के साधन न हों, उन्हें ईंधन, भोजन तथा जल जैसी जीवन की अनिवार्य वस्तुएं सार्थक रूप से उपलब्ध न हों, और उनके कार्य के लिए उचित वेतन का आश्वासन प्राप्त न हो। यद्यपि एन०पी०ई०आर०सी० द्वारा दर्शाई गई अस्तित्व संबंधी समस्या वैध है, तथापि बुनियादी प्रश्न यह है कि निष्पक्षता पैकेज को किस प्रकार से संचालित किया जाए। ठोस संचालनात्मक रूप में एन०पी०ई०आर०सी० का राष्ट्रीय शिक्षा नीति/कार्रवाई योजना से दूर जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है और उसने नई नीतियों अथवा संचालन में निहित उपायों से पृथक उपायों को स्पष्ट नहीं किया था।

आयोजना और प्रबंध

4.2 एन०पी०ई०आर०सी० रिपोर्ट में यह बताया गया है कि शिक्षा और सामाजिक आर्थिक परिवर्तन के बीच दोहरा संबंध है, वैध है। इस पर बल दिए जाने की आवश्यकता है कि जिला कलेक्टरों और जिलों में विकास से संबद्ध एजेंसियों और कार्मिकों को कमजोर वर्गों के सामाजिक-आर्थिक सुधार के लिए तैयार किए गए विभिन्न कार्यक्रमों के बीच अन्तर्संबंधों को सुग्राही बनाने की आवश्यकता है। शैक्षिक सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए महत्वपूर्ण अन्य आयाम है स्थानीय समुदायों को अधिकार देना। कुछ सीमा तक इस अधिकार देने को

पुष्ट पंचायती राज पद्धति द्वारा प्रोन्नत किया जाता है, विशेष रूप से ग्रामीण स्तर पर तथापि, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि इन संस्थाओं के कार्यकरण में कमजोर वर्गों का प्रभावी स्वर है। महिला समाख्या के अनुभव से उन महिलाओं के वर्ग, जो सुस्पष्ट है और शैक्षिक पद्धति की जिम्मेदारी की मांग करती है, आयोजित करने की संभावना की रूपरेखा प्राप्त हुई है। ऐसे संगठन, जब वे आधार तैयार कर लेते हैं, यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि विभिन्न कार्यक्रम और कार्यकलाप समुदाय के प्रति वास्तव में उत्तरदायी हैं - एक निर्वहण जो संप्रेषण पद्धतियों को और अधिक प्रभावी बनायेगा।

4.3 एन०पी०ई०आर०सी० ने विभिन्न समुदायों और वर्गों की आवश्यकता रूप रेखाओं के अनुसार नीतियों के विकल्प को स्पष्ट करने की आवश्यकता को सही ढंग से दर्शाया है। यह विचार उससे भिन्न नहीं है जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति और कार्रवाई योजना में निर्धारित किया गया था। उदाहरणार्थ, रा०शि०नी० और कार्रवाई योजना में यू०ई०ई० प्राप्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण नीति के रूप में सूक्ष्म आयोजना का सुझाव दिया गया। सूक्ष्म आयोजना से अभिप्राय था यह सुनिश्चित करने के लिए परिवारवार तथा बच्चेवार कार्रवाई तैयार करना कि प्रत्येक बालक नियमित रूप से स्कूल अथवा गैर-औपचारिक शिक्षा केन्द्र में जाए, अपनी क्षमता के अनुरूप गति में अपनी शिक्षा जारी रखे और पांच वर्ष तक किसी स्कूल अथवा किसी अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र में समतुल्य शिक्षा कम से कम 5 वर्ष तक जारी रखे। अथवा इसके समकक्ष निःसंदेह यह संरचना घरेलू शैक्षिक रूपरेखा पर आधारित होगी जिसे विभिन्न समुदायों की आवश्यकता रूपरेखा बनाने के लिए समेकित किया जा सकता है।

4.4 एन०पी०ई०आर०सी० ने क्षेत्र गहन दृष्टिकोण तथा अधिक सबल निरीक्षण पर पर्याप्त बल दिया। यह बल कार्यक्रम कार्यान्वयन की कारगरता के अनुरूप है। एन०पी०ई०आर०सी० की यह सिफारिश स्वागत योग्य है कि केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट करने के उद्देश्य

से प्रत्येक राज्य में एक एकल केन्द्रीय एजेंसी निर्धारित की जानी चाहिए। विशेषरूप से अनुसूचित जातियों, अनुजनजातियों और अल्पसंख्यकों के संबंध में राज्य सरकारों में अनेक कार्यान्वयन एजेंसियां हैं। अनेक कार्यक्रमों को राज्य कल्याण विभागों और कुछ का शिक्षा विभागों द्वारा संचालन किया जाता है। यहां तक कि शिक्षा विभागों में कार्यकलाप अनेक निदेशालयों में फैले हुए हैं। राज्य स्तर पर एक केन्द्रीय एजेंसी की वास्तव में आवश्यकता है जो विभिन्न कार्यक्रमों का संक्षिप्त अवलोकन प्राप्त कर सकती है और कार्यक्रमों में सम्मिलित सबका मूल्यांकन कर सकती है। निःसंदेह निरीक्षण कार्यक्रम कार्यान्वयन का प्रमुख आधार रहा है। अतः प्रभावी निरीक्षण पद्धतियों को यथास्थान प्रदान करना होगा। लाभग्राहियों के प्रतिनिधियों को निरीक्षण पद्धति से संबद्ध करना होगा ताकि वे पद्धति के अन्दर कार्यक्रम कार्यान्वयन को प्रोत्साहित कर सकें। हम अनुजातियों, अनुजनजातियों तथा शैक्षिक रूप से पिछड़े अन्य वर्गों की शिक्षा से संबंधित एक स्थायी केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड समिति के गठन का भी सुझाव देंगे इन वर्गों के शिक्षाविदों को उस समिति में प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाना चाहिए। के०शि०सं० बोर्ड समिति को, योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करनी चाहिए और के०शि०सं० बोर्ड द्वारा विचारार्थ रिपोर्ट प्रस्तुत करनी चाहिए।

पाठ्यचर्या

4.5 सिफारिश सं० 69 में शैक्षिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए एक पृथक पाठ्यचर्या का सुझाव दिया गया है। हमारा विचार है कि बिना किसी जाति, समुदाय तथा धार्मिक भेदभाव के सभी छात्रों की एक समान पाठ्यचर्या होनी चाहिए। यद्यपि शिक्षा बालक केन्द्रित होनी चाहिए और वैयक्तिक भिन्नताओं को पोषित करने वाली होनी चाहिए, तथापि पाठ्यविवरण तथा पाठ्यचर्या के मामले में छात्रों को अलग करने की सलाह नहीं दी जा सकती। यहां तक कि शैक्षिक रूप से पिछड़े लोग भी एक पृथक पाठ्यचर्या के माध्यम से पृथक्करण को प्राथमिकता नहीं देंगे। संभवतया वे ऐसी पाठ्यचर्या को दूसरे दर्जे की मानेंगे। सभी छात्रों में विज्ञान तथा गणित, भाषा सक्षमताएं, विभिन्न समुदायों, क्षेत्रों तथा महिलाओं के राष्ट्रीय जीवन, संस्कृति तथा विकास में योगदान की भावना पैदा की जानी चाहिए।

अल्पसंख्यक संस्थाओं को मान्यता

4.6 सिफारिश सं० 80 में यह सुझाव दिया गया है कि अल्पसंख्यक

प्रबन्धित शैक्षिक संस्थाओं को मान्यता प्रदान करें; इन संस्थाओं की मान्यता के लिए आवेदन पत्रों के निपटान की गति की समीक्षा करने; और उसके अनुसार इस प्रकार से मान्यताप्राप्त संस्थाओं में शिक्षा की कोटि सुरक्षित रखने के उद्देश्य से राज्यों द्वारा व्यापक दिशा-निर्देशों के मामले का गहन निरीक्षण करने के लिए भारत सरकार द्वारा एक स्थायी तन्त्र स्थापित किया जाए। संविधान की धारा 30 में अल्पसंख्यकों को, चाहे वे धर्म अथवा भाषा पर आधारित हो, अपनी पसंद की शैक्षिक संस्थाओं को स्थापित करने तथा उनके प्रशासन का अधिकार प्रदान किया गया है। इन मामलों पर अनेक कानूनी केस हुए हैं। शैक्षिक संस्थाओं की स्थापना को राज्य शिक्षा अधिनियमों द्वारा विनियमित किया जाता है। अतः एक अल्पसंख्यक संस्था के रूप में किसी शैक्षिक संस्था को मान्यता प्रदान करना राज्य सरकारों की सक्षमता के अंतर्गत आता है। अक्टूबर, 1989 में भारत सरकार ने अल्पसंख्यक प्रबन्धित शैक्षिक संस्थाओं को मान्यता प्रदान करने के लिए नीति मानदंड तथा सिद्धांत तैयार किए और उन्हें विभिन्न राज्य सरकारों को परिचालित किया। केन्द्रीय सरकार की भूमिका सलाहकार की है। हम महसूस करते हैं कि बेहतर होगा कि वास्तविक निरीक्षण का कार्य राज्य सरकारों पर छोड़ दिया जाए क्योंकि वे उचित निरीक्षण की आवश्यकता के प्रति अधिक जागरूक हैं और अल्पसंख्यक आयोग जैसे अनेक संगठन निरीक्षण के उद्देश्य से पहले ही विद्यमान हैं।

4.7 उपर्युक्त पैरा 4.5 तथा 4.6 में उल्लिखित दो सिफारिशों के अतिरिक्त एन०पी०ई०आर०सी० ने अनेक सिफारिशों की हैं जिनमें प्रोत्साहन योजनाएं, स्कूली सेवाओं से बंचित अनुजाति/अनुजनजाति के आवास पाठ्यचर्या, उपचारात्मक शिक्षण, अनुजाति/अनुजनजाति शिक्षकों की भर्ती, विशेष घटक योजना तथा जनजातीय उपयोजना, शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यकों के लिए कार्यक्रम, और अल्पसंख्यक प्रबन्धित संस्थाओं को मान्यता प्रदान करना शामिल है।

4.8 हम महसूस करते हैं कि कोई नीति पुननिर्धारण आवश्यक नहीं है और यह कि सिफारिश सं० 69 और 80 को छोड़कर सभी सिफारिशों का कार्रवाई योजना में संशोधन करते समय ध्यान रखा जाना चाहिए।

अध्याय 5

शिक्षा और विकलांग

5.1 एन० पी० ई० आर० सी० ने विकलांग शिक्षा को सही परिप्रेक्ष्य में स्थान देने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में विकलांग शिक्षा को शिक्षा प्रक्रिया के एक अभिन्न भाग और असमानताएं दूर करने तथा समान शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराने के लिए प्रयासों के एक महत्वपूर्ण तत्व के रूप में मान्यता दी गई है। एन० पी० ई० आर० सी० ने विशेषरूप से स्वैच्छिक एजेंसियों की सहभागिता के संबंध में विकलांग शिक्षा के प्रति राष्ट्रीय शिक्षा नीति के दृष्टिकोण की भी प्रशंसा की। तथापि, एन० पी० ई० आर० सी० ने महसूस किया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति निम्नलिखित के लिए अपर्याप्त थी :-

- राष्ट्रीय शिक्षा नीति में विकलांग शिक्षा के लिए कुल सामान्य शिक्षा की गतिशीलता पर बल नहीं दिया गया था।
- विशेष स्कूलों को शैक्षिक पर्यवेक्षण संबंधी बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने की दृष्टि से अन्य शैक्षिक संस्थाओं से अलग रखा गया था। इसे सहयोगी ढंग से विकसित करने के लिए कल्याण और मानव संसाधन विकास मंत्रालयों पर छोड़ दिया गया है।

5.2 हम महसूस करते हैं कि इन दो मुद्दों पर रा० शि० नीति को दोष देना उचित नहीं होगा। चूंकि एन० पी० ई० आर० सी० ने स्वयं नोट किया कि कार्रवाई योजना में जिला तथा उप जिला स्तरों पर विशेष स्कूलों की स्थापना; अवस्थापना संबंधी सुविधाओं की व्यवस्था के अतिरिक्त पाठ्यचर्या विकास; और विकलांगों के लिए सार्वभौम प्राथमिक शिक्षा के लिए विशिष्ट लक्ष्य स्थापित करने की मांग की गई थी। केन्द्र द्वारा प्रायोजित विकलांग बच्चों के लिए समेकित शिक्षा योजना मूलतः 1974-75 में समाज कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रारंभ की गई थी। 1982-83 में योजना को शिक्षा विभाग को स्थानांतरित कर दिया गया।

जब योजना को स्थानांतरित किया गया; केवल 2,500 छात्र ही योजना में शामिल थे। 1987 में, एन० पी० ई० के जोर देने पर योजना का पूरी तरह से पुनरावलोकन किया गया तथा संशोधित किया गया। योजना का विस्तार 22 राज्यों में 6,000 स्कूलों में किया गया। विशेष स्कूल गंभीर रूप से विकलांग बच्चों की देखभाल करते हैं। जिनकी आवश्यकताएं काफी अलग अलग होती हैं। इन बच्चों पर और अधिक वैयक्तिक ध्यान की आवश्यकता होती है। इन विशेष स्कूलों का उद्देश्य है छात्रों को प्रतिदिन के रहन-सहन के कौशल सिखाना और उन्हें सुविधाएं प्रदान करना। सामान्य कक्षा संस्थानों का निरीक्षण ढांचा विशेष स्कूलों की विशेष आवश्यकताओं तथा अपेक्षाओं के कारण इनका निरीक्षण करने में समर्थ नहीं है।

5.3 एन० पी० ई० आर० सी० ने विकलांगों की शिक्षा के कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के तरीकों के संबंध में अनेक उपयोगी सिफारिशें की हैं (सिफारिश संख्या 89-101)। इसके साथ-साथ, इसने विकलांगों की समस्याओं के संबंध में जागरूकता पैदा करने के लिए मीडिया का प्रयोग करने, विकलांग बच्चों वाले प्रत्येक परिवार को प्रेरणास्रोतों के जरिए सहायता प्रदान करने, बातचीत तथा प्रशिक्षण तथा शारीरिक रूप से विकलांग बच्चों की शिक्षा के प्रति लचीला दृष्टिकोण अपनाने की वकालत की। एन० पी० ई० आर० सी० ने विकलांगों के विभिन्न वर्गों जैसे बहरे, अंधे तथा मानसिकरूप से विकलांग बच्चों का विस्तार से अध्ययन किया तथा विशेष सिफारिशें की।

एन० पी० ई० आर० सी० ने प्रशिक्षण की भूमिका तथा शारीरिक रूप से विकलांग बच्चों की शिक्षा के प्रौद्योगिक विकास में भी महत्वपूर्ण सिफारिशें की हैं। हम सुझाव देंगे कि इन मूल्यवान सिफारिशों को कार्रवाई के संशोधित कार्यक्रम में शामिल किया जाए।

अध्याय 6

समान स्कूल पद्धति

एन० पी० ई० आर० सी० परिप्रेक्ष्य

6.1 एन० पी० ई० आर० सी० ने समान स्कूल पद्धति के विकास को शिक्षा में समानता तथा सामाजिक न्याय प्राप्त करने के लिए व्यापक नीति का एक महत्वपूर्ण अंग माना है। समान स्कूल पद्धति का समर्थन मूलतः डा० डी० एस० कोठारी की अध्यक्षता में शिक्षा आयोग (1964-66) द्वारा किया गया था (अब कोठारी आयोग के नाम से जाना जाता है)। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 ने समान स्कूल पद्धति लागू करने के लिए कोठारी आयोग की सिफारिशें मान ली थी। राष्ट्रीय शिक्षा पद्धति के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा पद्धति, 1986 ने समान स्कूल पद्धति की दिशा में प्रभावी उपाय करने के सरकार के दृढ़निश्चय को दोहराया। रा० शि० नी० 1986 के अनुसार, राष्ट्रीय शिक्षा पद्धति की यह संकल्पना होगी कि एक निश्चित स्तर तक सभी छात्र, चाहे वे किसी भी जाति, धर्म, स्थान, अथवा लिंग के हों, तुलनीय कोटि की शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। एन० पी० ई० आर० सी० ने यह नोट किया कि समान स्कूल पद्धति अभी तक एक संकल्पना ही है जबकि कोठारी आयोग द्वारा इसकी चर्चा एक चौथाई शताब्दी पहले की गई थी और यह विचार प्रकट किया कि समान स्कूल पद्धति लागू न करने के कारण शैक्षिक असमानताओं में और अधिक बढ़ोतरी हो रही है।

स्कूलों का स्तर बढ़ाना

6.2 एन० पी० ई० आर० सी० के अनुसार, समान स्कूल पद्धति तब तक यथार्थ नहीं बन सकती जब तक सरकारी स्कूलों तथा स्थानीय स्कूलों में पर्याप्त बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था करके उनका स्तर नहीं बढ़ाया जाता। ऐसी प्रोत्ति के बिना शैक्षिक विषमताएं बनी रहेंगी और सम्पन्न लोग अपने बच्चों को महंगे निजी स्कूलों में भेजना जारी रखेंगे। अतः रा० शि० नी० पु० सं० ने प्रारम्भिक शिक्षा पर व्यय में विशेष वृद्धि तथा पिछड़े क्षेत्रों, ग्रामीण बस्तियों, जनजातीय क्षेत्रों, पहाड़ी इलाकों, रेगिस्तानी और कच्छी क्षेत्रों, सूखा और बाढ़ प्रवृत्त क्षेत्रों, तटवर्ती क्षेत्रों और द्वीपसमूहों में स्कूल पद्धति के सुधार के लिए विशेष आबंटनों के प्रावधान की सिफारिश की है (सिफारिश संख्या 102)

हमारी नजर में यह सिफारिश बहुत उपयुक्त है। सामूहिक स्कूल पद्धति का मुख्य उद्देश्य शैक्षिक अवसरों की समानता है। आरम्भ में, कम से कम प्राथमिक शिक्षा के संबंध में, कुछ महंगे निजी स्कूलों और राजकीय व स्थानीय निकाय स्कूलों की अधिकता के बीच विशाल अन्तर को भरे बिना समानता प्राप्त नहीं की जा सकती। रा० शि० नी० पु० सं० ने सामूहिक स्कूल पद्धति को प्राप्त करने के लिए एक दस-वर्षीय समय-ढांचे की वकालत की है। हम इस सिफारिश के पीछे छिपी भावना की कद्र करते हैं। तथापि, अपेक्षित संसाधनों की मात्रा देते हुए, एक दस-वर्षीय समय-ढांचा वास्तविक प्रतीत नहीं होता। तथापि, शिक्षा सेक्टर के बीच बुनियादी शिक्षा को अत्यधिक वरीयता देते हुए शिक्षा में निवेश को बढ़ाने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं है। संसाधनों के संबंध में हमारी सिफारिशें उत्तरवर्ती अध्याय में निर्दिष्ट हैं।

सामीप्य स्कूल

6.3 रा० शि० नी० पु० सं० ने यह विचार प्रकट किया कि सामूहिक स्कूल पद्धति को प्राप्त करने के लिए मौजूदा राजकीय, स्थानीय निकाय और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों को वास्तविक सामीप्य स्कूलों से बदलना होगा समय के दौरान उन्हें मुक्त रूप से सुगम बनाकर निजी स्कूलों को भी ऐसे सामीप्य स्कूलों में परिवर्तित कर दिया जाएगा। रा० शि० नी० पु० सं० की सामीप्य स्कूलों की संकल्पना कोठारी आयोग और सामान्य उपयोग से अलग है। जैसा कि पश्चिमी देशों में समझा जाता है और जैसा कोठारी आयोग द्वारा वर्णन किया गया है कि "सामीप्य स्कूल" शब्द का अर्थ होता है कि इस स्कूल में किसी मोहल्ले के सभी बच्चे पढ़ने जाते हैं। सामीप्य स्कूलों की तुलना में, पब्लिक स्कूल आवासीय होते हैं और दूर और नजदीक के बच्चे उनमें जाते हैं। रा० शि० नी० पु० सं० की संकल्पना के अनुसार, सामीप्य स्कूल एक ऐसा स्कूल है जो आस पास के समुदाय के मामलों में ध्यानपूर्वक दिलचस्पी लेते हैं, समुदाय की सेवा करते हैं और साथ ही साथ स्कूलों के पाठ्यक्रमों और विषयों को समुदाय की मांगों और स्थिति के

साथ जोड़कर संयोजन स्थानीय करते हैं। रा० शि० नी० मू० सं० से अलग, जिनमें सामीप्य स्कूलों की, सामूहिक स्कूलों की ओर प्रगति की दिशा से एक मध्यस्थ स्तर के रूप में परिकल्पना की गई है, कोठारी आयोग सामीप्य स्कूलों को अंतिम लक्ष्य मानता है। हम ऐसा स्वीकार करना जैसे कि रा० शि० नी० मू० सं० ने माना है, अवास्तविक मानते हैं कि प्रत्येक स्कूल आस पास के समुदाय की विशेष मांगों और स्थितियों के अनुसार विषयों और पाठ्यक्रमों को अनुकूल बना सकते हैं। ज्यादातर राजकीय और स्थानीय निकाय के स्कूलों की ससाधन प्रतिभा जानते हुए ऐसी आशा करना अस्वाभाविक है। इसके अतिरिक्त विषयों और पाठ्यक्रमों का लचीलापन राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचे पर बड़ा प्रभाव डालेगी। तथापि, इस विचार में खूबी है कि समुदाय और स्कूलों के बीच संयोजन धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए। ऐसे संयोजन विशेषकर महंगे निजी स्कूलों के संबंध में अनिवार्य हैं जो आस पास के समुदाय से विमुख होना चाहते हैं। इस बात पर जोर देते हुए कि ऐसे स्कूल सामाजिक जवाबदेही स्वीकार करें और ऐसे स्कूलों के शिक्षकों और छात्रों के लिए आस पास के समुदाय की मदद करना अनिवार्य बनाते हुए, ऐसे संस्थानों के लिए उनके सामाजिक वातावरण में समाविष्ट सम्भव होना चाहिए। इन स्कूलों में यह अनिवार्य करके इन्हें और अधिक समानतावादी बनाया जा सकता है कि वे सीटों का कुछ अनुपात अनुसूचित जातियों और अनु० ज० जा० जैसे वंचित वर्गों के सराहनीय छात्रों द्वारा भरे। ऐसे छात्रों का नामांकन मुफ्त छात्रवृत्तियों के प्रावधान द्वारा सुकर बनाया जाएगा।

मातृ भाषा शिक्षा के माध्यम के रूप में

6.5 सामूहिक स्कूल पद्धति को प्राप्त करने की दिशा में रा० शि० नी० मू० सं० ने यह भी सिफारिश की कि यह सुनिश्चित करना अनिवार्य होना चाहिए कि पूर्व प्राथमिक और प्राथमिक स्तरों पर मातृ भाषा ही शिक्षा माध्यम हो, विशेषकर बहुभाषी अल्पसंख्यकों के लिए,

माध्यमिक स्तर पर क्षेत्रीय भाषाओं के शिक्षक को सक्रिय रूप से बढ़ावा देना चाहिए और उन स्कूलों की राज्य सहायता समाप्त कर दी जानी चाहिए जो मातृ भाषा / क्षेत्रीय भाषाओं के माध्यम की अपेक्षा किसी अन्य भाषा में शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, राज्य सहायता से संबंधित भाग को छोड़कर, यह सिफारिश संविधान की धारा 350-क और त्रिभाषा सूत्र का एक पुनः विवरण है। यह रा० शि० नी० मू० सं० रिपोर्ट के 11 और 12 अध्यायों "शिक्षा में भाषाएं" और "शिक्षा की प्रक्रिया और विषयवस्तु" भी सम्मिलित हैं। यह सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया है कि अल्पसंख्यकों सहित सभी बच्चों के लिए पूर्व प्राथमिक व प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में निर्देश देने के लिए तथा माध्यमिक स्तर पर क्षेत्रीय भाषा में निर्देश देने के उचित प्रबंध किए जाने चाहिए। इस बात को जानते हुए कि शिक्षा का माध्यम सामान्य स्कूल पद्धति की प्राप्ति में मुख्य रुकावट हैं, हमने पूर्व प्राथमिक व प्राथमिक स्तरों पर शिक्षा का माध्यम केवल मातृभाषा होने की व्यवहार्यता पर विचार किया है। अतः केवल उन बच्चों को छोड़कर जिनकी मातृभाषा अंग्रेजी है, पूर्व प्राथमिक व प्राथमिक स्तरों पर शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी नहीं होना चाहिए। पूर्व प्राथमिक व प्राथमिक स्तर पर निर्देश के लिए विदेशी भाषा का प्रयोग कोई अर्थ नहीं रखता तथा बच्चों की सृजनशीलता व हमारी राष्ट्रीय पहचान को बहुत हानि पहुँचाता है। तथापि अधिकतर लोगों का विचार है कि लक्ष्य का उपयुक्त समय नहीं है कि पूर्ण प्राथमिक व प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम केवल मातृभाषा निर्धारित की जाए।

6.6 संक्षेप में, सामान्य स्कूल पद्धति के संबंध में राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 व राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए प्रभावशाली उपाय उठाने की आवश्यकता है। इसके लिए सामान्य स्कूलों की कोटि में सुधार करके तथा अध्ययन का न्यूनतम स्तर प्राप्त करने के लिए सुविधाएं प्रदान करके स्कूलों के बीच विषमताओं को शीघ्रताशीघ्र समाप्त किया जाना चाहिए। इस संबंध में केन्द्र व राज्य दोनों को दृढ़ कार्रवाई करनी होगी।

सुविधाप्राप्त स्कूलों को अन्य संस्थानों के साथ अपनी सुविधाओं व संसाधनों को बांटकर, सामुदायिक कार्रवाईयां शुरू करके तथा असुविधाप्राप्त वर्ग के बच्चों को सुविधाएं प्रदान करके सामाजिक जवाबदेही को स्वीकार करना होगा।

अध्याय 7

नवोदय विद्यालय

7.1 राष्ट्रीय शिक्षा नीति की समीक्षा समिति के सदस्यों का निश्चित रूप में इस योजना से तीव्र मतभेद है; ये मतभेद सिफारिश में प्रतिबिम्बित होते हैं। ये सिफारिश संशयपूर्ण लगते हैं तथा इनमें विशिष्टता का अभाव है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की समीक्षा समिति ने इस योजना के पक्ष और विपक्ष में मुद्दों का विस्तार से उल्लेख किया है तथा इसने तीन विकल्पों सहित एक सिफारिश (सिफारिश सं० 103) प्रस्तुत की है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की समीक्षा, समिति ने ऐसा उल्लेख नहीं किया है कि इन तीन विकल्पों में किसको प्राथमिकता दी जाए।

7.2 इस योजना की आलोचना करने वाले सदस्यों के साथ विचार-विमर्श किए गए मुख्य मुद्दे निम्नलिखित हैं :-

- (i) योजना की लागत की अधिकता और तुलनात्मक रूप से कम छात्रों पर अधिक धन व्यय करने की अनुपयुक्तता;
- (ii) वस्तुतः यह योजना, हो सकता है, कुछ विशेषाधिकार प्राप्त लोगों के लाभ के लिए कार्य कर रही हो। दाखिला परीक्षाओं की वैधता और विश्वसनीयता संदेहपूर्ण है;
- (iii) यह एकमात्र ऐसी प्रणाली है जो लम्बे समय से अपनाई जा रही सामान्य स्कूल प्रणाली के प्रतिकूल है;
- (iv) विज्ञान को अंग्रेजी माध्यम से तथा सामाजिक अध्ययनों को हिंदी माध्यम से पढ़ाना शिक्षा शास्त्र के दृष्टिकोण से अच्छा नहीं है;
- (v) स्कूली शिक्षा में केन्द्र सरकार के कार्य करने की वैधता;
- (vi) नवोदय विद्यालय से आशा की जा रही गति-निर्धारण की भूमिका अदा करने में इसकी अनिच्छा।

7.3 इस योजना के पक्ष में जिन मुद्दों का निष्कर्ष निकाला गया है, वे निम्नलिखित हैं :-

- (i) विद्वानों के विद्वेष के आधार पर नवोदय विद्यालय के विषय में कोई निर्णय लेना अनुचित होगा।
- (ii) कार्यात्मक खामियां, यदि कोई हों, उदाहरणार्थ, अच्छे

परिवारों के छात्रों के प्रति तथा कथित झुकाव, को दूर किया जा सकता है।

- (iii) प्रतिभावान बच्चों के लिए आवासीय स्कूलों का प्रावधान आस-पास के स्कूलों के मामलों से प्रतिस्पर्धा नहीं करता है। यदि प्रतिभावान ग्रामीण बच्चों में से कुछ बच्चों को अच्छे आवासीय स्कूलों में जाने का अवसर प्रदान किया जाता है तो इससे कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं होगा।
- (iv) शैक्षणिक उपलब्धियों के वर्तमान स्तर में सुधार लाने के लिए विभिन्न स्तरों पर पहल करने की आवश्यकता है; नवोदय विद्यालय की योजना एक ऐसी ही पहल है।
- (v) नवोदय विद्यालय जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान, राज्य शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद तथा जिले के स्कूलों से संबंधों का विकास कर सकते हैं और यह असाधारण अध्ययन के स्रोत के महत्वपूर्ण केन्द्रों के रूप में उभर सकता है।
- (vi) किसी भी योजना के शुरू होने के बाद इतने कम समय में उस योजना का मूल्यांकन करना अनुचित है, यह तब और भी अनुचित है जब अपेक्षित संसाधन उपलब्ध न कराए गए हों।

7.4 राष्ट्रीय शिक्षा नीति की समीक्षा समिति द्वारा पारित किये गए तीन विकल्प निम्नलिखित हैं :-

- (i) कोई और नवोदय विद्यालय खोलने की आवश्यकता नहीं है। वर्तमान 261 नवोदय विद्यालयों को पुनर्गठित किया जा सकता है, इन्हें पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराये जा सकते हैं तथा इन्हें जारी रखा जा सकता है। इन योजना की समीक्षा 1992-93 में की जा सकती है। पुनर्गठन में निम्नलिखित को शामिल किया जाना चाहिए :-
 - (क) प्रतिभा को फिर से परिभाषित करना,
 - (ख) चयन प्रक्रिया को और अधिक व्यापक बनाना,

(ग) नवोदय विद्यालयों की जीवन-शैली और मूल्यांनमुखता में परिवर्तन करना,

(घ) दाखिला के लिए आय सीमा निर्धारित करना, और

(ङ) ऐसे जिलों के छात्रों के दाखिले के लिए प्रावधान करना जहां नवोदय विद्यालय नहीं हैं।

ii) आन्ध्र प्रदेश के आवासीय स्कूलों के माडल के आधार पर 261 नवोदय विद्यालयों को राज्यों को चलाने हेतु स्थानांतरित करना। इसका यह आशय होगा कि उन छात्रों से शुल्क वसूला जाए जो देने में सक्षम हैं।

(ii) नवोदय विद्यालयों को वृहद प्रतिभा को शिक्षित करने तथा गति निर्धारित करने वाली संस्थाओं में परिवर्तित करना। इस विकल्प का आशय ऐसा प्रतीत होता है कि प्रमुख रूप से दिन में चलने वाले स्कूल (लीड-डे-स्कूल) जो केवल किसी विशेष गांव अथवा समुदाय की सेवा करते हैं, सहित बाल भवन और जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान के कार्यों को एक जगह पर एकत्र करना है। यदि ऐसा है, तो इसके बहुत ही जटिल और खर्चीला होने की संभावना है। विभिन्न मतभेदों पर सावधानीपूर्वक विचार किया है।

7.5 हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि यह योजना चलती रहनी चाहिए तथा मौलिक अभिकल्पना के अनुरूप प्रत्येक जिले में एक नवोदय विद्यालय स्थापित किया जाना चाहिए। फिर भी हम निम्नलिखित सुझाव देंगे :-

i) योजना को यथा संभव लागत प्रभावी बनाने हेतु इसकी निरन्तर समीक्षा की जानी चाहिए,

(i) आवधिक मूल्यांकन और दाखिला प्रक्रिया में समुचित संशोधनों के द्वारा दाखिला परीक्षा की चल रही वैधता और विश्वसनीयता को सुनिश्चित किया जाए, और

(ii) इन संस्थाओं की गति-निर्धारित करने वाली भूमिका पर और अधिक विशेष ध्यान दिया जाए।

7.6 इस निष्कर्ष पर आते हुए हम इस तथ्य को नोट करते हैं कि नवोदय विद्यालय के 40% छात्र गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवारों से आते हैं, 60 प्रतिशत छात्र प्रथम पीढ़ी के नौसिखिए हैं, 30 प्रतिशत लड़कियां हैं, 19 प्रतिशत अनुसूचित जाति से तथा 11 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति से हैं। नवोदय विद्यालय के छात्रों द्वारा दी गई प्रथम बोर्ड परीक्षा अर्थात् कक्षा x सी० बी० एस० ई० परीक्षा, 1991 का शैक्षिक परिणाम बहुत अच्छा था। छात्रों का गठन तथा कक्षा x का परीक्षा परिणाम इस बात को प्रतिबिंबित करता है कि उपेक्षित ग्रामीण परिवारों के प्रतिभावान बच्चों को गुणवत्ता शिक्षा प्रदान करने

का लक्ष्य पूरा हो रहा है। चयन प्रक्रिया की वैधता और विश्वसनीयता संपूर्ण योजना की आत्मा तक जाती है, अतः हम दाखिला परीक्षा के आवधिक मूल्यांकन और उपचारात्मक उपायों के कार्यान्वयन की वकालत करते हैं।

7.7 हम ने यह भी पाया है कि प्रति छात्र लागत "पब्लिक स्कूलों" जो अधिकांशतः शहरी बच्चों को शिक्षित करते हैं, की लागत की तुलना में युक्तियुक्त है। फिर भी, इस योजना को यथासंभव लागत प्रभावी बनाने हेतु सतत प्रयास करने की आवश्यकता है। समानता के प्रश्न पर हमने काफी जोर दिया है और यही वह प्रमुख कारण है कि जिसके चलते कुछ लोग इस योजना के साथ चलने में अपने आप को असमर्थ पाते हैं। इस बात का खंडन नहीं किया जा सकता कि प्रतिभावान बच्चों को गुणवत्ता शिक्षा के लिए विशेष सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए। समानता का यह मतलब नहीं हो सकता कि सभी व्यक्ति संसाधन, योग्यता और गुणवत्ता में एक समान हो सकते हैं या हैं। जहां तक दाखिला परीक्षा में उपेक्षित परिवारों के बच्चों के साथ भेदभाव नहीं होता है तथा यह योग्यता की वैध परीक्षा है, ऐसा नहीं सोचा जा सकता कि समानता के सिद्धांत का उल्लंघन हो रहा है।

7.8 हमारे दृष्टिकोण में इस योजना की सबसे आकर्षक विशेषता देश के एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में छात्रों का प्रव्रजन है। हम में से कुछ लोगों को नवोदय विद्यालयों का व्यक्तिगत रूप से दौरा करने और ऐसे छात्रों से मिलने का अवसर प्राप्त हुआ है जो देश के दूसरे क्षेत्रों से प्रव्रजन करके आये हैं। हम साक्ष्य दे सकते हैं कि ऐसे प्रव्रजन नवोदय विद्यालय के छात्रों और शिक्षकों में राष्ट्रीय दृष्टिकोण को विकसित करने तथा नवोदय विद्यालय के आस-पास के क्षेत्रों के अत्यधिक विषमता वाले समुदायों में जागरूकता उत्पन्न करने में तथा भारतीय संस्कृति और राजनीति में एकता स्थापित करने में बहुत काफी योगदान किया है। परीक्षा की इन घड़ियों में राष्ट्रीय एकता के महत्व को अतिरंजित नहीं किया जा सकता है। यह योजना धीरे-धीरे ऐसे सुशिक्षित लोगों के समूह को तैयार करेगी जो एक ऐसे माहौल में पला होगा जो राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय आदर्शों और हमारे संविधान के प्रति श्रद्धा को बढ़ावा देने वाला होगा और जो एक ऐसी पृष्ठभूमि से काफी मात्रा में लिए गए ग्रामीण समुदाय और समाज के उपेक्षित समुदाय के प्रति संवेदनशील होंगे। यह समूह, जो वर्षानुवर्ष बढ़ता ही जाएगा, राष्ट्र के लिए शक्ति का बहुत बड़ा स्रोत हो सकता है। नवोदय विद्यालयों की भाषा नीति और केंद्रीय प्रबंधन इस लक्ष्य को बढ़ावा देने के लिए तैयार किया गया है। यदि इस योजना को राज्यों को हस्तांतरित कर दिया जायेगा तो एकरूपता और निरन्तरता को सुनिश्चित कर पाना दुष्कर हो जाएगा। इसके अतिरिक्त योजना

वित्तीय और अन्य विवशताओं का शिकार हो जाएगी। जिससे कई राज्यों में शैक्षिक प्रणाली में बाधा उत्पन्न हो जाएगी। हम लोगों ने इस तथ्य को भी नोट किया कि लगभग सभी राज्यों द्वारा इस योजना का लाभ उठाने के प्रति गहन रुचि दर्शाई गई है तथा और अधिक नवोदय विद्यालय खोलने के लिए मांग बढ़ती जा रही है।

7.9 हमारा ऐसा अभिमत है कि जब एक बार आवश्यक सुविधाओं और निवेश सहित सभी जिलों में नवोदय विद्यालय स्थापित हो जाएं तो इस योजना के भविष्य के कार्यक्रम के बारे में सोचना शुरू कर देने की आवश्यकता है। नई संस्थाओं को स्थापित करने और वर्तमान संस्थाओं में सुविधाओं का विस्तार करने में से किसी एक का चयन किया जाना है। ऐसे छात्र, जो नवोदय विद्यालयों से उत्तीर्ण हो जाते हैं, उनकी उच्च शिक्षा संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए योजना तैयार करने की शुरुआत करनी है।

7.10 अपने विचार-विमर्श के दौरान हमें ऐसे उपायों के बारे में सूचित किया गया जिन्हें नवोदय विद्यालयों की गति निर्धारित करने वाली भूमिका को प्रोन्नत करने के लिए शुरू किया जा रहा है - उदाहरणार्थ

स्कूलों के आस-पास साक्षरता अभियान चलाना, सामुदायिक स्वास्थ्य सेवाओं और जिले के अन्य संस्थाओं के साथ नेटवर्क शुरू किया जा रहा है। हम गति निर्धारित करने वाली भूमिका को काफी महत्व देते हैं, जो इस योजना का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है तथा जो नवोदय विद्यालयों की लागत को प्रभावी बनाएगी। इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में और अधिक प्रयास अवश्य ही किए जाने चाहिए।

7.11 तथापि हममें से कुछ विशेषरूप से निम्नलिखित विचारों के आधार पर नवोदय योजना में अन्तर्निहित संकल्पना का समर्थन नहीं कर सकते -

- (i) यह असमान है।
- (ii) प्राथमिक स्कूलों में न्यूनतम सुविधाओं के प्रावधान जैसी अधिक आवश्यक प्राथमिकताएं हैं।
- (iii) सभी स्तरों पर शिक्षा का माध्यम मातृभाषा अथवा क्षेत्रीय भाषा होना चाहिए।
- (iv) माध्यमिक शिक्षा के प्रबंध को राज्यों पर छोड़ दिया जाना चाहिए।

प्रारंभिक शिशु देखभाल और शिक्षा

8.1 राष्ट्रीय शिक्षा नीति मूल्यांकन समिति ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 का एक ऐतिहासिक दस्तावेज माना क्योंकि पहली बार एक नीति दस्तावेज ने प्रारंभिक शिशु देखभाल और शिक्षा (ई० सी० सी० ई०) के महत्व को निर्भीक रूप से स्वीकार किया तथा पूर्ण रूप से उन सिद्धांतों का निर्धारण किया जिन पर कार्यक्रम का विकास होना था। रा० शि० नी० मू० सं० ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति की प्रारंभिक शिशु देखभाल और शिक्षा की परिकल्पना को मानव संसाधन विकास की नीति के एक महत्वपूर्ण निवेश, प्राथमिक शिक्षा के एक पोषक तथा सहायक कार्यक्रम तथा समाज के वंचित वर्गों की कार्यरत महिलाओं के लिए एक सहायक सेवा के रूप में पुनः सुस्पष्ट किया है।

8.2 रा० शि० नी० मू० सं० की निम्नलिखित तीन सिफारिशें नीति से संबंधित हैं

- (i) संविधान के अनुच्छेद 45 के कार्यक्षेत्र का विस्तार करना ताकि प्रारंभिक बाल देखभाल और शिक्षा (ई० सी० सी० ई०) को शामिल किया जा सके (सिफारिश सं० 104)
- (ii) प्रा० बा० के० शि० न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम में शामिल करना (सिफारिश सं० 106)
- (iii) प्रारंभिक शिशु देखभाल और शिक्षा स० बा० वि० मो० तथा अन्य संबंधित केन्द्र प्रायोजित योजनाओं को वर्तमान चरण पूरा होने के बाद राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों को हस्तांतरण। (सिफारिश सं० 127)।

अनुच्छेद 45

8.3 रा० शि० नी० मू० सं० ने संविधान के अनुच्छेद 45 की एक नवीन रूप से व्याख्या की है। इसमें ये माना है कि इस निदेशात्मकसिद्धांत की निरन्तर संकुचित रूप से व्याख्या की गई थी क्योंकि इसे सिर्फ छः वर्ष से ऊपर की आयु के बच्चों की शिक्षा के लिए उपयुक्त माना गया है तथा यह स्वीकार करने में अभी भी विलंब नहीं है कि चूंकि देखभाल तथा शिक्षा जन्म से आरंभ हो जानी चाहिए, अतः प्रारंभिक शिशु देखभाल और शिक्षा 14 वर्षों की आयु तक निःशुल्क तथा

अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के संवैधानिक प्रावधान का भाग थी। (सिफारिश सं० 104) रा० शि० नी० मू० सं० के अनुसार, संविधान के अनुच्छेद 28 (च), 46 तथा 47 इसकी व्याख्याओं का समर्थन करते हैं। फलतः रा० शि० नी० मू० सं० ने सिफारिश की कि अनुच्छेद 45 के कार्यक्षेत्र का विस्तार किया जाना चाहिए ताकि प्रारंभिक शिशु देखभाल और शिक्षा को शामिल किया जा सके। जबकि व्याख्या से अलग हटते हुए जो कि निरन्तर मानी जा रही थी रा० शि० नी० मू० सं० द्वारा की गई नवीन व्याख्या के आशयों को ध्यान में रखना आवश्यक होगा। राष्ट्र पूर्ण रूप से तथा राज्य सरकारें विशेषकर 6 से 14 आयु वर्ग के लिए प्रारंभिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण की उपलब्धि के लिए अभी भी प्रयत्नशील हैं। 10-6 वर्ग हेतु अनिवार्य तथा निशुल्क प्रारंभिक शिशु देखभाल और शिक्षा की अतिरिक्त जिम्मेवारी एक अयथार्थवादी लक्ष्य होगा जो कि निकट भविष्य में प्राप्त करना मुश्किल-बल्कि असंभव होगा। रा० शि० नी० मू० सं० ने स्वयं ही पैरा 5.11.0 में प्रारंभिक शिशु देखभाल और शिक्षा के सर्वसुलभीकरण के लिए आवश्यक संसाधनों की अधिकता को नोट किया तथा निष्कर्ष निकाला कि ऐसे विशाल संसाधनों को उपलब्ध करवाने के लिए सरकार पर काल्पनिक रूप से निर्भर नहीं किया जा सकता। रा० शि० नी० मू० सं० के अनुसार, अधिक सीमित क्षेत्र के लिए संसाधन उपलब्ध करवाना जिनकी कार्रवाई योजना में परिकल्पना की गई है मुश्किल होगा तथा गैर सरकारी संसाधनों को प्रेरित करना आवश्यक होगा। रा० शि० नी० मू० सं० ने कार्रवाई योजना में सुझाये गए क्षेत्रों का ठोस रूप से समर्थन किया जैसे, छः वर्ष की आयु से नीचे के कम से कम 70% बच्चों को सन् 2000 तक अनिवार्य सेवाओं का पैकेज उपलब्ध करवाया जाना चाहिए (सिफारिश सं० 136 से 140) हमने महसूस किया कि नीति में उच्च लक्ष्यों को निर्धारित करना जो व्यवहार्य से अधिक हो बुद्धिमानी नहीं होगी। अतः हम महसूस करते हैं कि अनुच्छेद 45 में प्रारंभिक शिशु देखभाल और शिक्षा को शामिल करना असामाजिक होगा तथा सुझाव देते हैं कि सरकार को कार्रवाई

योजना में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सशक्त रूप से प्रयास करना चाहिए। हम यह जोरदार रूप से सिफारिश करते हैं कि क्षेत्र के विस्तार के समय वंचित वर्गों पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए जिसका कार्रवाई योजना में सुझाव दिया गया है (पैरा 7 अध्याय 1) तथा रा० शि० नी० मू० सं० द्वारा दोहराया गया है। (सिफारिश सं० 116) (iv)

(एम० एन० पी०) न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम

8.4 प्रारंभिक शिशु देखभाल और शिक्षा को एम० एन० पी० में शामिल करने की रा० शि० नी० मू० सं० सिफारिश संविधान के अनुच्छेद 45 की व्याख्या के अनुरूप हैं। हम आशा करते हैं कि जब न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम का संशोधन होगा योजना आयोग द्वारा इस सिफारिश पर विचार किया जाएगा।

स० बा० वि० यो०

रा० शि० नी० मू० सं० ने प्रारंभिक शिशु देखभाल और शिक्षा के लिए स० बा० दे० शि० की योजना तथा अन्य केन्द्र प्रायोजित योजनाओं को वर्तमान चरण के पूर्ण होने के उपरान्त राज्यों को हस्तांतरण की तथा आंगनवाड़ी एवं अन्य प्रा० बा० दे० शि० केन्द्रों के प्रबंधन को विशेषकर महिलाओं के स्वैच्छिक संगठनों, स्थानीय समुदायों दलों, को सौंपने की सिफारिश की। इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए रा० शि० नी० मू० सं० निसंदेह के प्रा० यो० के साथ साथ रा० बा० शि० यो० केन्द्रों के अध्ययन के प्रति अपने सामान्य दृष्टिकोण से प्रोत्साहित था। रा० शि० नी० मू० सं० ने यह नोट किया कि स० बा० वि० यो० ने अनम्यता, नौकरशाही, निम्न प्रदर्शन, सामूहिक सहभागिता की कमी तथा स्थानीय आवश्यकताओं, आदर्शों तथा सामाजिकसांस्कृतिक परिस्थितियों के प्रति असंवेदनशीलता की विशिष्टता अर्जित कर ली हैं। रा० शि० नी० मू० सं० ने यह भी नोट किया कि सिद्धांत रूप से, स० बा० वि० यो० के अन्दर व्यापक विविधता तथा स्थितियों की जटिलता, जिसका इसको सामना करना पड़ता है, के प्रति बहुविध माडलों तथा दृष्टिकोण में लचीलापन की गुँजाइश है। रा० शि० नी० मू० सं० ने स० बा० वि० यो० की मुख्य भूमिका की भी परिकल्पना की है, जो अन्ततः प्रा० सं० स० यो०, स्थानीय समुदायों तथा महिलाओं के दलों को अनिवार्य निधि प्रदान करके सहायता करेगा तथा स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार प्रारंभिक शिशु देखभाल और शिक्षा उपलब्ध करवाएगा। विकेन्द्रीयकृत तथा सहभागी प्रबंध की वकालत करते हुए रा० शि० नी० मू० सं० की टिप्पणियां प्रकट रूप से राष्ट्रीय शिक्षा नीति द्वारा निर्धारित सिद्धांत कि स्थानीय समुदायों को प्रारंभिक शिशु देखभाल और शिक्षा में शामिल किया जायेगा, के अनुरूप हैं। जो महत्वपूर्ण है वह यह है कि प्रारंभिक शिशु देखभाल और शिक्षा जैसे अनिवार्य

क्षेत्रों में संघ तथा राज्यों के मध्य राष्ट्रीय उद्देश्यों को पूरा करने के लिए एक अर्थपूर्ण साझेदारी होनी चाहिए। संघ को संसाधन सहायता उपलब्ध करानी चाहिए तथा राज्यों को नीति तथा कार्यक्रमों के सूत्रीकरण तथा कार्यान्वयन में अनवरत आधार पर सम्बद्ध करना चाहिए। संघ तथा राज्यों दोनों के लिए अनुवीक्षण तथा मूल्यांकन पद्धतियों को सुदृढ़ करना भी अनिवार्य होगा ताकि लागत प्रभावकारी कार्यक्रम निष्कर्ष परिणाम प्राप्त किए जा सकें। यह मानते हुए कि रा० शि० नी० मू० सं० ने स्वयं ही स० बा० वि० यो० की सम्भावित नम्यता तथा राज्यों को अपरिवर्तनीय तथा उत्तरदायित्व के प्रतिबन्धनों सहित अतिरिक्त धनराशि के उपलब्ध करवाने की अत्यावश्यक आवश्यकता को स्वीकार किया है, हम महसूस करते हैं कि प्रारंभिक शिशु देखभाल और शिक्षा के क्षेत्रों में स० बा० वि० यो० तथा अन्य के० प्रा० यो० के संबंध में वर्तमान प्रबंधन जारी रहें। हमने नोट किया है कि रा० वि० दे० ने 23 तथा 24 दिसम्बर, 1991 को आयोजित अपनी 43 वीं बैठक में प्रा० बा० दे० संबंधी रा० वि० प० समिति की इस सिफारिश को कि स० बा० वि० यो० को प्रा० दे० यो० के रूप में आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जारी रहना चाहिये, का समर्थन किया है। साथ साथ हम जोरदार रूप से सिफारिश करेंगे कि महिला तथा बाल विकास विभाग को राज्यों के विचार विमर्श से इन योजनाओं की विस्तृत समीक्षा करनी चाहिए ताकि कार्रवाई योजना प्रावधानों तथा रा० शि० नी० मू० सं० की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए योजना का कार्यान्वयन सरल हो सके।

हम उन आंगनवाड़ी कार्मिकों के लिए एक व्यापक भूमिका की परिकल्पना करते हैं जिन्हें महिलाओं और बच्चों के लिए अनेक कार्यकलापों तथा सहयोगी सेवाओं के वास्ते केन्द्रीय बिन्दु होना चाहिए, जैसे शिशु देखभाल, परिवार कल्याण, पोषण तथा स्वास्थ्य। आंगनवाड़ी वर्कर्स की भर्ती और प्रशिक्षण की व्यवस्था इस प्रकार की जानी चाहिए जिससे कि यह सुनिश्चित हो सके कि उन्हें अपनी विस्तारित भूमिका के निर्वाह के लिए अपेक्षित कौशल और प्रेरणा प्राप्त हो सके।

कार्यान्वयन की क्रियाविधियां

8.6 राष्ट्रीय शिक्षा नीति संबंधी पुनरीक्षा समिति ने प्राथमिक शिशु देखभाल और शिक्षा के कार्यान्वयन की बारीकियों पर विस्तृत विचार-विमर्श किया है

जिनमें निम्न शामिल हैं :-

- (i) प्रारम्भिक शिशु देखभाल और शिक्षा के वैकल्पिक नमूनों का विकास और प्रशिक्षण।

- (ii) प्रारम्भिक शिशु देखभाल और शिक्षा की पाठ्यचर्या और अन्तर्वस्तु ।
- (iii) प्रारम्भिक शिशु देखभाल और शिक्षा कार्यक्रमों में बच्चे के प्रति वयस्कों का स्वीकार्य अनुपात ।
- (iv) प्रारम्भिक शिशु देखभाल और शिक्षा कार्मिकों की सेवा शर्तें, प्रशिक्षण तथा कार्मिक तैयार करना ।
- (v) प्रारम्भिक शिशु देखभाल और शिक्षा तथा प्राथमिक शिक्षा के बीच संबंध ।
- (vi) प्रारम्भिक शिशु देखभाल और शिक्षा की आयोजना और कार्यान्वयन में स्थानीय समुदायों को सहयोजित करना ।
- (vii) एकीकृत बाल विकास योजना का कार्यान्वयन ।

8.7 राष्ट्रीय शिक्षा नीति संबंधी पुनरीक्षा समिति की एकीकृत बाल विकास योजना को राज्यों में अंतरित किये जाने संबंधी सिफारिश को छंडकर बाकी सिफारिशें मोटे तौर पर कार्रवाई योजना के प्रावधानों का पुनःकथन तथा निरूपण ही हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति संबंधी पुनरीक्षा समिति की मुख्य चिन्ताएं इस कारण उत्पन्न हुई हैं कि कार्यान्वयन, नीति के अनुरूप नहीं हो पाया और यह भी भारत सरकार से लेकर क्षेत्र तक के विभिन्न स्तरों पर विभिन्न एजेंसियों के बीच जो समन्वय रहा, अपर्याप्त था। फलतः राष्ट्रीय शिक्षा नीति संबंधी पुनरीक्षा समिति ने कार्यक्रम के सभी पहलुओं को शामिल करते हुए कार्यसंचालन संबंधी अनेक ब्यौरे प्रस्तुत किये। राष्ट्रीय शिक्षा नीति संबंधी पुनरीक्षा समिति ने प्रारम्भिक शिशु देखभाल और शिक्षा के सभी पहलुओं की बाबत सूचित करने के लिए विविधता, नमनशीलता, और डिजाइन के सिद्धान्त की आवश्यकता पर अत्यधिक बल दिया है। कार्य योजना की इस सिफारिश पर बल देते हुए कि प्रारम्भिक शिशु देखभाल और शिक्षा के कार्यान्वयन की समग्र जिम्मेदारी केंद्र और राज्य स्तरों पर महिला तथा बाल विकास विभागों को सौंपी जानी चाहिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति संबंधी पुनरीक्षा समिति ने केंद्र और राज्यों दोनों में, एक ओर तो महिला और बाल विकास विभाग और दूसरी ओर शिक्षा विभाग के बीच गहरे समन्वय पर अत्यधिक बल दिया था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति संबंधी पुनरीक्षा समिति ने यह भी सिफारिश की थी कि केंद्रीय और राज्य स्तरों पर अंतर-मंत्रालयीय समितियों जैसे संस्थागत तंत्र स्थापित किए जाने चाहिए जिससे कि ये समितियां शिशु देखभाल और शिक्षा कार्यक्रमों के आयोजन, अनुश्रवण और समन्वय में

महिला तथा बाल विकास विभाग की मदद कर सकें। राष्ट्रीय शिक्षा नीति संबंधी पुनरीक्षा समिति ने कार्य योजना में सुझाये अनुसार बाल देखभाल सेवाओं के एक राष्ट्रीय नेटवर्क के निर्माण के लिए 10 वर्षीय कार्य तथा आवंटन योजना तैयार करने का भी सुझाव दिया था। हमारी राय में समुचित आयोजना, अनुश्रवण, मूल्यांकन और समन्वय तथा समाज को सहयोजित करने के महत्व के संबंध में अधिक कहे जाने की आवश्यकता नहीं हैं। अंतर विभागीय समन्वय की समस्या के समाधान की ओर विशिष्ट और गंभीर ध्यान दिया जाना जरूरी है। हमारा यह सुझाव है कि कार्य योजना संशोधित करते समय राष्ट्रीय शि० नी० संबंधी पुनरीक्षा समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखा जाए और यह कि संबंधित एजेंसियों को प्रारम्भिक शिशु देखभाल और शिक्षा के कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए प्राभावी उपाय तैयार और लागू करने चाहिए।

8.8 संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि-

- (i) संविधान के अनुच्छेद-45 के सीमा क्षेत्र का विस्तार किये जाने की आवश्यकता नहीं है।
- (ii) एकीकृत बाल विकास योजना तथा प्राथमिक शिशु देखभाल और शिक्षा से संबंधित अन्य केंद्र प्रायोजित योजनाएं 8वीं पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं के रूप में जारी रखी जानी चाहिए। आंगनवाड़ी वर्कर्स को अब एक विस्तारित भूमिका का निर्वाह करना चाहिए और वे महिला तथा बाल विकास, शिशु देखभाल, परिवार कल्याण, पोषण तथा स्वास्थ्य जैसी अनेक क्रियाकलापों और इसकी सेवाओं के लिए केंद्र बिंदु सरीखी होनी चाहिए। आंगनवाड़ी वर्कर्स की भर्ती और प्रशिक्षण की व्यवस्था इस प्रकार की जानी चाहिए कि यह सुनिश्चित हो सके कि उनके पास अपनी विस्तारित भूमिका निर्वाह करने के लिए अपेक्षित कौशल और प्रेरणा हो।
- (iii) कार्य योजना की समीक्षा करते समय राष्ट्रीय शि० नी० संबंधी पुनरीक्षा समिति की उन अन्य सिफारिशों को ध्यान में रखा जाये जो कि मोटेतौर पर कार्यान्वयन की क्रियाविधियों से जुड़ी हुई हैं।

अध्याय 9

प्राथमिक शिक्षा का सर्वसुलभीकरण

9.1 रा०शि०नी० संबंधी पुनरीक्षा समिति के विचार से हमारी शिक्षा पद्धति की सबसे बुनियादी समस्या यह है कि वह 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के बारे में संवैधानिक निदेश को पूरा करने में निरंतर असफल रही है। प्राथमिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण के लक्ष्य की पूर्ति में असफलता को लेकर रा०शि०नी० संबंधी पुनरीक्षा समिति ने एक व्यापक विश्लेषण करने का प्रयास किया और वह इस नतीजे पर पहुंची कि प्राथमिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण की कार्यनीति में तात्कालिक और आमूल-चूल परिवर्तन किये जाने आवश्यक हैं। विश्लेषण की बुनियादी बात यह थी कि अभी तक इस सच्चाई को स्वीकारने में संकोच होता रहा है कि आधे से अधिक बच्चों तथा दो-तिहाई बालिकाएं शिक्षा के द्वार तक नहीं पहुंच सकी हैं और यह भी कि अब समय आ गया है कि हम इस संकोच से उभरें और जो सच्चाई है उसे इमानदारी से स्वीकार करें जिससे कि समस्या के कारणों के एक निष्ठापूर्ण विश्लेषण की शुरुआत की जा सके। इन तथ्यों के रहते हुए स्वाभाविक हैं कि रा०शि०नी० संबंधी पुनरीक्षा समिति ने अपनी नीति संबंधी परिप्रेक्ष्य और कार्यनीतियों में रा०शि०नी०/कार्य योजना में निहित नीति और कार्यनीतियों के बीच भेद स्थापित करने का प्रयास किया।

संवैधानिक संशोधन

9.2 रा०शि० समिति संबंधी पुनरीक्षा समिति ने यह सुझाया कि संविधान के अधीन प्रत्याभूत मूलभूत अधिकारों में शिक्षा का अधिकार शामिल करने पर विचार किया जाना चाहिए और इस अधिकार की प्राप्ति के लिए सभी आवश्यक सामाजिक-आर्थिक उपाय किये जाने चाहिए। (सिफारिश सं० 145) यद्यपि इस सिफारिश में निहित भावना प्रशंसनीय हैं फिर भी हम यह महसूस करते हैं कि प्राथमिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण के प्रति कानूनी रवैया वाछंतीय नहीं होगा। संवैधानिक प्रतिभूति केवल तभी प्रभावी हो सकती है जब कि देश आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से ऐसी स्थिति में हो कि प्रतिभूति को लागू करने के लिए सभी आवश्यक उपाय कर सके अन्यथा ऐसा

कानून केवल शोभा की वस्तु बनकर रह जायेगा। हम यह महसूस करते हैं कि प्राथमिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण के लक्ष्य की पूर्ति के लिए किसी संवैधानिक संशोधन की उतनी आवश्यकता नहीं है जितनी कि राष्ट्रीय इच्छा शक्ति की अभिव्यक्ति की। "प्रौढ़ और सतत शिक्षा" नामक अध्याय में जो कारण दिये गये हैं उन्हें दृष्टिगत रखते हुए शैक्षिक आयोजना और प्रशासन में प्राथमिकता शिक्षा के सर्वसुलभीकरण और प्रौढ़ शिक्षा को एक साथ सर्वोच्च प्राथमिकता दिया जाना आवश्यक है। हम केंद्र और राज्य सरकारों से आग्रह करेंगे कि वे प्रौढ़ शिक्षा और प्राथमिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता दें और इन दो क्षेत्रों के कार्यक्रमों को वित्तीय, प्रशासनिक और राजनीतिक सभी प्रकार का पूर्ण तथा इन क्षेत्रों को दी गई प्राथमिकता के अनुरूप समर्थन दिया जाये।

रा०शि०नी० संबंधी पुनरीक्षा समिति का परिप्रेक्ष्य

9.3 मौजूदा नीतिगत परिप्रेक्ष्य और कार्यनीतियों के मुख्य दोषों को दूर करने के लिए रा०शि०नी० संबंधी पुनरीक्षा समिति ने निम्न सुझाव दिये हैं -

- (i) पहले नामांकन पर बल दिया जाता था जबकि रा०शि०नी०/कार्य योजना में बल स्कूल में बनाये रखने पर दिया गया जो कि उचित नहीं था। नीति में नामांकन और स्कूल में बनाए रखने - दोनों बातों में सुधार के लिए सतत रूप से प्रयास करने पर बल दिया जाना चाहिए। रा०शि० नीति के पैरा 5.12 में इस प्रयोजन के लिए संशोधन किया जाना चाहिए। [सिफारिश सं० 150-152(क)]
- (ii) शैक्षिक आयोजना में सामाजिक-आर्थिक और सांस्कृतिक तत्त्वों की भूमिका मामूली रही है। स्कूल समाज से कटा हुआ है और सहायक सेवायें तथा शिक्षा एकस्थ नहीं हैं। इसलिए रा०शि०नी० के पैरा 5.5 को इस प्रकार संशोधित किया जाना चाहिए जिससे कि उसमें सेवाओं की पूर्ति (ख) स्कूल और समाज के बीच संबंध तथा (ग) शैक्षिक

आयोजना और प्रबंध के लिए विकेंद्रीकृत और सहभागिता पूर्ण पद्धति के बारे में जिन चिन्ताओं का रा०शि०नी० संबंधी पुनरीक्षा समिति ने उल्लेख किया था, उन्हें शामिल किया जा सके। इसके अतिरिक्त सहभागितापूर्ण और विकेंद्रीकृत पद्धति लागू करने के उद्देश्य से वियुक्त लक्ष्य निर्धारित करने के लिए भी पैरा 5.12 में संशोधन करना आवश्यक होगा। [सिफारिश सं० 146 और 152(ख)]

- (iii) नीति में स्कूल के लिए अतिरिक्त सुविधायें जुटाये जाने को समुचित महत्व देने के साथ स्कूली शिक्षा के स्तर में सुधार लाने के बुनियादी घटकों जैसे कि अध्यापकों, समाज और सामाजिक परिवेश की भूमिका पर भी अत्यधिक बल दिया जाना जरूरी है। (सिफारिश सं० 149)
- (iv) रा०शि०नी०/कार्य योजना के अनुसार अनौपचारिक शिक्षा का एक महत्वपूर्ण समांतर क्षेत्र के रूप में विस्तार किया गया। अनौपचारिक शिक्षा गरीबों के लिए एक प्रकार की दूसरे दर्जे की शिक्षा है। समाधान यह है कि धीरे-धीरे औपचारिक शिक्षा को अनौपचारिक रूप दिया जाये और औपचारिक तथा अनौपचारिक शिक्षा पद्धतियों को इस प्रकार समेकित किया जाये कि उनका संवर्ग, आधारभूत और प्रबंध संरचनाओं से आधारभूत सम्पूर्ण इकाई का निर्माण हो सके। [सिफारिश सं० 152(ग) 153, 154, 155, 162 से 168, 170]
- (v) रा०शि०नी० में शिशु केंद्रित दृष्टिकोण पर बल दिया गया जो कि एक प्रशंसनीय बात थी। लेकिन रा०शि०नी० के पैरा 5.5 में जिस दृष्टिकोण का उल्लेख किया गया है उसमें विसंगतियाँ और दोष हैं और उसका संशोधन किये जाने की आवश्यकता है (सिफारिश सं० 148)

सुलभ बनाना, नामांकन और स्कूल में बनाए रखना

9.4 सुलभ बनाना और नामांकन की समस्याओं के बारे में रा०शि०नी० संबंधी पुनरीक्षा समिति का विश्लेषण बहुत विस्तृत है। इस विश्लेषण में दाखिले से संबंधित आंकड़ों की कमी और दाखिले में लिंग, प्रादेशिकता तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति संबंधी विसंगतियों पर विशेष प्रकाश डाला गया है। इस प्रकार की विसंगतियाँ मौजूदा आंकड़ों में भी हैं, जिनके कारण नामांकन बढ़ा-चढ़ा कर दिखाये जाते हैं। इस विश्लेषण के फलस्वरूप रा०शि०नी० संबंधी पुनरीक्षा समिति इस नतीजे पर पहुंची कि सुलभ बनाना और नामांकन अभी भी मुख्य समस्याएँ बने हुये हैं। यह निष्कर्ष अपने आप में अनिंद्य है किन्तु रा०शि०नी० संबंधी पुनरीक्षा समिति ने कुछ

नया कहने के प्रयास में रा०शि०नी०/कार्य योजना में स्कूल में बनाए रखने के सिद्धान्त पर जो महत्व दिया गया है उसे, कथित रूप से नामांकन की कीमत पर एक मुद्दा बना दिया। रा०शि०नी० संबंधी पुनरीक्षा समिति के इसके प्रतिकूल अभि कथनों के बावजूद हमने यह नोट किया है कि रा०शि०नी०/कार्य योजना में सुलभ बनाने और नामांकन के महत्व को कम नहीं किया गया है। रा०शि०नी० के पैरा 5.5 में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि शिक्षा के क्षेत्र में 14 वर्ष की आयु वर्ग के सभी बच्चों के नामांकन और सभी को स्कूल में बनाये रखने के क्षेत्र ऐसे नये क्षेत्र होंगे जिन पर बल दिया जायेगा। रा०शि०नी० संबंधी पुनरीक्षा समिति ने कार्य योजना पर यह आरोप लगाया कि उसने 1970-79 और 1980-89 के दशकों में दाखिले संबंधी अभियान की सफलता पर अत्यधिक भरोसा किया था। समिति का यह दोषारोपण वस्तुतः सही था क्योंकि वह दाखिले संबंधी आंकड़ों के बारे में शंकालु थी। समिति के इस कथन से यह अविश्वास स्पष्टतः उभर कर आता है कि “नामांकन अपने आप में कोई विशेष महत्व नहीं रखता जबतक कि बच्चे एक साल से अधिक समय तक स्कूल में नहीं बने रहते, उनमें से कई-कई दिनों तक स्कूल में उपस्थित नहीं रहते”। इस अविश्वास के रहते हुए कार्य योजना में दाखिले की जगह स्कूल में बनाए रखने और सभी बच्चों द्वारा कम से कम 5 वर्ष की शिक्षा पूरी किये जाने पर बल दिया गया। यह सोचना कि शुरु में दाखिले के बिना सभी बच्चे 5 वर्ष तक की स्कूल में शिक्षा पूरी कर लेंगे अपने आप में अकल्पनीय बात होगी। कार्य योजना में नामांकन अभियान के स्थान पर सहभागितापूर्ण आयोजना को प्रतिस्थापित करने का प्रयास किया गया जिसमें अध्यापक और ग्रामवासी यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रत्येक बच्चा नियमित रूप से स्कूल में अथवा अनौपचारिक शिक्षा केंद्र में उपस्थित रहता है और कम से कम पांच वर्ष अथवा अनौपचारिक शिक्षा केंद्र में समतुल्य अवधि तक बना रहता है, परिवार-वार तथा छात्रवार कार्य योजना तैयार करेंगे। रा०शि०नी०/कार्य योजना की वास्तविक स्थिति को, रा०शि०नी० संबंधी पुनरीक्षा समिति ने प्राथमिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण का जो समीकरण प्रस्तुत किया है उससे बेहतर ढंग से अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता।

“नामांकन/उपस्थिति/स्कूल में बनाए रखना/उपलब्धि”

9.5 रा०शि०नी०/कार्य योजना की इस बात के लिए प्रशंसा की जानी चाहिए की उसने नीति में बदलाव लाकर निवेशों अर्थात और अधिक स्कूल और अधिक अध्यापकों की व्यवस्था किए जाने जैसी बातों पर बल देने के बजाय परिणामों अर्थात प्रत्येक बच्चे द्वारा कम से कम पांच वर्ष तक या उसके समतुल्य अवधि तक स्कूल में बने रहने पर

बल दिया। रा०शि०नी० और कार्य योजना को समग्र रूप से पढ़ने पर यह स्पष्ट हो जायेगा कि रा०शि०नी० संबंधी पुनरीक्षा समिति की जो चिन्ताएं हैं उनके बारे में रा०शि०नी०/कार्य योजना में पूर्वानुमान लगा लिया गया था। सभी बच्चों के नामांकन और सभी को स्कूल में बनाए रखने के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जिन क्रियाविधियों की रा०शि०नी०/कार्य योजना में परिकल्पना की गई है उनमें विकेंद्रीकरण, शैक्षिक संसाधनों के लिए स्वायत्तता की भावना की उत्पत्ति, संसाधनों के अध्यक्षों की अपेक्षतया महत्वपूर्ण भूमिका, सामाजिक सहयोग, महिलाओं तथा समाज के वंचित वर्गों के हितों की रक्षा शामिल है। इसलिए “सुलभ बनाना, नामांकन और चिन्ताओं” के संबंध में रा०शि०नी० संबंधी पुनरीक्षा समिति की सिफारिशों के संबंध में हमारा सुविचारित दृष्टिकोण यह है कि नीति को और अधिक परिमार्जित करने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता इस बात की है कि रा०शि०नी०/कार्य योजना में कार्यनीति के जिन महत्वपूर्ण घटकों का उल्लेख किया गया है जैसे कि सामाजिक सहयोग, स्कूल मैपिंग और सूक्ष्म आयोजना को बड़े पैमाने पर संचालित किया जाये।

सीखने के स्तर

9.6 हम चाहते हैं कि रा०शि०नी० संबंधी पुनरीक्षा समिति को सीखने के स्तर जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर समुचित ध्यान देना चाहिए था। अभी कुछ समय पहले तक प्राथमिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण की आयोजना में स्कूल सुविधाओं के विस्तार और नामांकन के लक्ष्यों के लिए प्रतिबद्धता ही प्रकट होती थी। स्कूल में उपलब्धि के स्तरों की ओर बहुत कम ध्यान दिया जाता था। रा०शैक्षिक आयोजना और प्रशासन संस्थान द्वारा हाल में किए गए एक अध्ययन से यह पता चला कि जिन स्कूलों का अध्ययन किया गया, उनमें से अधिकांश स्कूलों में पांचवीं कक्षा के छात्र केवल दूसरी कक्षा के लिए सीखने के निर्धारित स्तरों तक ही पहुंच पाए थे। अतः प्राथमिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण को एक ऐसे मिश्रित कार्यक्रम के रूप में देखा जाना चाहिए जिसमें ये बातें शामिल होंगी। (i) 14 वर्ष तक के आयु वर्ग वाले सभी बच्चों के लिए शिक्षा सुलभ करना (ii) जब तक कि औपचारिक अथवा अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रमों के माध्यम से प्राथमिक शिक्षा पूरी नहीं कर लेता तब तक सभी की सहभागिता और (iii) सभी के द्वारा सीखने के न्यूनतम स्तरों की उपलब्धि। प्रयास यह होना चाहिए कि कक्षा I से V तक भाषा, गणित और पर्यावरणीय अध्ययनों संबंधी क्षमताओं की दृष्टि से सीखने के न्यूनतम स्तर प्रस्तुत किये जाएं। सीखने के न्यूनतम स्तरों का निर्धारण मौजूदा स्तरों तथा कुछ समय बाद राष्ट्रीय रूप से स्वीकार्य मानदण्डों के संदर्भ में किया जाये।

अनौपचारिक शिक्षा

9.7 रा०शि०नी०/कार्य योजना तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति संबंधी पुनरीक्षा समिति के बीच भेद का अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र अनौपचारिक शिक्षा है। रा०शि०नी० संबंधी पुनरीक्षा समिति ने यह माना था जो कि सही भी था कि 1986 में पहली बार किसी शिक्षा नीति ने यह स्वीकार किया था कि स्कूल प्रत्येक बच्चे तक नहीं पहुंच सकता और कदाचित इसीलिए प्राथमिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण की दिशा की ओर जाने के उद्देश्य से अनौपचारिक शिक्षा पद्धति के महत्वपूर्ण भूमिका की परिकल्पना की गई थी। जैसा कि रा०शि०नी०/कार्य योजना में कहा गया है, अनौपचारिक शिक्षा में इतनी नमनशीलता होगी जिससे शिक्षु स्वयं अपनी गति से सीख सके और साथ ही उसके सीखने की गुणवत्ता औपचारिक शिक्षा पद्धति के तुलनीय होगी। रा०शि०नी० संबंधी पुनरीक्षा समिति ने अनौपचारिक शिक्षा की जिन महत्वपूर्ण विशेषताओं का उल्लेख किया था वे इस प्रकार हैं : पाठ्यचर्या को शिक्षु और स्थानीय वातावरण की आवश्यकता के साथ जोड़ना, उच्च स्तर की अध्ययन सामग्री विकसित करना, शिक्षु केंद्रित दृष्टिकोण, शिक्षु का सतत मूल्यांकन और अनौपचारिक अनुदेशकों के रूप में ऐसे स्थानीय प्रतिबद्ध व्यक्तियों की नियुक्ति जो समाज में स्वीकार्य हों। इन महत्वपूर्ण विशेषताओं का महत्व स्वीकार करते हुए रा०शि०नी० संबंधी पुनरीक्षा समिति का यह मत था कि ये महत्वपूर्ण विशेषतायें औपचारिक स्कूलों के लिए भी उतनी ही संगत हैं जितनी कि अनौपचारिक शिक्षा पद्धति के लिए और यह भी कि अंतिम विश्लेषण में औपचारिक स्कूलों और अनौपचारिक शिक्षा पद्धति के बीच बुनियादी फर्क केवल समय का है। परिणामतः रा०शि०नी० संबंधी पुनरीक्षा समिति ने यह सोचा कि रा०शि०नी०/कार्य योजना में भी औपचारिक स्कूल पद्धति में ही अनौपचारिक शिक्षा की इन महत्वपूर्ण विशेषताओं को लागू करने की सिफारिश की जा सकती थी, जिससे कि एक समान्तर पद्धति जिसे कि मोटे तौर पर दूसरे दर्जे की पद्धति माना जाता है स्थापित करने की बजाय, स्कूल ही सभी वर्गों के बच्चों की शिक्षा संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें। रा०शि०नी० संबंधी पुनरीक्षा समिति ने जिस कार्यनीति को बेहतर समझा था, उसके अनुसार कतिपय उपायों के माध्यम से धीरे-धीरे स्कूलों को अनौपचारिक रूप दिया जाना था। इन कतिपय उपायों में ये उपाय शामिल हैं : स्कूल के समय में इस प्रकार फेर-बदल करना कि अधिकांश बच्चों के लिए सुविधापूर्ण हो, स्कूल का कैलेण्डर गांवों की सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों के अनुसार समायोजित करना, शिक्षु केंद्रित ऐसा दृष्टिकोण अपनाना जिसमें स्कूल के समय में सहवर्ती कमी की जाये किन्तु सीखने के घंटों में वृद्धि हो “अवर्गीकृत

क्लास रूम" की पद्धति लागू करना जिसमें बच्चे स्वयं अपनी गति वे हिसाब से सीखें और लिखित तथा मौखिक परम्परा को "प्रातःकालीन" तथा "सायंकालीन" स्कूलों के रूप में अलग-अलग करना। राणशिनी संबंधी पुनरीक्षा समिति ने कुछ समय बाद अनौपचारिक तथा औपचारिक शिक्षा पद्धति को एकीकृत करने की सिफारिश की थी जिससे कि उनके संवर्ग, आधारभूत तथा प्रबंध रचनाएं एक समग्र इकाई का रूप धारण कर सकें।

98 यह सिफारिश करने के बाद कि औपचारिक स्कूलों को अनौपचारिक रूप दिया जाये राणशिनी संबंधी पुनरीक्षा समिति ने अध्यापकों की नियुक्ति, स्थान तथा प्रशिक्षण और साथ ही स्कूलों के स्थान को लेकर अपेक्षित परिवर्तनों के बारे में विस्तार से विचार किया। स्थानीय प्राथमिक अथवा मिडिल स्कूल के एक अंग के रूप में "अर्द्ध स्कूल" (पैरा स्कूल्स) चलाए जाने चाहिए जो कि स्विधाविहीन बस्तियों और स्कूल के नियमित घंटों में स्कूल न आ सकने वाले बच्चों की सेवा के लिए होने चाहिए। इन 'पैरा' स्कूलों में शिक्षा मुख्यतः "अर्द्ध अध्यापक" (पैरा टीचर्स) द्वारा दी जायेगी जिनकी निश्चय ही पढ़ाई की जिम्मेदारी की दृष्टि से नियमित अध्यापकों के साथ अदला-बदली की जा सकेगी। संस्था के अध्यक्ष को स्थानीय समाज से अर्द्ध अध्यापकों की भर्ती का अधिकार होगा। अर्द्ध अध्यापक की भर्ती के लिए शैक्षिक अर्हताओं में ढील दी जा सकती है। नियुक्ति के बाद उन्हें परीवीक्षा पर रखा जायेगा और उन्हें एक नियमित स्कूल अध्यापक के वेतन के एक-तिहाई से लेकर आधे तक का वेतन दिया जायेगा। जैसे ही वे अपेक्षित शैक्षिक अर्हताएं प्राप्त कर लेंगे और ये सुनिश्चित कर लेंगे कि समाज के सभी बच्चे जो पहले स्कूलों में दाखिल नहीं थे, उनके दाखिले और उन्हें स्कूल में बनाये रखने की दिशा में ठोस कार्रवाई सुनिश्चित कर ली गई है, वैसे ही वे नियमित अध्यापकों के रूप में नियुक्ति के पात्र होंगे। अर्द्ध-अध्यापकों का प्रशिक्षण स्थानबद्ध नमूने के आधार पर होगा। किसी स्कूल को अनौपचारिक रूप दिये जाने से पहले उसका प्रभावी नियंत्रण किसी समन्वित प्रबंध पद्धति के सुपुर्द किया जायेगा जिसमें स्कूल, ग्राम शिक्षा समिति तथा शैक्षिक परिसर शामिल होंगे।

9.9 अनौपचारिक शिक्षा पद्धति के संबंध में राणशिनी संबंधी पुनरीक्षा समिति की सिफारिशों का केंद्र बिंदु यह विश्वास है कि समुचित तरमीम के बाद स्कूल पद्धति 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों की सीखने संबंधी बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा कर सकेगी। यह विश्वास राणशिनी संबंधी पुनरीक्षा समिति की इस स्वीकृति के बावजूद है कि प्राथमिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण के लक्ष्य की पूर्ति के लिए कार्य नीतियों के मिलेजुले रूप की

आवश्यकता होगी। बाल श्रमिकों के अपने विश्लेषण में राणशिनी संबंधी पुनरीक्षा समिति ने स्कूल बाह्य बच्चों को तीन श्रेणियों में बांटा है और बच्चों की प्रत्येक श्रेणी के लिए अलग कार्यनीति की सिफारिश की है। इस प्रकार 6-10 वर्षों के आयु वर्ग वाले सभी स्कूल-बाह्य बच्चों को जो कि मजदूरी नहीं कर रहे हैं, उन्हें स्कूल-पद्धति में लाया जाएगा, 10-14 वर्ष के आयु वर्ग वाले सभी स्कूल-बाह्य बच्चे जो श्रम बाजार में हैं उन्हें "कार्य के शैक्षिकीकरण" द्वारा कौशलों का प्रशिक्षण दिया जाएगा, 10-14 वर्ष के आयु वर्ग के ऐसे स्कूल-बाह्य बच्चे जो श्रमबाजार में नहीं हैं उन्हें केवल कौशलों का ही प्रशिक्षण नहीं दिया जाएगा बल्कि उन्हें ज्ञान के न्यूनतम स्तर भी प्रदान किए जाएंगे। इस विश्लेषण और अनौपचारिक शिक्षा पद्धति की सिफारिशों को साथ-साथ रखने से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि राणशिनी संबंधी पुनरीक्षा समिति का यह विश्वास था कि अनौपचारिक स्कूल का एक ऐकिक नमूना विभिन्न कार्यनीतियों का समान रूप से समाधान हो सकता है। इसके विपरीत राणशिनी ने एकल संरचना (अर्थात् स्कूल) द्वारा बहुविध कार्यनीतियों के समाधान की व्यवहार्यता पर निर्विवाद रूप से आशंका व्यक्त की थी और एक दोहरी पद्धति जिसमें औपचारिक स्कूल पद्धति तथा विभिन्न नमूनों से युक्त अनौपचारिक शिक्षा की वैकल्पिक पद्धति शामिल हैं, पसन्द की थी। अन्य बातों के समान रहते हुए इन प्रतियोगी नमूनों का जायजा लेने पर जो बुनियादी प्रश्न उठते हैं, वे इस प्रकार हैं-

- ऐकिक नमूना अथवा दोहरी पद्धति - इन दोनों नमूनों में से कौन सा नमूना अधिक प्रभावी तथा व्यवहार्य होगा ?
- इन दोनों में कौन सा नमूना "स्कूल बाह्य" बच्चों तक पहुंचने के लिए अपेक्षित अधिक प्रभावी हो पाएगा।
- कौन सा नमूना अधिक मनशील है और प्राथमिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण के लक्ष्य की पूर्ति की बहुविध कार्यनीतियों को बेहतर ढंग से समायोजित कर सकता है।

9.10 राणशिनी संबंधी पुनरीक्षा समिति ने अर्द्ध-स्कूलों में जो कि प्राथमिक/मिडिल स्कूलों का अभिन्न अंग होंगे बड़ी संख्या में अर्द्ध शिक्षकों की नियुक्ति की सिफारिश की थी। राणशिनी संबंधी पुनरीक्षा समिति का यह विचार है कि अर्द्ध अध्यापक की अवधारणा राजस्थान की सुविधाविहीन बस्तियों तक पहुंचने के लिए आजमाए जा रहे शिक्षा कर्मियों से मिलती जुलती है। गहराई से जांच करने से यह पता चलता है कि इन दोनों अवधारणाओं से समानताएं कम हैं, विषमताएं अधिक हैं।

केवल 2 सामान्य विशेषताएं ये हैं (i) नियुक्ति के लिए न्यूनतम योग्यताएं नियमित अध्यापक से कम हो सकती हैं तथा (ii) भर्ती जहां

तक संभव हो, स्थानीय समुदाय से होगी। शिक्षाकर्मियों को ऐसे गांवों में नियुक्त किया जाता है जहां अध्यापकों की अनुपस्थिति के कारण स्कूल बंद करने पड़ रहे हैं। शिक्षाकर्मी एकक स्कूल के स्थान पर है तथा यह जो शिक्षा प्रदान करता है वह आवश्यक रूप से गैर-औपचारिक स्वरूप की है इसकी तुलना में अर्द्ध शिक्षक किसी स्थानीय प्राइमरी अथवा मिडिल स्कूल में रखा जाएगा। स्कूल का प्रमुख अर्द्ध शिक्षकों की नियुक्ति करेगा, देखरेख करेगा तथा मार्गदर्शन प्रदान करेगा। एन०पी०ई०आर०सी० की रिपोर्ट में अर्द्ध शिक्षकों के चयन में गांव के समुदाय को शामिल किए जाने की सुस्पष्ट व्यवस्था नहीं है, जोकि शिक्षाकर्मी परियोजना की एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है। अर्द्ध शिक्षकों को प्रशिक्षण व्यावहारिक प्रशिक्षण माडल के माध्यम से देते हैं। दूसरी ओर, शिक्षाकर्मियों को सशक्त शिक्षाप्रणाली द्वारा सशक्त बनाया जाता है। इस प्रशिक्षण प्रणाली के अंतर्गत पर्यवेक्षण सहायता तथा ऐसे प्रकार के आवधिक प्रशिक्षण की व्यवस्था है जो नियमित स्कूल के शिक्षकों को प्राप्त नहीं होता है।

9.11 शिक्षाकर्मी एकक एक अच्छा गैर औपचारिक माडल है जिसका विस्तार वहां किया जा सकता है जहां सामुदायिक सहायता तथा सशक्त प्रशिक्षण सहायता प्रणाली जैसी अनुकूल परिस्थितियां विद्यमान हों। तथापि जैसा कि रा०शि०नी०मू० समिति द्वारा सुझाव दिया गया है नियमित स्कूल पद्धति में शिक्षाकर्मियों जैसे अर्द्ध शिक्षकों की नियुक्ति औपचारिक स्कूल को गैर-औपचारिक बनाने की तुलना में किसी अच्छे गैर-औपचारिक माडल को औपचारिक बनाने से कहीं अधिक है जैसा कि रा०शि०नी० मूल्यांकन समिति ने किया। स्कूल प्रणाली में जब किसी एक अर्द्ध शिक्षक की नियुक्ति परिवीक्षा के आधार पर हो जाती है तो उसकी किसी नियमित शिक्षक के साथ अदला बदली हो सकती है किन्तु पर्यवेक्षण और मार्गदर्शन स्कूल के प्रमुख का ही होगा और उसको यह विशेष आश्वासन दिया जाएगा कि उसको एक नियमित शिक्षक के रूप में यथा समय खपा लिया जाएगा बशर्ते कि वह कुछ शर्तों को पूरा करता हो, यह और भी संभव है कि एक अर्द्ध शिक्षक स्वयं को औपचारिक स्कूल प्रणाली का एक अंग समझेगा। अर्द्ध शिक्षकों के लिए सुझाई गई सेवा शर्तों में कानूनी जटिलताएं विद्यमान हैं, नियमित स्कूल प्रणाली में कम वेतन वाले अनुदेशक नियुक्त करने का अनुभव सारे देश में अच्छा नहीं रहा है। ऐसी नियुक्तियों से सदैव बड़े-बड़े मुकदमे इस बात को लेकर चले हैं कि समान कार्य के लिए समान वेतन देने से इंकार किया जा रहा है। अर्द्ध शिक्षक और शिक्षक की तरह से जब नौकरियां परस्पर अदला-बदली के योग्य हों तो यह एक मुख्य मुद्दा बन जाता है कि क्या भिन्न-भिन्न वेतनमान कानूनी रूप से जारी रह सकेंगे।

9.12 रा०शि०नी० मूल्यांकन समिति ने “शिक्षक तथा छात्र” अध्याय में व्यावहारिक प्रशिक्षण माडल पर अपने विचार विस्तार से व्यक्त किए हैं। हमने तदनुसारी अध्याय में व्यावहारिक प्रशिक्षण माडल पर अपनी विस्तृत टिप्पणियां प्रस्तुत की हैं। यहां यह कहना ही पर्याप्त है कि इस समय व्यावहारिक प्रशिक्षण माडल इस सम्बन्ध में सुप्रलेखित अनुभव नहीं है तथा इसको बड़े पैमाने पर अपनाने से पहले इस पर यह विचार किया जा सकता है कि इसके व्यावहारिक पहलुओं पर विशेषज्ञों द्वारा विचार किया जाना चाहिए। समुचित प्रशिक्षण सहायता प्रणाली के बिना अर्द्ध शिक्षकों का काम नहीं चलेगा अतः इसका विकास धीरे धीरे और क्रमिक रूप से किया जाना चाहिए।

9.13 यद्यपि रा०शि०नी०मू०सं के गैर औपचारिक स्कूल के लिए कुछ सुझाव अस्पष्ट हैं (उदारहणतया स्कूल के घंटों में कमी परन्तु अध्ययन घंटों में बढ़ोतरी) तथा कुछ संदेहास्पद वैधता वाले हैं उदाहरणतया ऐसी कक्षाएं जिन्हें कोई श्रेणी नहीं दी गई है तथा “प्रातः कालीन” व “सायंकालीन” कक्षाओं में लिखित व मौखिक परंपरा का पृथक्कीकरण, कई विचार ऐसे हैं जो पिछले चालीस वर्षों से या इससे अधिक से विचाराधीन थे परन्तु व्यावहारिक समस्याओं के कारण अपना स्थान नहीं बना सके। स्कूल को और लचीला बनाना इन सभी वर्षों में शैक्षिक सुधारों की कार्यसूची में रखा जाता रहा है। लचीलेपन में, शैक्षिक प्रशासन का विकेन्द्रीकरण स्थानीय समुदायों को अधिकार देना, शिक्षक सहायता के लिए स्थानीय स्तर की क्षमताएं तैयार करना तथा स्कूलों का पर्यवेक्षण एवं शिक्षक भर्ती नीति में महत्वपूर्ण परिवर्तन तथा शिक्षक को प्रेरणा देना आदि आवश्यक होगा। इन उपायों को सुदृढ़ बनाना बहुत ही आवश्यक है, तथापि किसी को इस बात की अनदेखी नहीं करना चाहिए। स्कूल प्रणाली को अधिक लचीला बनाना, स्कूल को एक संस्था के रूप में परिवर्तन करने की बजाय जैसा कि रा०शि०नी०मू०सं ने इच्छा प्रकट की थी जिसमें बहुत ज्यादा लचीलापन प्रभाविकता तथा बहुविज्ञता हो, अवश्य ही एक लंबी और कठिन प्रक्रिया होगी और हालांकि यह प्रक्रिया चल रही है, उन बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं की उपेक्षा नहीं कर सकता जो स्कूलों में नियमित रूप से नहीं जा सकते जैसे कामकाजी बच्चे, स्थानांतरित बच्चे, घरेलू कार्यों में लगे हुए बच्चे, स्कूल न भेजने की परंपरा के कारण वंचित लड़कियां तथा समाजार्थिक बाध्यताओं के कारण पढ़ाई बीच में छोड़कर जाने वाले बच्चे आदि। रा०शि०नी०मू०सं ने गैर औपचारिक शिक्षा प्रणाली को तेज करने के कोई सुझाव प्रस्तुत नहीं किए हैं। यह नहीं कहा जा सकता कि रा०शि०नी०मू०सं स्कूल के बाहर बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं को भूले हुए हैं। तर्कसंगत निष्कर्ष यह है कि उसके विचार में, स्कूल को गैर औपचारिक बनाने

बा प्रक्रिया सुचारु और तीव्रगामी होगी। सामान्यतः स्कूलों की वर्तमान स्थिति को देखते हुए स्कूल प्रणाली के समक्ष अनेक चुनौतियां हैं उदाहरणार्थ नियमित रूप से स्कूल न जा सकने वाले बच्चों को दखिला प्रदान करके उन्हें शिक्षा में बनाए रखना; आसपास के समुदाय के साथ स्वस्थ तालमेल, बुनियादी ढांचे को उन्नत करना एवं गुणवत्ता व अध्ययन वातावरण में सुधार लाना और यह सुनिश्चित करना कि प्रत्येक छात्र शिक्षा का न्यूनतम स्तर प्राप्त करें। ये चुनौतियां काफी भयंकर हैं तथा यह वांछनीय प्रतीत नहीं होता कि भारी पाशैक्षिक कठिनाईयों के होते बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने की अन्य चुनौती को लेकर स्कूल प्रणाली को बोझिल बनाया जाए। हमारा विचार है कि रा०शि०नी० का दृष्टिकोण अधिक व्यावहारिक एवं वास्तविक है अर्थात् औपचारिक स्कूल को एक रूमा तक लचीला बनाना तथा उससे आगे विकल्प के तौर पर अधिक लचीली गैर औपचारिक शिक्षा प्रणाली पर निर्भर रहना। आने वाले बहुत समय तक इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं है कि पहले दर्जे की गैर औपचारिक शिक्षा का एक बड़ा व सिलसिलेवार कार्यक्रम हो। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि बात का बहुत महत्व है कि औपचारिक प्रणाली का स्तर सभी दृष्टि से औपचारिक स्तर के बराबर होना चाहिए। हमें यह सूचित किया गया है कि शिक्षा विभाग प्रबंध प्रणाली और शिक्षा के वातावरण में सुधार लाने के उद्देश्य से गैर औपचारिक शिक्षा की समीक्षा कर रहा है हम (1) इस क्षेत्र में शीघ्र और प्रभावी कार्रवाई तथा (2) गैर औपचारिक शिक्षा कार्यक्रमों की प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए राज्यों एवं केन्द्र द्वारा संयुक्त रूप से निरंतर व निकट अनुवीक्षण का जोरदार समर्थन करते हैं।

9.14 बाल केन्द्रित दृष्टिकोण पर बल देने के बारे में राष्ट्रीय शिक्षा नीति की सराहना करते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति मूल्यांकन समिति ने मइसूस किया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति

- (i) नीति विवरण ब्यौरा तैयार करने में अधिक सुस्पष्ट होनी चाहिए जैसे (क) प्राथमिक शिक्षा के प्रारंभिक स्तरों पर प्रसन्नता, उल्लास और खोज जैसे तत्वों को शिक्षा का आवश्यक अंग बनाना (ख) शिक्षकों के ऐसे दृष्टिकोण में सुधार लाने के उपाय करना जिससे शारीरिक दंड न्याय संगत सिद्ध हो, और (ग) बच्चों की सुविधानुसार स्कूल को समय ब समय सारिणी निर्धारित करने के उपाय करना
- (ii) कक्षा में न रोकने संबंधी पद्धति अधिक सकारात्मक हो
- (iii) प्राथमिक स्तरों पर प्रभाव-क्षेत्र तथा मनोवैज्ञानिक कौशल की भूमिका पर बल देना, तथा

(iv) इस बात पर बल दिया जाना चाहिए कि प्रथम पीढ़ी के शिक्षकों के अलावा अन्य बच्चों को अपने हिसाब से चलने की अनुमति दी जाए तथा उन्हें प्रतिपूरक सुधारात्मक निर्देश दिए जाएं।

ध्यानपूर्वक विचार करने पर हमने पाया कि संक्षेप में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के पैरा 5.6 तथा सिफारिश सं० 148 में निर्धारित रा०शि०नी० समिति के परिपेक्ष्य के बीच कोई अधिक अंतर नहीं है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने जहां संक्षिप्तता का समर्थन किया है वहां रा०शि०नी० मूल्यांकन समिति ने विस्तार को प्राथमिकता दी है।

9.15 राष्ट्रीय शिक्षा नीति मूल्यांकन समिति ने देखा कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड सराहनीय योजना है क्योंकि यह स्कूलों में सुविधाओं की कमी पर राष्ट्रीय ध्यान केन्द्रित करने में सहायता करती है। तथापि इसमें योजना की रूपरेखा में भी कमियां देखीं विशेष रूप से देश में सभी स्कूलों के लिए अध्यापन व अध्ययन सामग्री की एक समान सूची निर्धारित करने में। केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के संबंध में अपने विचारों को दृष्टिगत रखते हुए जो विकेन्द्रीकरण एवं सहभागी प्रबन्ध संबंधी अध्याय में विस्तृत रूप से उल्लिखित हैं, रा०शि०नी०मू० समिति ने ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को 1992-93 तक ही जारी रखने की सिफारिश की है। रा०शि०नी०मू० समिति ने आगे सुझाव दिया है कि निर्णय लेने संबंधी सभी अधिकार शैक्षिक परिसर को सौंपे जाने चाहिए तथा ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड प्रारम्भिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण के लिए एक प्राथमिकता प्राप्त नीति होनी चाहिए, तथापि निवेश स्कूल व ग्रामीण शिक्षा समिति द्वारा किए गए मूल्यांकन के अनुसार, स्कूल की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप होना चाहिए। सी०एस०एस० पर हमारे विचार “शिक्षा का प्रबंध” अध्याय में दिए गए हैं। यहां यह उल्लेख करना उचित होगा कि हमारा विचार है कि रा०शि०नी० के बाद शुरू किए गए सी०एस०एस० को जारी रखना चाहिए और आठवीं योजना के दौरान राज्यों से परामर्श करके शिक्षा के प्राथमिक क्षेत्रों में और सी एस एस आरम्भ करने की आवश्यकता है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड प्रारम्भिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण के लिए निश्चित रूप से प्राथमिक नीति है, हम सोचते हैं कि यह विस्तृत रूप में आठवीं पंचवर्षीय योजना में जारी रहनी चाहिए। मानदंड प्रत्येक प्राथमिक स्कूल के लिए दो कक्षाएं व दो अध्यापक से बढ़ाकर तीन कक्षाएं व तीन अध्यापक किया जाना चाहिए तथा योजना उच्च प्राथमिक स्कूल तक बढ़ाई जानी चाहिए। हमें इस बात का ध्यान है कि योजना में लचीलापन होना चाहिए ताकि उपकरण की उपलब्धि स्थानीय स्थितियों से जुड़ी हो, हम सोचते हैं कि यह उचित कदम है। जहां तक निर्णय लेने का अधिकार शैक्षिक परिसर को देने का सम्बंध है।

यह उल्लेख किया जा सकता है कि शैक्षिक परिसर की पूर्ण धारणा का विवरण रा०शि०नी०मू० समिति द्वारा अपने अध्याय “विकेन्द्रीकरण तथा सहभागिता” प्रबंध में दिया गया है और हमारे विचार तदनुसारी अध्याय में व्यक्त किए गए हैं यहां यह कहना पर्याप्त है कि जब तक शैक्षिक परिसर के ऑपरेशन मॉडल को विकसित परिरक्षित तथा उसकी जांच नहीं की जाती, तब तक ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की योजना को शैक्षिक परिसर के साथ जोड़ना संभव नहीं है और न ही प्रारम्भिक शिक्षा के सुलभीकरण की आयोजना तथा निरीक्षण की जिम्मेदारी शैक्षिक परिसर को सौंपना संभव है जैसा कि सिफारिश संख्या 169, 171, 173, 175 में सुझाव दिया गया है।

9.16 हमने यह पाया है कि अन्य सिफारिशें संख्या 151, 161, 176 और 177 में कोई नीति संबंधी जटिलताएं नहीं हैं और रा०शि०नी० कार्रवाई योजना के अनुरूप है। व्यावसायीकरण से सम्बंधित सिफारिश सं० 172 पर इस अध्याय पर विचार किया गया है।

नीति सम्बंधी कार्यसूची

9.17 राष्ट्रीय शिक्षा नीति के पैरा 5.12 में प्राथमिक शिक्षा तथा प्रारंभिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। वर्ष 1990 तक यह सुनिश्चित किया जाना था कि 11 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चे 5 वर्ष की स्कूली शिक्षा या अनौपचारिक शिक्षा पद्धति में इसके समकक्ष शिक्षा प्राप्त कर चुके हों तथा इसी तरह वर्ष 1995 तक 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जानी थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के पैरा 5.12, जिसमें ये लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, में संशोधन की आवश्यकता है। 21वीं सदी में प्रवेश करने से पूर्व यह सुनिश्चित करने का हर सम्भव प्रयास किया जाना चाहिए कि 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का संवैधानिक दायित्व, वास्तविकता बन जाए।

9.18 हमारा विचार है कि आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, प्रारंभिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण के क्षेत्र में निम्न तथ्यों को

प्राथमिकता दी जानी चाहिए :-

- (i) सभी बच्चों, जिनमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की लड़कियां तथा व्यक्ति भी शामिल हैं, का सर्वसुलभ नामांकन करना,
- (ii) एक किलोमीटर की पैदल दूरी के भीतर सभी बच्चों के लिए प्राथमिक स्कूल तथा स्कूल बीच में छोड़ कर जाने वाले बच्चों तथा स्कूल न जा सकने वाले कामकाजी बच्चों व लड़कियों के लिए अनौपचारिक शिक्षा की सुविधा का प्रावधान करना,
- (iii) प्राथमिक स्कूलों की तुलना में उच्च प्राथमिक स्कूलों के वर्तमान अनुपात 1:4 में सुधार कर 1:2 करना, ऐसा करना लड़कियों की उच्च स्तर पर सहभागिता में वृद्धि करने के सुअवसरों की पूर्वशर्त है।
- (iv) पहली से पांचवीं कक्षा तथा पहली से आठवीं कक्षा में पढ़ाई बीच में छोड़कर जाने वाले छात्रों की वर्तमान 45% और 60% दरों को कम करके क्रमशः 20% तथा 50% करना,
- (v) संशोधित आप्रेशन ब्लैकबोर्ड योजना के तहत स्कूल सुविधाओं में सुधार का उच्च प्राथमिक स्तर तक विस्तार,
- (vi) प्राथमिक स्तर पर सामान्यतः सभी बच्चों द्वारा शिक्षा के न्यूनतम स्तरों को प्राप्त करना तथा इस संकल्पना को उच्च प्राथमिक स्तर पर बड़े पैमाने पर आरम्भ करना,
- (vii) प्राथमिक शिक्षा की प्रक्रिया में सहायता करने तथा इसकी कार्य-प्रणाली का निरीक्षण करने के लिए स्थानीय स्तर की समिति जिसमें महिलाओं तथा अध्यापकों को उचित प्रतिनिधित्व प्राप्त हो, का गठन।
- (viii) प्रारम्भिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण के लिए अनुवीक्षण प्रणाली में सुधार करना ताकि ऊपर उल्लिखित लक्ष्यों की प्राप्ति का पता लग सके। राष्ट्रीय शिक्षा नीति तथा कार्रवाई योजना में तदनुसार संशोधन किया जाए।

अध्याय 10

प्रौढ़ एवं सतत शिक्षा

10.1 प्रौढ़ शिक्षा के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति मूल्यांकन समिति का दृष्टिकोण उभयभावी है अपने परिप्रेक्ष्य में समिति ने “यह माना है कि यह बिलकुल असंगत होगा यदि जमा 15 वर्ष आयु वर्ग के लगभग 25 करोड़ व्यक्तियों को ; शिक्षा जो ज्ञान-अर्जन का एक सशक्त साधन है तथा जो मनुष्य को भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रभवी सहभागिता के योग्य बनाती है, के बिना अपना सम्पूर्ण जीवन-बिताने के लिए छोड़ दिया जाता है।” प्रारम्भिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण की तरह ही, सशक्त शैक्षिक घटक के रूप में प्रौढ़ शिक्षा राष्ट्रीय कार्य सूची की मुख्य मदों में से एक मद होनी चाहिए। विशिष्ट व्यावहारिक शब्दों में, राष्ट्रीय शिक्षा नीति मूल्यांकन समिति ने प्रारम्भिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण और प्रौढ़ शिक्षा के बीच अन्तर रखा है। शैक्षिक आयोजना एवं संसाधन आबंटन में प्रारम्भिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण को उच्च प्राथमिकता दिए जाने की सिफारिश की है (सिफारिश संख्या 185) प्राथमिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा तथा प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में आयोजना का क्षेत्रीय दृष्टिकोण अब पूरे विश्व में समग्र दृष्टिकोण में बदल गया है। यूनेस्को ने “द्विमागी दृष्टिकोण” का समर्थन किया है जिसे प्रौढ़ों के लिए साक्षरता एवं बुनियादी शिक्षा तथा बच्चों के लिए प्रारम्भिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण के रूप में एक साथ बढ़ावा देने के लिए तैयार किया गया है। यूनेस्को ने, यूनीसेफ, यू एन० डी० पी० और विश्व बैंक के सहयोग से मार्च 1990 में जोमतिन, थाईलैण्ड में ‘सभी के लिए शिक्षा २२ विश्व सम्मेलन’ (डब्ल्यू सी ई एफ ए) का आयोजन किया। 155 देशों तथा सभी द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय महत्वपूर्ण एजेंसियों ने ‘सभी के लिए शिक्षा पर विश्व सम्मेलन में’ भाग लिया ‘सभी के लिए विश्व सम्मेलन’ में की गई घोषणा में यूनेस्को के सदस्य देशों से प्रौढ़ों तथा बच्चों के लिए बुनियादी शिक्षा की जरूरतों को पूरा करने की अपील की गई। अतः सिफारिश संख्या 185 का विश्वव्यापी दृष्टिकोण शैक्षिक जरूरतों के समग्र दृष्टिकोण के सर्वथा विपरीत रहा। यह उस संकल्पनात्मक ढांचे पर आधारित है जो प्रौढ़

शिक्षा तथा प्रारम्भिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण के बीच एकदिशीय संबंध को मानता है।

इस संकल्पनात्मक ढांचे से यह पता चलता है कि प्रौढ़ निरक्षरता, प्रारम्भिक शिक्षा का सर्वसुलभीकरण न होने के कारण उत्पन्न होती है। तथापि इसमें प्रारम्भिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण और प्रौढ़ शिक्षा के बीच की पारस्परिक अन्तर निर्भरता को स्वीकार नहीं किया गया। जिन जिलों में पूर्ण साक्षरता अभियानों ने सफलता पूर्वक काम किया है, वहाँ के सुविज्ञ पर्यवेक्षकों की प्रतिक्रिया यह है कि जो अभिभावक पहले अपने बच्चों को प्राथमिक स्कूलों में भेजने के प्रति उदासीन थे, वे अब स्वयं साक्षर होने के बाद जिन में स्कूल नहीं हैं, वहाँ स्कूल खोलने की माँग कर रहे हैं तथा वे अध्यापकों की नियमित उपस्थिति का आग्रह भी करते हैं ताकि उनके बच्चे उचित शिक्षा प्राप्त कर सकें इसलिए यह कह सकते हैं कि प्रौढ़ शिक्षा में होने वाली उन्नति का लाभ प्रारम्भिक शिक्षा उठा सकती है। इसलिए हम दृढ़तापूर्वक यह सिफारिश करते हैं कि द्विमागी दृष्टिकोण शैक्षिक आयोजना के लिए जारी रखा जाना चाहिए और महिलाओं तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जैसे सुविधाविहीन वर्गों की विशिष्ट जरूरतों को पूरा किया जाना चाहिए।

10.2 राष्ट्रीय शिक्षा नीति मूल्यांकन समिति ने प्रौढ़ साक्षरता को प्रौढ़ शिक्षा से अलग माना है तथा प्रौढ़ साक्षरता के महत्व का अल्पांकन किया है। समिति ने उन गतिविधियों की श्रृंखला को अधिमान्यता दी है जो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा इस समय अपनाई जाने वाली गतिविधियों से सर्वथा विपरीत हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति मूल्यांकन समिति ने स्वास्थ्य, आवास, पौष्टिक आहार और आयोजना संबंधी, अनिवार्य जरूरतों तथा विषयों के प्रति जागृति पैदा करने का प्रस्ताव किया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति मूल्यांकन समिति के विचार से, ऐसी जागृति आ जाने के बाद ही प्रौढ़ शिक्षार्थी, स्वयं ही साक्षरता की जरूरत महसूस करेगा और प्रौढ़ साक्षरता की माँग करेगा तथा एक गति विधि के रूप में यह प्रौढ़ साक्षरता, उस जरूरत के एहसास को

पूरा करने की प्रतिक्रिया के रूप में प्रस्तुत होगी।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति मूल्यांकन समिति ने प्रौढ़ साक्षरता को जो प्रौढ़ शिक्षा का उप-सैट माना है वह सर्वथा उचित है, फिर भी प्रौढ़ शिक्षा को प्रौढ़ साक्षरता से अलग करना तथा प्रौढ़ साक्षरता की निहित महत्ता को कम करना, मात्र सैद्धान्तिक पहलू है। प्रौढ़ साक्षरता किस समय होनी चाहिए इसका अनुक्रमण करना कृत्रिम ही है। साक्षरता, शिक्षा को एक न्यूनतम प्रवेश बिन्दु प्रदान करती है जिससे जनमानस की पहुंच, सूचना, सम्प्रेषण तथा आधुनिकीकरण के विश्व तक हो जाती है। धीरे धीरे, साक्षरता कौशल का अर्जन, जन जागरण के स्तर को ऊंचा उठाने में सहायक होगा तथा इससे जन जीवन तथा जन कौशल का अविरल विकास होगा। यह अनुभव जन्य प्रमाण है कि साक्षरता के एक विशेष स्तर को प्राप्त कर लेने के पश्चात् व्यावहारिक विकासात्मक मामलों पर विचार करना, सम्भव होगा।

राष्ट्रीय साक्षरता मिशन तथा विशेष रूप से पूर्ण साक्षरता अभियानों के अन्तर्गत, प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम को प्रतिरक्षण, पोषण तथा स्वास्थ्य जैसी विकासात्मक गतिविधियों की कड़ी के रूप में कार्यान्वित किया जा रहा है। प्रौढ़ शिक्षा के नए शिक्षा शास्त्र में इन कड़ियों की ओर विशेष ध्यान दिया गया है। पूर्ण साक्षरता अभियानों में मुख्य बल प्रौढ़ साक्षरता की आवश्यकता को अनुभव करके उसकी माँग-सृजन पर दिया गया है। इस अभियान चक्र में, पर्यावरण निर्माण चरण के बाद शिक्षात्मक चरण तथा अन्ततोगत्वा, सतत शिक्षा तथा उत्तर साक्षरता चरण को रखा गया है।

10.3 राष्ट्रीय शिक्षा नीति मूल्यांकन समिति की सिफारिशें (सिफारिश संख्या 178 से 182) देश के समक्ष व्याप्त व्यापक प्रौढ़ निरक्षरता की समस्या के प्रति निराशा की भावना भर देती हैं, यह समस्या अन्य गम्भीर समस्याओं जैसे कि जन संख्या और राष्ट्रीय एकता जैसी समस्याओं से जुड़ी हुई है। 10 शि० नी० मूल्यांकन समिति के विचार से ऐसी समस्या के लिए कोई "प्रयोग के लिए तैयार" परीक्षित और प्रयुक्त माडल नहीं बना है। प्रौढ़ शिक्षा नीति का केन्द्र आधारित वर्ष 1989 तक का माडल इतना दोषपूर्ण है कि इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है। इसका उत्तरवर्ती, पूर्ण साक्षरता अभियान को सीधे तौर पर सार्वभौमिक अनुप्रयोग के योग्य नहीं समझा गया है। इसके प्रति रूपण की तो बात ही क्या, राष्ट्रीय शिक्षा नीति मूल्यांकन समिति का दृष्टिकोण इस संबंध में सन्देहास्पद है कि क्या "एर्नाकुलम प्रयोग" से मिलने वाले सबक से इसका प्रयोग कहीं और किया जा सकता है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति मूल्यांकन समिति ने महिला समाख्या योजना में एक आकर्षक वैकल्पिक माडल पाया है, प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में उसके अनुप्रयोग की जाँच की जानी चाहिए। आठवीं पंचवर्षीय

योजना के लिए राष्ट्रीय मूल्यांकन समिति ने यह निर्धारित किया था कि राष्ट्रीय साक्षरता मिशन अपने योजनाबद्ध साक्षरता अभियान चलाता रहे जबकि एक स्वायत्त अध्ययन दल, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के कार्यक्रम तथा इसके वैकल्पिक माडलों का मूल्यांकन करेगा ताकि इस निष्कर्ष पर पहुँचा जा सके कि प्रौढ़ निरक्षरता यथाशीघ्र दूर करने के लिए उचित नीति क्या होनी चाहिए। दूसरे शब्दों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति मूल्यांकन समिति आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रौढ़ निरक्षरता की समस्या पर नियंत्रण पा लेना संभव नहीं मानती बल्कि इसकी अकांक्षाएं बहुत कम हैं प्रौढ़ साक्षरता के परिदृश्य पर किसी बहुत बड़ी सफलता की आशा भी यह नहीं रखती बल्कि केवल मात्र व्यवहार्य तथा प्रभावी माडलों के विकास जैसे ठोस परिणाम की ही आशा की गई है।

10.4 राष्ट्रीय शिक्षा नीति मूल्यांकन समिति का एक वैकल्पिक माडल के रूप में महिला समाख्या योजना का निर्धारण संगत नहीं है निस्सन्देह, महिला समाख्या में उस संरचना एवं पद्धति की संकल्पना की गई है जो महिलाओं को एक जुट होने, इकट्ठे विचार-विमर्श करने, अपने जीवन के अनुभवों को बांटने, अपनी क्षमता तथा कमजोरियों को पहचानने तथा अपनी असमानता के लिए उत्तरदायी तत्वों की समीक्षा करने, परिलक्षित करने और उनका विश्लेषण करने तथा उनको दूर करने के साधन ढूँढने के लिए सक्षम बनाएगी। कई जिलों में, जिनमें पूर्ण साक्षरता के जन-अभियान आरम्भ किए गए हैं तथा जहाँ पर महिला समाख्या योजना भी लागू की गई है, ये दोनों कार्यक्रम एक दूसरे के साथ प्रगाढ़ एवं पारस्परिक सहयोग में काम कर रहे हैं।

महिला समाख्या कार्यकर्ताओं ने प्रशिक्षण सहित वातावरण तैयार करने और तकनीकी संसाधन सहायता प्रदान करने के लिए सहायता प्रदान की। अतएव, महिला समाख्या और पूर्व साक्षरता के लिए जन-अभियान, विकल्पों से कहीं परे, वास्तव में महिला निरक्षरता को दूर करने और महिलाओं को सामर्थ्य देने जैसे सामान्य उद्देश्यों को प्रोत्साहन देने में एक दूसरे को समर्थन देते हैं और सहायता प्रदान करते हैं।

10.5 जैसा कि सिफारिश संख्या 180 और 182 में कहा गया है, मूल्यांकन के प्रति 10 शि० नी० मू० सं० का दृष्टिकोण संकुचित एवं प्रतिबंधित है। मूल्यांकन का स्वरूप दोहरा है यथा, "रचनात्मक" एवं "संकलनात्मक" रचनात्मक मूल्यांकन कार्यवाई योजना को तैयार करने के स्तर और विभिन्न स्तरों पर इसके कार्यान्वयन से ही शुरू हो जाता है; जबकि संकलनात्मक मूल्यांकन विभिन्न स्तरों पर शिक्षा के परिणामों के मूल्यांकन और शिक्षण-शिक्षा प्रक्रिया तथा

साक्षरता और संख्यात्मक कौशल प्राप्त करने के कार्यक्रम के प्रभाव तथा शिक्षु के जीवन के व्यापक स्तर से संबंधित होता है। ऐसा मूल्यांकन, परियोजना की स्थिति के आकलन और समीक्षा का उपकरण होने के अलावा, कार्यक्रम की कोटि तथा विषयवस्तु में सुधार लाने के लिए उपचार सुझाने का एक सहायक उपकरण भी हो सकता है। इसलिए जैसा कि रा० शि० नी० मू० सं० द्वारा सुझाव दिया गया है, "मॉडल" को बदलने के लिए हमें आठवीं पंचवर्षीय योजना के समाप्त होने की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए; यदि कमियां पता लग जाती हैं तो उपचारात्मक कार्रवाई सीधे ही शुरू की जा सकती है।

10.6 दिसम्बर, 1990 में रा० शि० नी० मू० सं० की रिपोर्ट प्रस्तुत होने के समय से हुए क्रियाकलापों ने यह सिद्ध कर दिया है कि रा० शि० नी० मु० सं० ने "एर्नाकुलम प्रयोग" का महत्व कम आंका था। एर्नाकुलम प्रयोग की पुनरावृत्ति केवल केरल के 14 जिलों में ही नहीं बल्कि गोवा, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल के आठ जिलों तथा संघ शासित क्षेत्र पांडिचेरी में भी हुई है। जहां तक शैक्षिक विकास और सामाजिक-आर्थिक विशेषताओं के स्तरों का संबंध है, इनमें से बहुत से जिले केरल के जिलों से बहुत पीछे हैं। इसके अलावा पंद्रह राज्यों और दो संघ शासित क्षेत्रों में पेंसठ जिलों में पूर्ण साक्षरता अभियान प्रगति पर है; इनमें से चालीस जिले पूरे शामिल किए गए हैं जबकि अन्य जिलों के कुछ भाग को शामिल किया गया है। इन जिलों में पूर्ण साक्षरता अभियान में अब दस लाख से अधिक स्वयंसेवी कार्यरत हैं। इन अभियानों से पूर्ण साक्षरता अभियान का समर्थ एवं व्यवहार्य "मॉडल" होना सिद्ध होता है और यह सिद्ध होता है कि आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992-97) के दौरान ही साक्षरता परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन की आशा की जा सकती है।

10.7 रा० शि० नी० मु० सं० समिति को एर्नाकुलम प्रयोग के अवधारणात्मक ढांचे के कारण ही इसके महत्व को समझने की भूल हुई। यदि यह कथन "जो देखो उस पर विश्वास करो" सत्य है तो इसका विलोम "जो विश्वास करो उसे देखो" भी कम सत्य नहीं है। सामाजिक विज्ञान अनुसंधान में यह एक मानी हुई बात है कि प्रश्नों के उत्तर अपनाए गए अवधारणात्मक ढांचे पर निर्भर करते हैं—मूल कल्पना, प्रयुक्त श्रेणियां और दृष्टिकोण। किसी विशेष अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए विश्लेषक, सामग्री से जो ग्रहण करता है, वह वैचारिक ढांचा केवल लाक्षणिक रूप से ही नहीं बैठता" यह उसे विभिन्न स्तरों पर उसे नियत करने में अथवा उस लक्ष्य को पाने में जिसे, वह पाना चाहता है, उसकी सहायता करता है। रा० शि० नी० मू० सं० ने केरल

में साक्षरता संबंधी सफलता का जो अवलोकन किया है, वह स्कूली शिक्षा को बढ़ावा देने में समाज के विभिन्न अंगों द्वारा किए गए सौ वर्षों से भी अधिक समय तक चले सतत प्रयासों का परिणाम है। केरल की सफलता की कहानी में ऐतिहासिक विरासत तथा सामाजिक परिवेश के योगदान को नकारा नहीं जा सकता किंतु पूर्ण साक्षरता अभियान मॉडल की प्रमुख विशेषताओं से निश्चय ही अंतर आया है और इन्हें नजर-अंदाज करके रा० शि० नी० मू० सं० ने तथ्यों के साथ एकांकी होना तथा लगभग एक लाख स्वयंसेवियों के मिशनरी जोश तथा प्रभावपूर्ण प्रयत्नों को उपेक्षित करने का मार्ग अपनाया है। स्कूली शिक्षा में 100 वर्षों के प्रयत्नों के बावजूद लगभग 30 लाख व्यक्ति निरक्षर रह गए थे और यदि पूर्ण साक्षरता अभियान की अनूठी सामाजिक गतिशीलता, जिला प्रशासन, गैर सरकारी संगठनों तथा सामाजिक कार्यकर्ताओं के बीच गहरे तालमेल तथा संस्कृति व संचार के संगम के नवाचारी प्रयोग न किए गए होते तो वे निरक्षर ही रह गए होते। अनुभव के स्तर पर जो उभर कर सामने आया है। वह यह है कि अन्य राज्यों के उन जिलों में भी जो केरल के जिलों की तुलना में शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए हैं, पूर्ण साक्षरता अभियान की कार्यनीति को दोहराना संभव है।

10.8 हम पूर्ण साक्षरता कार्यक्रम को इतना अधिक महत्वपूर्ण समझते हैं कि आठवीं योजना के दौरान प्राथमिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने के साथ इस कार्यक्रम को भी उच्च प्राथमिकता तथा पर्याप्त संसाधन समर्थन दिया जाना आवश्यक है। हम भारत सरकार के शिक्षा विभाग के इस प्रताव की सराहना करते हैं कि पूर्ण साक्षरता अभियानों को देश के 75% जिलों में फैलाया जाए और शेष जिलों को संशोधित केन्द्र आधारित सुधरे हुए कार्यक्रम के अंतर्गत जो मांग के सृजन और गतिशीलता पर समुचित बल देता है, शामिल किया जाए।

10.9 हमने रा० शि० नी० मू० सं० की उत्तर-साक्षरता और सतत शिक्षा संबंधी सिफारिश नोट कर ली है। तथापि, हम प्रौढ़ शिक्षा तथा अनौपचारिक शिक्षा के क्षेत्र में पिछले तीन चार वर्षों में हुए महत्वपूर्ण क्रियाकलापों को अनदेखा नहीं कर सकते। मानव संसाधन विकास संचालक से जो जानकारी हमें मिली है, उसके अनुसार प्रति वर्ष लगभग 15 लाख प्रौढ़ साक्षरता कौशल प्राप्त कर रहे हैं। इनमें से कुछ अपेक्षित मापदण्डों के अनुरूप नहीं हैं। इसके अतिरिक्त, बहुत बड़ी संख्या में, शायद 50 से 60 लाख बच्चे स्कूल पद्धति अथवा अनौपचारिक कार्यक्रमों के माध्यम से प्राथमिक शिक्षा पूरी करते हैं और अपनी शिक्षा जारी नहीं रख पाते। ये सभी बच्चे अर्थात् साक्षरता पाठ्यक्रम पूरा करने वाले बच्चे और वे बच्चे जो प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करते हैं किंतु उसके बाद शिक्षा जारी नहीं रख पाते उत्तर-साक्षरता

और सतत शिक्षा पर आश्रित रहते हैं। पूर्ण साक्षरता अभियान में शामिल प्रायः प्रत्येक गांव में किंचित परिवर्तित ढंग के जन शिक्षण निलयमों, युवा क्लबों और पुस्तकालय एककों अथवा अन्य माध्यमों से उत्तर - साक्षरता और सतत शिक्षा के लिए समुचित व्यवस्था करनी होगी। लोगों के कार्य और निजी जीवन से संबंधित कौशलों में सुधार की

ओर भी ध्यान देना जरूरी है। यह उचित होगा कि जिलों / ब्लाकों में साक्षरता अभियान आरंभ करने के साथ-साथ उत्तर-साक्षरता के लिए भी योजना तैयार करने की शुरूआत करना और यह सुनिश्चित करना वांछनीय होगा कि जैसे ही लोग अपना साक्षरता पाठ्यक्रम पूरा करें ये सुविधायें उपलब्ध हो सकें।

अध्याय 11

माध्यमिक शिक्षा

11.1 राष्ट्रीय शिक्षा नीति संबंधी पुनरीक्षा समिति की रिपोर्ट में जहां शिक्षा के अन्य क्षेत्रों पर विचार किया गया है, वहां माध्यमिक शिक्षा की चर्चा रिपोर्ट के किसी एक अध्याय में नहीं की गई है। माध्यमिक शिक्षा के संबंध में राष्ट्रीय शिक्षा नीति संबंधी पुनरीक्षा समिति की सिफारिशों कई अध्यायों में बिखरी हुई हैं जैसे कि अध्याय 8 "शिक्षा और कार्य का अधिकार", अध्याय 11 "शिक्षा में भाषाएं", अध्याय 12 "अन्तर्वस्तु और प्रक्रिया शिक्षा"। इन सिफारिशों पर इस रिपोर्ट के राष्ट्रीय शिक्षा नीति संबंधी पुनरीक्षा समिति की रिपोर्ट के अध्याय 8, 11 और 12 के तदनुसूची अध्यायों में विचार किया गया है। इस समिति ने शिक्षा विभाग द्वारा परिचालित "माध्यमिक शिक्षा" नामक पेपर संख्या डी-14, पर भी विचार किया। इस दस्तावेज में माध्यमिक शिक्षा के समूचे क्षेत्र पर विचार किया गया है, माध्यमिक शिक्षा के प्रति अधिक ध्यान दिए जाने के लिए कहा गया है और साथ ही माध्यमिक शिक्षा में अधिकाधिक छात्रों को शामिल करने और उसके प्रबंध, उसकी अन्तर्वस्तु तथा प्रक्रिया में सुधार के लिए कुछ उपायों का उल्लेख किया गया है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के निर्देश

11.2 माध्यमिक शिक्षा के संबंध में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के निर्देश संक्षेप में इस प्रकार हैं -

- (i) माध्यमिक शिक्षा की सुलभता का विस्तार किया जाना चाहिए ताकि सुविधाविहीन क्षेत्रों को शामिल किया जा सके।
- (ii) अन्य क्षेत्रों में सबसे अधिक बल समेकन पर दिया जाना चाहिए।
- (iii) समुचित रूप से तैयार की गई पाठ्यचर्या के माध्यम से स्वस्थ कार्य वातावरण तथा मानवीय और मिश्रित संस्कृति के मूल्यों को प्रबुद्ध ढंग से आत्मसात करना।
- (iv) प्रतिभाशाली बच्चों, अधिकांशतः ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभाशाली बच्चों के लिए नवोदय विद्यालय।

(v) शिक्षा का व्यवसायीकरण।

माध्यमिक शिक्षा की सुविधाओं का विस्तार

11.3 पूर्ण साक्षरता अभियानों तथा प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में अभी तक किए गए प्रयासों का माध्यमिक शिक्षा की मांग पर जो प्रभाव पड़ा है, हमने उसे नोट किया है। यद्यपि माध्यमिक शिक्षा की सुविधाओं से वंचित क्षेत्रों विशेष रूप से पहाड़ी और रेगिस्तानी जिलों, दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों तथा द्वीपसमूहों को प्राथमिकता दी जाती रहनी चाहिए फिर भी माध्यमिक शिक्षा की नई-नई मांगों को पूरा करने के लिए सारे देश के भीतर माध्यमिक शिक्षा सुविधाओं का योजनाबद्ध विकास किया जाना आवश्यक होगा। यह विस्तार विषमताओं के निराकरण तथा शिक्षा के अवसरों के समीकरण से अनुप्रमाणित होना चाहिए। लड़कियों और अभावग्रस्त वर्गों के छात्रों की सहभागिता विशेष रूप से विज्ञान और वाणिज्य के विषय क्षेत्रों में अपेक्षतया कम रही है। उनकी सहभागिता में सुधार लाने के लिए विशेष उपाय किए जाने आवश्यक हैं।

शिक्षा की संरचना

11.4 माध्यमिक शिक्षा के संचालन और प्रबन्ध की स्थिति में सुधार लाने के उद्देश्य से नए उपक्रम किए जाने आवश्यक हैं। हमने यह भी पाया है कि माध्यमिक शिक्षा का प्रबन्ध ढांचा एक समान नहीं है। कुछ राज्यों में +2 स्तर अभी भी स्कूल पद्धति से बाहर है। यद्यपि 10+2+3 पद्धति प्रायः सभी क्षेत्रों में प्रचलित है फिर भी स्कूली शिक्षा के पहले 10 वर्षों के विभाजन में राज्यों के बीच अन्तर बने हुए हैं। आग्रह है कि माध्यमिक शिक्षा का प्रबन्ध ढांचा सभी राज्यों में एकसमान होना चाहिए।

यह सुनिश्चित किया जाना भी आवश्यक है कि स्कूली-शिक्षा के पहले 10 वर्षों के कार्यक्रमों की परिकल्पना राष्ट्रीय शिक्षा नीति के पैरा 3.3 के तहत की जाती है और यह सभी राज्यों में एक समान होती है।

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

11.5 प्रबंध प्रणाली को पुनर्गठित करने के अलावा, माध्यमिक शिक्षा बोर्डों की कार्य-प्रणाली में सुधार लाना अनिवार्य है, क्योंकि इन बोर्डों से शैक्षिक निवेश का प्रावधान करने की अपेक्षा की जाती है। अधिकांश राज्यों में ये बोर्ड सार्वजनिक परीक्षाओं को आयोजित करने वाले निकायों मात्र के रूप में कार्य करते रहे हैं और वह भी सर्वोत्तम तरीके से नहीं। ऐसे उदाहरणों की कमी नहीं है जहां कि बोर्डों के अध्यक्ष के रूप में कई गैर-शैक्षिक सार्वजनिक व्यक्तियों को नियुक्त किया गया है। इस परिपाटी को समाप्त किया जाना चाहिए। बोर्डों को पुनर्गठित करना और उनको स्वायत्तता प्रदान किया जाना आवश्यक है ताकि माध्यमिक शिक्षा को शैक्षिक निवेश जुटाने की उनकी क्षमता को बढ़ाया जा सके। इन बोर्डों को, पाठ्यचर्चा अभिकल्पना और पाठ्यपुस्तकों और अध्ययन-अध्यापन सामग्री के स्तरोन्नयन तथा उन्हें अद्यतन बनाने में तथा परीक्षा संबंधी सुधारों में सक्रिय भूमिका अदा करनी चाहिए।

शैक्षिक संस्थानों के अध्यक्ष

11.6 : राष्ट्रीय शिक्षा नीति के पैरा 10.7 के अन्तर्गत, शैक्षिक संस्थानों के अध्यक्षों को अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका सौंपे जाने का प्रावधान है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति संबंधी पुनरीक्षा समिति ने संस्थानों के अध्यक्षों को महत्वपूर्ण प्राधिकार सौंपे जाने की भी वकालत की है। हम इस बात की पुरजोर वकालत करते हैं कि केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा समयबद्ध कदम उठाए जाने चाहिए ताकि इन निर्देशों को कार्यान्वित किया जा सके और प्रधानाध्यापकों को प्रशासनिक, शैक्षिक एवं वित्तीय अधिकार सौंपे जा सकें। संस्थाओं के अध्यक्षों के प्रशिक्षण की ओर विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है।

11.7 “शिक्षा की अन्तर्वस्तु और प्रक्रिया” नामक अध्याय में हमने परीक्षा संबंधी सुधारों पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। यहां हमने परीक्षा संबंधी सुधारों की अनिवार्यता पर बल दिया है, केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा निम्न ढंग से समन्वित प्रयास किए जाने का आग्रह किया है -

- (i) विभिन्न बोर्डों द्वारा किए गए परीक्षा संबंधी सुधारों की स्थिति विषयक रिपोर्ट तैयार करना।
- (ii) एक ऐसा राष्ट्रीय परीक्षा सुधार ढाँचा तैयार करना जो कि परीक्षा निकायों को दिशा-निर्देश प्रदान कर सकेगा और इन निकायों को ढाँचे में नवाचारी परिवर्तन लाने और अपनी विशिष्ट परिस्थितियों के अनुसार अनुकूल बनाने की स्वतंत्रता होगी।
- (iii) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबद्ध स्कूलों में कुछ वर्षों

के लिए परीक्षा संबंधी सुधार शुरू करना, और

- (iv) बोर्डों द्वारा किए गए परीक्षा संबंधी सुधारों के कार्यान्वयन के समन्वय, अनुवीक्षण और मूल्यांकन के लिए प्रभावी तंत्र विकसित करना।

शिक्षक - शिक्षा

11.8 प्राथमिक शिक्षा की भांति ही माध्यमिक शिक्षा में शिक्षक - शिक्षा का पूरा महत्व है। सेवा-पूर्व प्रशिक्षण को पुनरुज्जीवित करने के कार्य को एक उद्यम के रूप में शुरू किए जाने की जरूरत है। सेवा-पूर्व प्रशिक्षण को प्रशिक्षित स्नातक शिक्षकों की भर्ती करने के लिए एक पूर्व-शर्त के रूप में रखा जाना चाहिए। राज्य शिक्षा संस्थान तथा राज्य शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् को सुदृढ़ किया जाना चाहिए और उनके कार्य-क्षेत्र में माध्यमिक शिक्षा को भी शामिल किया जाना चाहिए। शिक्षकों के सेवाकालीन प्रशिक्षण से संबंधित कार्यक्रम शुरू किए जाने की जरूरत है।

कंप्यूटर साक्षरता

11.9 कम्प्यूटर साक्षरता पर विशेष बल दिए जाने की आवश्यकता है। उभरते हुए प्रौद्योगिकीय परिवेश में कम्प्यूटर साक्षरता का उतना ही महत्व है जितना कि शिक्षा और संख्या ज्ञान का। स्कूलों में कम्प्यूटर साक्षरता और अध्ययन (क्लास) के चल रहे कार्यक्रमों को गतिशील बनाए जाने की आवश्यकता है। कम्प्यूटर शिक्षा को सभी माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में सर्वसुलभ बनाए जाने का प्रयास किया जाना चाहिए।

विज्ञान, गणित तथा भाषाओं का शिक्षण

11.10 विज्ञान शिक्षा में सुधार लाने की योजना राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बाद शुरू की गई थी और यह मुख्य रूप से पुस्तकालयों तथा प्रयोगशालाओं जैसी भौतिक सुविधाओं के विस्तार में ही जुटी रही। गणित शिक्षा तथा शिक्षक शिक्षा पर और अधिक बल दिए जाने की आवश्यकता है। भाषा शिक्षण पर जिसमें अंग्रेजी का शिक्षण भी शामिल है अधिक ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है।

मुक्त अध्ययन पद्धति

11.11 संसाधनों की कमी को ध्यान में रखते हुए मुक्त अध्ययन पद्धति शिक्षा के अवसरों को सभी को सुलभ कराने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मुक्त अध्ययन पद्धति का लचीलापन और नवाचार अनेक वृत्तिभोगी व्यक्तियों की बहुविध आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विशेष रूप से अनुकूल सिद्ध होते हैं। शिक्षा की औपचारिक प्रणाली पर दबाव कम करने के साथ-साथ यह उन लोगों को सतत शिक्षा की सुविधा प्रदान करती है जिन्हें विभिन्न स्तरों पर औपचारिक

पद्धति से बाहर आना पड़ा था। इसमें वे भी शामिल हैं जो शिक्षा की व्यावसायिक पाठ्यधारा में शामिल हो गए थे। इस प्रकार यह शिक्षा को सर्वसुलभ बनाती है और बीच में शिक्षा छोड़ जाने वालों को वापस मुख्यधारा में लाने में सहायता भी करती है। अतः हमारा यह मत है

कि मुक्त अध्ययन पद्धति को अत्यधिक प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए और मुक्त विद्यालय प्रणाली के अन्तर्गत राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय को वही मुख्य भूमिका निभानी होगी जो कि मुक्त विश्वविद्यालय के क्षेत्र में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय निभाता है।

अध्याय 12

शिक्षा का व्यावसायीकरण

12.1 व्यावसायीकरण उन क्षेत्रों में से एक है जिनको राष्ट्रीय शिक्षा नीति संबंधी पुनरीक्षा समिति ने अत्यधिक महत्व देते हुए उसकी ओर पर्याप्त ध्यान दिया। इस संबंध में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कतिपय विचारों से सहमति रखते हुए भी कुछेक मुद्दों पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति संबंधी पुनरीक्षा समिति और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बीच गहरा मतभेद था। निम्न विचारों को लेकर दोनों में समानता थी :

- (i) शैक्षिक पुनर्गठन और राष्ट्रीय विकास के लिए माध्यमिक शिक्षा का व्यावसायीकरण महत्वपूर्ण है,
- (ii) शिक्षा और कार्य के बीच संबंधों का महत्व जिसका तात्पर्य है कि लोगों को कार्य के लिए समर्थ बनाना,
- (iii) कार्य-अनुभव का महत्व,
- (iv) महिलाओं की ओर विशेष ध्यान देते हुए नव-साक्षरों, बीच में स्कूल छोड़ने वालों, कामकाजी व्यक्तियों और बेरोजगार या आंशिक रूप से रोजगार में लगे व्यक्तियों के लिए अनौपचारिक व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की जरूरत।

12.2 गहरे मतभेद निम्नानुसार है -

- (I) राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने व्यावसायिक शिक्षा की परिकल्पना एक भिन्न धारा के रूप में की है जिसका उद्देश्य अभिज्ञात व्यवसायों के लिए छात्रों को तैयार करना है। दूसरी ओर, राष्ट्रीय शिक्षा नीति संबंधी पुनरीक्षा समिति ने यह महसूस किया कि शैक्षिक एवं व्यावसायिक धारा का विभाजन वांछनीय नहीं है और यह कि व्यावसायीकरण को घटक, माध्यमिक स्तर पर सभी छात्रों के लिए पाठ्यचर्या का अंग होना चाहिए।
- (II) राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार, व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का प्रावधान साधारणतया + 2 स्तर पर किया जाएगा, तथापि, कक्षा VIII के बाद पूर्व-व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को उपलब्ध कराया जा सकता है ताकि योजना को नम्य बनाया जा सके। तथापि, राष्ट्रीय शिक्षा नीति संबंधी पुनरीक्षा समिति

व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को शुरू करने के लिए माध्यमिक स्तर को निम्न माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में विभाजित करने के विरुद्ध थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति संबंधी पुनरीक्षा समिति के दृष्टिकोण का अभिप्राय यह है कि वर्तमान (10 + 2) शिक्षा प्रणाली को (8 + 4) की शिक्षा प्रणाली में परिवर्तित किया जाए।

12.3 ये जो मतभेद हैं, उनका कारण अधिकांशतः कार्य-अनुभव और व्यावसायीकरण के प्रति राष्ट्रीय शिक्षा नीति संबंधी पुनरीक्षा समिति का निरपेक्ष दृष्टिकोण है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति संबंधी पुनरीक्षा समिति के अनुसार व्यावसायीकरण का उद्देश्य केवल विशिष्ट बिकाऊ शारीरिक कौशल मात्र प्रदान करना नहीं हो सकता; इसका उद्देश्य हाथ को दिमाग और दिल से जोड़ने का होना चाहिए ताकि उत्पादनशील श्रम और सामाजिक रूप से उपयोगी कार्य, सृजनात्मक मेधा और ज्ञान-आधार को विकसित करने का माध्यम हो सके जिस पर व्यक्ति अपने शेष जीवन का निर्माण कर सके। शिक्षा की भूमिका कार्य के लिए लोगों को सक्षम बनाना और स्वयं कार्य की ही खातिर कार्य के प्रति आदर का भाव विकसित करना है। कार्य को शिक्षा के माध्यम के रूप में शिक्षा की पूरी अन्तर्वस्तु और प्रक्रिया में परिलक्षित किया जाना चाहिए। दो धाराओं, एक शैक्षिक एवं दूसरी व्यावसायिक का पुरजोर विरोध करते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति संबंधी पुनरीक्षा समिति अपने इस विचार से भी प्रभावित थी कि व्यावसायिक धारा को छात्रों और अभिभावकों द्वारा निम्न श्रेणी का समझा जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति संबंधी पुनरीक्षा समिति के विचार में कार्य-अनुभव/सामाजिक रूप से उपयोगी उत्पादक कार्य (एस०यू०पी०डब्लू०) से संबंधित कार्यक्रमों का हास हो गया था और व्यवहार में वे मामूली क्रिया-कलाप बन कर रह गये थे और समिति ने राय व्यक्त की है कि कार्य अनुभव को ढांचाबद्ध कार्यक्रमों के माध्यम से प्रदान किए जाने के बजाए, शिक्षा की पूरी प्रक्रिया के अन्तर्गत बनाया जाना चाहिए।

12.4 हमने पाया कि कुछ सिफारिशों खासतौर से सिफारिश संख्या

188 और 189 व्यावसायीकरण के सम्बंध में रा०शि०नी०पु०स० में अपनाए गए दृष्टिकोण से भिन्न है। कक्षा IX से XII तक के लिए व्यावसायिक शिक्षा को समेकित रूप से तैयार करने का सुझाव दिया गया था जिसके अनुसार छात्रों को अनिवार्य सामान्य को विषय, अनिवार्य व्यावसायिक कोर विषय और मिलाजुला कर ऐच्छिक और व्यावसायिक विषय लेना है। सुझाए गये विकल्पों में से एक की व्यावसायिक विषयवस्तु व्यावसायिक दृष्टि से विद्यमान व्यावसायिक धारा से अधिक तीव्र हैं। सिफारिश संख्या 189 में भी विशिष्ट कौशल प्रशिक्षण के प्रावधान का व्यावसायिक शिक्षा के दीर्घकालीन जीवन क्षमता की एक आवश्यकता के रूप में उल्लेख किया गया है। इसलिए, दो सिफारिशों से स्पष्ट है कि रा०शि०नी०पु०स० में प्रचालन की दृष्टि से विषयों को सुग्राह्य बनाने और व्यवसाय विशिष्ट शिक्षा और प्रशिक्षण को छोड़ा नहीं गया है।

12.5 जबकि रा०शि०नी०पु०स० में विशिष्ट रूप से 10 + 2 प्रणाली में किसी परिवर्तन का सुझाव नहीं दिया गया है, व्यावसायिक शिक्षा की समेकित डिजाइन से स्पष्ट है कि कक्षा IX से XII तक की चार वर्ष की अवधि चार वर्ष की ब्लाक अवधि का निर्माण करती है और इसके स्थान पर 8 + 4 प्रणाली अपनाई जानी चाहिए। प्रत्येक प्रणाली से स्पष्ट लाभ और हानियां हैं और भिन्न देशों ने सुविचारित कारणों से भिन्न-भिन्न प्रणालियां अपनाई हैं। तथापि हमारे देश में 10 + 2 प्रणाली को पूरी तरह अपनाने में लगभग 20 वर्ष लगे। किसी दूसरी प्रणाली को अपनाना एक दीर्घकालीन प्रक्रिया होगी और इससे और अधिक सामंजस्य लागत बढ़ेगी जिससे बचा जा सकता है। 8 + 4 प्रणाली अपनाने पर न केवल व्यावसायिक पाठ्यक्रमों बल्कि सामान्य शिक्षा के पाठ्यचर्या और पाठ्यपुस्तकों के पुनर्लेखन की आवश्यकता होगी।

12.6 हमने रा०शि०नी०पु०स० की अवधारणाओं और सिफारिशों पर समग्र दृष्टि से विचार किया है। हम कक्षा 1 और इसके आगे काम करने के लिए सकारात्मक रुख उत्पन्न करने सम्बंधी रा०शि०नी०पु०स० की चिन्ता की प्रशंसा करते हैं। यह चिन्ता रा०शि०नी०पु०स० की अवधारणाओं के काफी अनुकूल है। हम यह भी महसूस करते हैं कि कार्य अनुभव के सम्बंध में रा०शि०नी० और रा०शि०नी०पु०स० की अवधारणाओं को दृष्टिगत रखते हुए कार्य अनुभव/सामाजिक दृष्टि से उपयोगी उत्पादक कार्य (सूपू) को बढ़ाना चाहिए। रा०शै०अ०प्र०प० द्वारा प्रकाशित राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा ढांचे में शिक्षा के सभी स्तरों पर अनिवार्य कार्य अनुभव का सुझाव दिया गया है। तथापि मिडिल और माध्यमिक स्तरों पर भी कार्य और शिक्षण का तालमेल अपेक्षित स्तर नहीं प्राप्त कर सका। कार्य अनुभव के लिए निर्धारित समय अधिकांश

राज्यों में दस प्रतिशत से ऊपर नहीं हो जाता। यद्यपि रा०शै०अ०प्र०प० के दिशानिर्देश सभी राज्यों को उपलब्ध कराये गए थे, तथापि न तो केन्द्रीय सरकार द्वारा न अधिकांश राज्यों द्वारा योजनाबद्ध तरीके से हस्तक्षेप किया गया है।

12.7 रा०शि०नी०पु०स० द्वारा सुझाया गया कोर व्यावसायिक पाठ्यक्रम की अवधारणा काफी आकर्षक है। व्यापक व्यावसायिक पाठ्यक्रम, जो विभिन्न पेशेगत क्षेत्रों में शामिल हैं और जो मुख्य रूप से विशिष्ट पेशों के लिए नहीं हैं, में लाभ अन्तर्निहित हैं। लाभों में शामिल हैं, छात्रों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास, स्कूलों में चल रही पाठ्यपुस्तकों पर आधारित सीखने की प्रक्रिया में सुधार लाना, कार्य करने के लिए अपेक्षित मूल्य और दृष्टिकोण उत्पन्न करना और छात्रों को ऐसा सामान्य कौशल आधार प्रदान करना है जो और अधिक विशिष्ट कौशल प्राप्त करना सुकर बनाएगा।

12.8 छात्रों द्वारा अपने चुने गए व्यावसायिक क्षेत्र में अच्छा रोजगार प्राप्त करना किसी भी व्यावसायिक कार्यक्रम की कसौटी है। प्रासंगिकता, गुणवत्ता, विशिष्टता और व्यापक स्वरूप छात्रों को रोजगार प्रदान करना बहुत कुछ व्यवसायिक शिक्षा पर निर्भर करता है। छात्रों को विशिष्ट रूप से तैयार किए गए पाठ्यचर्या उपलब्ध कराने की आवश्यकता है ताकि वे रोजगार के लिए कौशल क्षमता प्राप्त कर सकें। कार्यक्रम को मांग के अनुकूल बनाना और प्रशिक्षण संसाधन को कुशलता से प्रयोग करना होगा। अच्छे व्यावसायिक प्रशिक्षण में सामान्य शिक्षा से अधिक लागत आती है और इसलिए कुशलतापूर्वक लागत के सम्बंध में प्रबंध करना महत्वपूर्ण है। हमारा विचार है कि अलग अलग न करके शिक्षा देने से व्यावसायिक कौशलों से कार्य करने का उचित दृष्टिकोण उत्पन्न होगा परंतु इससे विशिष्ट विकास सरल नहीं होगा, संसाधन इतने विरल रूप में वितरित होंगे कि उनसे रोजगार प्रदान किए जा सकने वाले छात्रों को तैयार करने के लिए आवश्यकतानुसार उपलब्ध नहीं होगा। शिक्षा और विकास के क्षेत्र में द्रुत प्रगति करने वाले दक्षिण कोरिया, फिलीपीन्स, चीन जैसे देश अपने छात्रों को विशिष्ट समूह में रख रहे हैं। इस तथ्य से हमारे निष्कर्षों की पुष्टि होती है। इसलिए हम व्यावसायिक शिक्षा भिन्न भिन्न धारा की विद्यमान प्रणाली को बनाए रखने की सिफारिश करते हैं।

12.9 औपचारिक, माध्यमिक शिक्षा प्रणाली में शामिल न हो पाने वाले लोगों के लिए व्यावसायिक पाठ्यक्रम के पुनर्गठन से सम्बंधित सिफारिश सं० 190, कार्य बेंचों और अभ्यास स्कूलों से सम्बंधित सिफारिश सं० 192 व्यावसायिक शिक्षा के प्रबन्ध से सम्बंधित सिफारिश सं० 195 और 197 में कोई नीतिगत उलझन नहीं है। वे रा०शि०नी०/ कार्रवाई योजना के अनुरूप कार्यान्वयन रूपात्मकताओं

से सम्बंधित हैं। हमारा सुझाव है कि कार्रवाई योजना का संशोधन करते समय इन सिफारिशों पर ध्यान दिया जाना चाहिए।


12.10 सिफारिश सं० 194 में सुझाव दिया गया था कि व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रमों की प्रबंध, आयोजना और कार्यान्वयन को विकेन्द्रित किया जाना चाहिए और इसे अलग हाई स्कूलों और स्कूल परिसरों को सौंपा जाना चाहिए। इस सिफारिश के आधार पर सिफारिश सं० 196 में सुझाव दिया गया कि राष्ट्रीय और राज्य व्यावसायिक शिक्षा परिषदों की अवधारणाओं को विकेन्द्रित योजना के ढांचे में नया रूप दिया जाना चाहिए। हमने पाया कि विद्यमान स्कीम के अन्तर्गत अनेक कार्यक्रमों को विकेन्द्रित कर दिया गया है। इनमें पाठ्यक्रमों की तैयारी, और सहयोग के लिए संस्थाओं और उद्योगों के चयन शामिल हैं। जिला व्यावसायिक सर्वेक्षणों से अपेक्षा है कि वे आयोजना प्रक्रिया के लिए बहुमूल्य निवेश प्रदान करेंगे। पठन-पाठन के प्रबन्ध भी विकेन्द्रित किए जाते हैं और इनके स्कूलों को उपलब्ध कराए जाने की अपेक्षा है। जिला स्तर पर समन्वय की परिकल्पना की गई है। तथापि उपलब्धि के मामले में राष्ट्रीय स्तर सुनिश्चित करने के लिए कुछ सीमा तक केन्द्रीकरण आवश्यक है। इसलिए, राज्य और केन्द्र स्तर पर समग्र आयोजना मानिट्रिंग, और पर्यवेक्षण सम्बंधी भूमिका जैसे कुछ कार्यों की परिकल्पना की गई है। केन्द्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान और राज्य व्यावसायिक शिक्षा परिषदों से अपेक्षा है कि वे केन्द्र और राज्य स्तर पर आवश्यक संसाधन सहायता प्रदान करेंगे इसलिए हमारा विचार है कि विकेन्द्रीकरण की मात्रा और क्षेत्र का निर्धारण स्कीम की मानिट्रिंग और आवधिक मूल्यांकन के संदर्भ में निर्धारित की जानी चाहिए।

12.11 हम इस तथ्य को नोट करते हैं कि व्यावसायीकरण एक जटिल कार्यक्रम है जिसमें विविध प्रकार के निवेश समन्वित रूप में प्रदान किए जाने हैं। इसलिए हम महसूस करते हैं कि कार्यक्रम की

तैयारी और कार्यान्वयन, खासतौर से जिला सर्वेक्षणों के आयोजन, पाठ्यक्रम प्रारंभ करने के लिए आवश्यक प्रारंभिक उपाय, नियोक्ता के साथ सम्पर्क, शिक्षकों के सेवा-पूर्व और सेवाकालीन प्रशिक्षण उत्तम कोटि की शिक्षण सामग्री की तैयारी, पर्याप्त प्रबंध ढांचा और व्यावसायिक शिक्षा के स्नातकों की गतिशीलता पर पर्याप्त ध्यान दिया जाना चाहिए।

12.12 संक्षेप में हम निम्नलिखित की सिफारिश करते हैं :-

- (i) + 2 स्तर की विद्यमान व्यावसायिक धारा को उपयुक्त रूप से सुदृढ़ बनाया जाना चाहिए और जहां संभव हो, व्यावसायिक पाठ्यक्रम कक्षा IX से भी प्रारंभ किए जाने चाहिए।
- (ii) व्यापक व्यावसायिक पाठ्यक्रम चुनिंदा आधार पर प्रारंभ किए जा सकते हैं। प्रारंभ में व्यापक व्यावसायिक पाठ्यक्रम दस प्रतिशत स्कूलों में आजमाये जा सकते हैं।
- (iii) 12.5 प्रतिशत से 20 प्रतिशत तक स्कूल समय इन गतिविधियों के लिए आबंटित करके कार्य अनुभव कार्यक्रम को सुव्यवस्थित रूप से कार्यान्वित किया जा सकता है, इस कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न विषयों के सम्बंध में इन गतिविधियों में व्यावहारिक रुख अपनाया जाना चाहिए। माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्तरों पर व्यावसायिक "कोर" को स्थान दिया जाएगा, कार्य अनुभव/ सूपू प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित होगा।
- (iv) कार्रवाई योजना में संशोधन करते समय कार्यान्वयन से सम्बंधित अन्य सिफारिशों पर ध्यान दिया जा सकता है।
- (v) स्कीम की आयोजना और कार्यान्वयन पर पर्याप्त श्रम किया जाना चाहिए।



अध्याय 13 उच्च शिक्षा

13.1 राष्ट्रीय शिक्षा नीति पुनरीक्षा समिति के अध्याय 9, जो उच्च शिक्षा से सम्बंधित है, में तेईस सिफारिशें हैं (सिफारिश सं० 198-220) शिकायत निवारण से सम्बंधित सिफारिश सं० 220 पर "दि मैनेजमेंट ऑफ एजुकेशन" नामक अध्याय में विचार किया गया है क्योंकि इस सिफारिश का शैक्षिक प्रशासन पर पूरा प्रभाव है।

नीति सम्बंधी सिफारिशें

13.2 निम्नलिखित सिफारिशें नीति से सम्बंधित हैं :-

- (i) राष्ट्रीय स्तर के एक सांविधिक तंत्र की संभाव्यता की पुनरीक्षा ताकि गैर-स्तरीय और घटिया विश्वविद्यालयों तथा कालेजों को हतोत्साहित किया जा सके। (सिफारिश सं० 198)
- (ii) विश्वविद्यालयों को स्नातक स्तर पर परीक्षाएं लेने की जिम्मेदारी से मुक्त करना। (सिफारिश सं० 201)
- (iii) विश्वविद्यालय क्षेत्र विशेष में विकास के साधन देने चाहिए और अवधारणा को दृष्टिगत रखते हुए पाठ्यचर्या पाठ्यक्रम विकास आदि में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए जाने चाहिए। (सिफारिश सं० 214)
- (iv) राष्ट्रीय परीक्षा सेवा (एन० टी० एस०) केवल एक संसाधन संस्था होनी चाहिए, सक्षमता की जांच की जिम्मेदारी सम्बद्ध प्रयोगकर्ता एजेंसियों पर छोड़ दी जानी चाहिए। (सिफारिश सं० 215)
- (v) केन्द्रीय ग्रामीण संस्थान परिषद् स्थापित करने की आवश्यकता नहीं है परिषद् द्वारा किए जाने के लिए परिकल्पित कार्य विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और राज्यों की उच्च शिक्षा परिषदों द्वारा किए जा सकते हैं। (सिफारिश सं० 216 और 217)
- (vi) एक राष्ट्रीय उच्च शिक्षा परिषद् की स्थापना करना आवश्यक नहीं है, इन्हीं लक्ष्यों को एक टू-टायर ढांचे, अर्थात् मंत्रियों की एक परिषद् तथा सचिवों की एक परिषद् द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। (सिफारिश सं० 219)

उच्चतर शिक्षा में स्तरों को बनाए रखना

13.3 सिफारिश सं० 198 निम्नलिखित तर्कों पर आधारित है :-

- (i) कालेजों और विश्वविद्यालयों की अनियोजित प्रचुर मात्रा उच्चतर शिक्षा का अभिशाप है,
- (ii) प्रचुर मात्रा को नियंत्रित करने में वि० अ० आ० की मौजूदा शक्तियां अपर्याप्त हैं। पहले तर्क को सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किया गया है। रा० शि० नी० में ही पहले से स्थापित संस्थाओं में चहुंमुखी सुधार को लागू करने की आवश्यकता को पहचाना गया है और प्रस्ताव किया गया है कि मौजूदा संस्थाओं में सुविधाओं के समेकन और विस्तार पर और इस पद्धति का स्तर घट न जाए इसकी सुरक्षा पर मुख्य बल दिया जाएगा। कार्रवाई योजना में उच्चतर शिक्षा पद्धति के एक सुनियोजित विकास की प्राप्ति में वि० अ० आ० और राज्य उच्च शिक्षा परिषदों की महत्वपूर्ण भूमिका की परिकल्पना की गई। वि० अ० आ० भी पर्याप्त सुविधाओं से रहित कालेजों तथा विश्वविद्यालयों की स्थापना के पक्ष में नहीं है और 1972 में ही आयोग ने इस संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश परिचालित किए थे। वास्तव में, वि० अ० आ० केवल उन विश्वविद्यालयों तथा कालेजों को अनुदान प्रदान करता है जिनमें न्यूनतम निर्धारित सुविधाएं हैं। इनमें रा० शि० नी० मूल्यांकन समिति की सिफारिश पर सावधानीपूर्वक विचार किया है। हमने इस तथ्य पर भी ध्यान दिया है कि सामान्य तौर पर राज्य केन्द्रीय विनियामिक विधान के अनिच्छुक रहे हैं और स्वयं वि० अ० आ० सांविधिक प्राधिकार के बजाय आग्रह पर निर्भर करने को प्राथमिकता देता है। स्तर रहित और कम-स्तर के विश्वविद्यालय तथा कालेज खोलने को विनियमित करने के लिए एक राष्ट्रीय स्तर का सांविधिक तंत्र स्थापित करने की सलाह देना उचित नहीं है। हमारा विचार है कि पर्याप्त सुविधाओं से रहित कालेजों की प्रचुर मात्रा पर काफी हद तक अंकुश लगाया

जा सकता है यदि विश्वविद्यालय कड़े नियंत्रण का रुख अपनाएँ और संबद्धन प्रदान करने से पूर्व आवश्यक बुनियादी सुविधाओं तथा शैक्षिक सुविधाओं को उपलब्ध कराने पर जोर दे और यदि राज्य सरकारें इन मामलों में विश्वविद्यालयों के निर्णय का सम्मान करें। हमारा यह भी विचार है कि उच्चतर शिक्षा के सुनियोजित विकास में राज्य उच्च शिक्षा परिषदों की स्थापना और उनका संचालन काफी सहायक सिद्ध होगा।

विस्तार सेवा

13.4 रा० शि० नी० मूल्यांकन समिति की दृष्टि में, उच्चतर शिक्षा पद्धति में शिक्षा तथा अनुसंधान में लोगों की क्षेत्रीय अपेक्षाओं और विश्व के कार्यकलापों के बीच संतुलन का प्रयास किया जाना चाहिए। इसके परिणामस्वरूप, रा० शि० नी० मूल्यांकन समिति ने सिफारिश की कि विश्वविद्यालयों को विकासात्मक मामलों से स्वयं को सम्बद्ध करना चाहिए और अपने अपने क्षेत्रों के लिए विकास के साधन बन जाना चाहिए (सिफारिश सं० 214)। इस उद्देश्य के लिए यह सुझाव दिया गया था कि विश्वविद्यालयों तथा कालेजों में पाठ्यक्रमों को फिर से तैयार किया जाना चाहिए और शिक्षकों तथा छात्रों को ग्रामीण स्कूलों के विकास सहित विकासात्मक कार्यक्रमों में और अधिक सक्रियता से भाग लेना चाहिए। रा० शि० नी० मूल्यांकन समिति की सिफारिश में निहित भावना प्रशंसनीय है, शिक्षण तथा अनुसंधान के समान विश्वविद्यालयों तथा कालेजों में आदर्श रूप से विस्तार सेवा महत्वपूर्ण कार्य होना चाहिए। तथापि उच्च शिक्षा पद्धति की मौजूदा स्थिति पर विचार करते हुए हम महसूस करते हैं कि इसे कारगर बनाने के लिए बौद्धिक क्षमता के पुनः संचय, उद्देश्य की गंभीरता और उच्च शिक्षा पद्धति में अनुशासन को प्रथम वरीयता दी जानी चाहिए। विस्तार कार्य के लिए शैक्षिक श्रेय पर विचार किया जा सकता है और कतिपय क्षेत्रों में सामाजिक कार्य तथा ग्रामीण विकास जैसे विस्तार कार्य कलापों से सीधे सम्बद्ध किया जा सकता है। यहां तक कि पाठ्यक्रमों को फिर से तैयार किया जा सकता है। तथापि, रा० शि० नी० मूल्यांकन समिति द्वारा सुझाये गए सभी पाठ्यक्रमों को फिर से तैयार करना न तो व्यवहार्य होगा और न ही वांछनीय। साक्षरता जैसे विस्तार कार्य में शिक्षकों तथा छात्रों की सहभागिता प्राप्त करने के प्रयास किए जाने चाहिए। हम रा० शि० नी० के पैरा 8.22 को जोरदार ढंग से पुनः दोहराते हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए कि सभी छात्र किसी न किसी मौजूदा योजना में विशेष रूप से राष्ट्रीय सेवा योजना और राष्ट्रीय कैडेट कोर में भाग लें। स्कूल से बाहर युवाओं को राष्ट्रीय सेवा तथा विकास

में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने के वास्ते विशिष्ट योजनाएं तैयार की जानी चाहिए। हममें से कुछ उन छात्रों के लिए एक दो वर्षीय मिश्रित कार्यक्रम का भी सुझाव देते हैं जो + 2 स्तर पूरा कर लेते हैं, जिसमें अर्ध-सैनिक सेवा, व्यावसायिक तथा पेशेवर कौशलों के विकास और ग्रामीण क्षेत्रों में विस्तार कार्य शामिल हैं। इस कार्यक्रम की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह होगी कि छात्रों से राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने की दृष्टि से, उनके अपने राज्य से बाहर इन कार्यक्रमों में भाग लेने की अपेक्षा की जाएगी। कार्यक्रम की व्यवहार्यता और वित्तीय पहलुओं का पता लगाना होगा। हममें से एक इस विचार से सहमत नहीं है।

राष्ट्रीय परीक्षा सेवा

13.5 नौकरियों को डिग्रियों से अलग-करते के महत्व और एक राष्ट्रीय परीक्षा सेवा की आवश्यकता को स्वीकार करते समय रा० शि० नी० मूल्यांकन समिति ने सिफारिश की कि राष्ट्रीय परीक्षा सेवा को केंद्रीयकृत ढंग से परीक्षाएं आयोजित करने का एक निकाय होने की आवश्यकता नहीं है (सिफारिश सं० 215)। तथापि, हममें से एक नौकरियों को डिग्रियों से अलग करने के विचार को स्वीकार नहीं करता। रा० शि० नी० मूल्यांकन समिति की दृष्टि में क्षमताओं की परीक्षा को अच्छा होगा कि उपयोक्ता एजेंसियों पर छोड़ दिया जाए चाहे वे नियोक्ता हों अथवा शैक्षिक संस्थाएं। राष्ट्रीय परीक्षा सेवा को अनुसंधान और परीक्षाओं के लिए माडल तैयार करने, परीक्षा सुधार, परीक्षा प्रशासन तथा अनुभवों की अभिस्वीकृति जैसे कतिपय सेवा कार्य करने से सम्बद्ध एक विकासात्मक एजेंसी होना चाहिए। अधिकांश का यह विचार है कि जब तक राष्ट्रीय परीक्षा सेवा परीक्षाएं आयोजित करना शुरू नहीं कर देती, यह संगठन अपेक्षित विशेषज्ञता हासिल नहीं कर सकता और रा० शि० नी० मूल्यांकन समिति द्वारा यथा परिकल्पित एक सक्षम संसाधन केन्द्र के रूप में विकसित नहीं हो सकता।

ग्रामीण विश्वविद्यालय

13.6 रा० शि० नी० में ग्रामीण समुदायों की आवश्यकताओं और गांधीवादी बुनियादी शिक्षा के कार्यक्रम को सुदृढ़ करने तथा उसमें सहयोग देने से संबंधित शिक्षा का एक ढांचा विकसित करने की परिकल्पना की गई। इसका अनुपालन करते हुए कार्रवाई योजना में ग्रामीण शिक्षा का एक सु-समन्वित कार्यक्रम तैयार करने और उसे कार्यान्वित करने के लिए एक केंद्रीय ग्रामीण संस्थान, परिषद गठित करने का सुझाव दिया गया। इस प्रकार की एक परिषद के गठन से संबंधित एक प्रस्ताव शिक्षा विभाग द्वारा तैयार किया गया था जो एजुकेशन कन्सलटेंट्स (इण्डिया) लि० द्वारा तैयार की गई एक

परियोजना रिपोर्ट पर आधारित है। रा० शि० नी० मूल्यांकन समिति का मत था कि ऐसी परिषद् के गठन की कोई आवश्यकता नहीं है और यह कि परिषद् के लिए परिकल्पित कार्यों को वि० अ० आ० और स्वयं राज्य उच्च शिक्षा परिषदों द्वारा किया जा सकता है (सिफारिश सं० 216-217 तथापि, शिक्षा विभाग ने महसूस किया कि निम्नलिखित कारणों से यह एक व्यवहार्य सिफारिश नहीं है।

- (i) अब तक केवल एक राज्य ने राज्य उच्च शिक्षा परिषद् का गठन किया है। यदि और परिषदें गठित भी की जाएं तो भी उनका मुख्य ध्यान उच्च शिक्षा की परम्परागत पद्धति पर ही केन्द्रित रहेगा।
- (ii) परम्परागत पद्धति के तीव्र विकास के कारण वि० अ० आ० ग्रामीण विश्वविद्यालयों के विकास की ओर पर्याप्त ध्यान देने और आवश्यक प्रोत्साहन प्रदान करने में सक्षम नहीं हो पाया है। वि० अ० आ० के लिए ग्रामीण संस्थाओं के पक्ष में अपनी प्राथमिकताओं को पुनः व्यवस्थित करना कठिन होगा।
- (iii) अनेक ग्रामीण संस्थाएं स्कूल स्तर पर शिक्षा सहित समेकित शिक्षा प्रदान करती हैं। ये संस्थाएं विश्वविद्यालय पद्धति के साथ सम्बद्ध नहीं हैं और वि० अ० आ० के अधिकार क्षेत्र के अंदर नहीं आतीं। अतः उनके कार्यकलापों को प्रोत्साहित करने के लिए केंद्रीय परिषद् जैसा एक पृथक निकाय अपेक्षित है।
- (iv) प्रस्तावित केन्द्रीय परिषद् नवीन ग्रामीण संस्थाओं के गठन में भी पहल करेगी और उन्हें प्रोत्साहित करेगी। वि० अ० आ० इस कार्य को निष्पादित नहीं कर सकता।

हमारा यह विचार है कि गांधीवादी रूपरेखा के आधार पर ग्रामीण शिक्षा को अत्यावश्यक प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए एक केंद्रीय ग्रामीण संस्थान परिषद् आवश्यक है और इसका तत्काल गठन किया जाना चाहिए।

राष्ट्रीय उच्च शिक्षा परिषद्

13.7 राष्ट्रीय शिक्षा नीति में एक राष्ट्रीय निकाय के गठन की परिकल्पना की गई जिसमें सामान्य और अधिक समन्वय के हित में तथा नीति के अनुरूप कृषि, चिकित्सा, तकनीकी, कानूनी तथा अन्य व्यावसायिक क्षेत्रों में उच्च शिक्षा, सुविधाओं की हिस्सेदारी तथा अन्तर्विषयक अनुसंधान का विकास करना शामिल हैं। रा० शि० नी० मूल्यांकन समिति का विचार था कि एक अन्य संस्था का गठन करने के बजाय उच्च शिक्षा से संबंधित विषयों से सम्बद्ध एक मंत्रिपरिषद् और एक सचिव परिषद् का गठन करके इसी प्रकार समन्वय को प्राप्त

किया जा सकता है (सिफारिश संख्या 219)। रा० शि० नी० का अनुपालन करते हुए शिक्षा विभाग ने योजना आयोग, वि० अ० आ० तथा कृषि और स्वास्थ्य जैसे संबंधित अन्य मंत्रालयों के साथ परामर्श करके प्रक्रिया प्रारंभ की। इन सभी संगठनों ने एक शीर्षस्थ निकाय के गठन संबंधी प्रस्ताव के बारे में आपत्तियाँ व्यक्त कीं क्योंकि उन्होंने महसूस किया कि ऐसा निकाय मौजूदा संस्थाओं की स्वायत्तता समाप्त कर देगा। अतः समन्वय प्राप्त करने के महत्व को स्वीकार करते हुए हम रा० शि० नी० मूल्यांकन समिति की सिफारिश से सहमत व्यक्त करते हैं।

अन्य सिफारिशें

13.8 रा० शि० नी० मूल्यांकन समिति की निम्नलिखित सिफारिशें हैं जिनमें कोई नीति संबंधी पहलू नहीं है :-

- वि० अ० आ० का पुनर्गठन (सिफारिश सं० 200)
- अवर-स्नातक परीक्षाएं आयोजित करने के उत्तरदायित्व से विश्वविद्यालयों को मुक्त करना (सिफारिश सं० 201)
- स्नोतकोत्तर शिक्षा प्रदान करने वाले प्रत्येक कालेज में पर्याप्त अनुसंधान सुविधाएं (सिफारिश सं० 202)
- वि० अ० आ० द्वारा स्वायत्त कालेजों पर समिति की रिपोर्ट की शीघ्र जांच (सिफारिश सं० 203)
- ज्ञानम समिति की रिपोर्ट पर शीघ्र निर्णय (सि० सं० 204)
- पाठ्यचर्या के विकास का विकेन्द्रीकरण (सि० सं० 205)
- विश्वविद्यालय और कालेज शिक्षकों के वेतनमानों के संशोधन से जुड़ी शर्तों के कार्यान्वयन का वि० अ० आ० द्वारा अध्ययन (सि० सं० 206)
- प्रवेश-पूर्व शिक्षक प्रशिक्षण (सि० सं० 209)
- अनुसंधान (सि० सं० 208-213)
- कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा विविधता लाना (सि० सं० 218)

13.9 सिफारिश संख्याएं 206, 208-213 और 218 सामान्य सुझाव हैं, जिन्हें संबद्ध एजेंसियों द्वारा, हमें विश्वास है, ध्यान में रखा जाएगा। हम अपने अभिमतों को पैरा 13.8 में उल्लिखित शेष सिफारिशों तक सीमित रखेंगे।

वि० अ० आ० का पुनर्गठन

13.10 रा० शि० नी० सम्बन्धी पु० सं० ने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के अलावा शिक्षण अनुसंधान, विस्तार, प्रबंध और वित्त जैसे विशिष्ट क्षेत्रों में विशेषज्ञता प्राप्त कम से कम पांच पूर्णकालिक सदस्य प्रदान कर वि० अ० आ० के ढांचे में परिवर्तन का सुझाव दिया-(सि० सं० 200) हमें यह सूचित किया गया कि रा० शि० नी० पु० सं० द्वारा सुझाए गए ढंग से वि० अ० आ० के पुनर्गठन के प्रश्न पर पूर्व में विचार किया

गया था। यद्यपि वि० अ० आ० अधिनियम को वर्ष 1971 में तीन पूर्णकालिक सदस्य प्रदान करने के लिए निश्चय ही संशोधित किया गया था, परन्तु संशोधन को बाद में रद्द कर दिया, क्योंकि यह महसूस किया गया कि सदस्यों के दो संवर्ग अर्थात् पूर्णकालिक सदस्य और अंशकालिक सदस्य, जिसमें अंशकालिक सदस्यों की, जैसा कि शब्द से ही स्पष्ट है, पूर्णकालिक सदस्यों के मुकाबिले छोटी भूमिका और स्थिति होती है, बनाना उचित नहीं होगा। हम इस विचार से सहमत हैं और यह महसूस करते हैं कि पूर्णकालिक सदस्यों की नियुक्ति की कोई जरूरत नहीं है।

13.11 रा० शि० नी० पु० स० ने पर्याप्त विकेन्द्रीकृत अधिकार और कार्यों के साथ क्षेत्रीय कार्यालय खोलने का भी सुझाव दिया (सि० सं० 200) हमें सूचना मिली कि वि० अ० आ० ने कुछ क्षेत्रीय कार्यालय खोलने की जरूरत को स्वीकार किया था और हमें प्रशासकीय कर्मचारी कॉलेज, हैदराबाद की रिपोर्ट भी मिली। हम क्षेत्रीय कार्यालय को पर्याप्त अधिकार और कार्यों के साथ स्थापित किए जाने की पुरजोर सिफारिश करते हैं।

स्नातक-पूर्व परीक्षाएं

13.12 रा० शि० नी० पु० स० ने यह सिफारिश करते हुए कि विश्वविद्यालयों को स्नातक-पूर्व परीक्षाएं संचालित करने के भार से मुक्त किया जाए (सि० सं० 201), इस उद्देश्य के लिए किसी वैकल्पिक व्यवस्था का सुझाव नहीं दिया। हमें मालूम है कि ज्ञानम समिति ने भी ऐसी ही सिफारिश की है। फिर भी, चूंकि अधिकतर विश्वविद्यालय सम्बद्धन प्रदान करते हैं, यह सिफारिश तभी कार्यान्वित की जा सकती है जब अधिकतर कालेज स्वायत्त हो जाते हैं या अन्तिम परीक्षा की जगह आंतरिक मूल्यांकन पद्धति स्थान ले लेती है या सभी स्नातक-पूर्व पाठ्यक्रमों के लिए सामान्य परीक्षाएं लेने के लिए स्वतंत्र राज्य स्तरीय परीक्षा निकाय गठित कर दिया जाता है।

कॉलेजों में अनुसंधान सुविधाएं

13.13 रा० शि० नी० पु० स० ने स्नातकोत्तर शिक्षण देने वाले सभी सम्बद्ध कॉलेजों को अनुसंधान की पर्याप्त सुविधाएं प्रदान करने का सुझाव दिया सि० सं० 202।

यद्यपि यह अभीष्ट है संसाधन की कमी सिफारिश को पूर्णतया कार्यान्वित करने की सम्भाव्यता के लिए बाधा है। वि० अ० आ०, फिर भी उपलब्ध संसाधनों के अन्तर्गत चुनिंदा कॉलेजों में अनुसंधान की सुविधाएं बढ़ाने पर विचार कर सकता है।

ज्ञानम समिति की रिपोर्ट

13.14 रा० शि० नी० पु० स० ने ज्ञानम समिति की रिपोर्ट पर शीघ्र निर्णय की सिफारिश की थी (सि० सं० 204) हमें मालूम है कि मार्च, 1991 में हुई के० शि० स० बो० की छियालीसवीं बैठक के निर्णय के अनुसार राज्य सरकारों की टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए ज्ञानम समिति की रिपोर्ट की विस्तार से जांच करने के लिए केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड समिति नियुक्त की गई थी।

पाठ्यचर्या का विकास

13.15 वि० अ० आ० ने विभिन्न विश्वविद्यालयों में मौजूदा पाठ्यक्रमों की सम्पूर्ण समीक्षा करने और पाठ्यक्रमों को आधुनिक बनाने और पुनर्गठित करने के लिए सुझाव देने के उद्देश्य से वर्ष 1986 में पाठ्यचर्या विकास केन्द्र (सी० डी० सी०) की योजना शुरू की थी। पाठ्यचर्या विकास केन्द्र देश के विभिन्न भागों में छब्बीस विश्वविद्यालयों में स्थित है। पाठ्यचर्या विकास केन्द्र द्वारा तैयार मॉडल पाठ्यक्रम पर राष्ट्रीय स्तर की कार्यशालाओं में विचार-विमर्श किया गया और सभी विश्वविद्यालयों में मार्गदर्शी सिद्धान्तों के साथ परिचालित किया गया। रा० शि० नी० पु० स० ने यह उल्लेख करते हुए कि विश्वविद्यालय और कॉलेज मॉडल पाठ्यक्रम को अपने मुताबिक जरूरी संशोधन कर अपनाने के लिए स्वतंत्र हैं, व्यक्त किया कि सम्पूर्ण उच्च शिक्षा ने वि० अ० आ० के मार्गदर्शी सिद्धान्तों को कठोर आदेश के रूप में लिया और इसने स्वयं ही एक प्रकार की कठोरता लागू की। इस आधार पर इसने यह सिफारिश की कि पाठ्यचर्या विकास केन्द्र द्वारा किए गए कार्य को विकेन्द्रित किया जाना चाहिए और पाठ्यक्रम के क्षेत्र में वि० अ० आ० की सहायता लेना विश्वविद्यालयों और कॉलेजों पर छोड़ देना चाहिए (सि० सं० 205)। वि० अ० आ० को उच्च शिक्षा के स्तरों को निर्धारित करने और उन्हें बनाए रखने की विधायी शक्ति प्राप्त है। इसलिए पाठ्यक्रम सुधार वि० अ० आ० के घोषणा पत्र में है। महत्वपूर्ण बात यह है कि वि० अ० आ० अपने कार्यों को सहयोग और पारस्परिक अन्तः क्रिया के माध्यम से पूरा करता है।

ठीक इसी प्रकार पाठ्यक्रम विकास योजना को कार्यान्वित किया गया। इसलिए हम यह महसूस करते हैं कि योजना को जारी रखा जाए, फिर भी किसी प्रकार के संदेह को कम करने के लिए वि० अ० आ० अपनी बात दुहरा सकता है कि विश्वविद्यालयों को मॉडल पाठ्यक्रम अपने मुताबिक अपनाने की पूरी आजादी है। वि० अ० आ० को पाठ्यक्रम विकास के लिए विश्वविद्यालयों के विशेष अनुरोधों पर भी विचार करना चाहिए।

शिक्षक प्रशिक्षण

13.16 रा० शि० नी० पु० स० ने शिक्षकों को भर्ती के बाद विकाेन्द्रीकृत आधार पर सम्बद्ध विश्वविद्यालयों द्वारा एक वर्ष के प्रवेश-पूर्व प्रशिक्षण प्रदान करने की सिफारिश की (सि० सं० 207) । रा० शि० नी० ने सेवा के प्रारम्भ में और तदुपरांत अन्तरालों पर शिक्षक तैयार करने पर बल दिया था । हमें सूचना मिली कि रा० शि० नी० के अनुसरण में नवनियुक्त लेक्चररों के लिए अभिविन्यास कार्यक्रम आयोजित करने और सेवारत शिक्षकों के लिए वि० अ० आ० ने देश के विभिन्न भागों में अड़तालीस शैक्षिक कर्मचारी कॉलेज (ए० एस० सी०)

स्थापित किए । हमें यह भी सूचना मिली कि अब तक 20,000 शिक्षक शैक्षिक कर्मचारी कॉलेजों में प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं । वि० अ० आ० द्वारा नियुक्त विशेषज्ञ समिति ने यह पाया कि कुल मिलाकर शैक्षिक कर्मचारी कॉलेजों ने अच्छा कार्य किया है और यह कि वि० अ० आ० ने इस योजना का विस्तार जारी रखने का निर्णय किया था । संसाधनों की कमी के कारण प्रत्येक विश्वविद्यालय में प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान करना संभव नहीं हो सकता है । हम यह सुझाव देते हैं कि वि० अ० आ० को शैक्षिक कर्मचारी कॉलेजों की योजना के कार्यान्वयन की नजदीक से मानीटरिंग करनी चाहिए ।

आध्याय 14

तकनीकी और प्रबन्ध शिक्षा

रा०शि०नी०पु०स० परिप्रेक्ष्य

14.1 रा०शि०नी०पु०स० ने तकनीकी और प्रबंध शिक्षा के अपने परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित बातें कहीं हैं :

- (i) प्रौद्योगिकी के मानवीय पक्ष को अनिवार्य रूप से दिखाने की जरूरत ।
- (ii) तकनीकी और प्रबंध शिक्षा को हमारे ग्रामीण समाज और सुविधाविहीन वर्गों की वास्तविक जरूरतों की ओर ध्यान देना चाहिए ।
- (iii) विदेशी तकनीक पर निरन्तर निर्भर रहने की संस्कृति पैदा की जानी चाहिए ।

यह परिप्रेक्ष्य मोटे तौर पर रा०शि०नी०/कार्य योजना, विज्ञान और तकनीकी नीति का पुनर्कथन है ।

प्रतिभा पलायन

14.2 लगभग सभी सिफारिशें कार्यान्वयन की विशिष्ट क्रियाविधियों से सम्बद्ध हैं । एक सिफारिश जिसमें नीतिगत निहितार्थ है, सि.सं. 229 है जो प्रतिभा पलायन से सम्बद्ध है । रा०शि०नी०पु०स० ने यह विचार रखा कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों तथा क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेजों के स्नातकों के लिए विदेश जाने के पूर्व कम से कम तीन वर्षों तक देश में सेवाकरण अनिवार्य किया जाना चाहिए क्योंकि वे अत्यधिक रियायती दरों पर ऊंचे दर्जे की शिक्षा प्राप्त करते हैं । सच्चाई यह है कि देश तकनीकी संस्थानों से आए सभी स्नातकों को विशेष रूप से कुछेक विषय-क्षेत्रों के स्नातकों को देश में ही खपाने में समर्थ नहीं रहा है ।

इसके अलावा, विश्वव्यापी अंतर-निर्भरता के इस युग में कोई भी देश विज्ञान और प्रौद्योगिकी के सीमांत क्षेत्रों में हो रहे नए-नए विकासों से अपने आप को पृथक नहीं रख सकता क्योंकि इसके चलते प्राविधिक और आर्थिक विकास स्थिर हो जाएगा और यहाँ तक कि इससे वह देश आर्थिक और प्राविधिकी के क्षेत्र में पिछड़ जाएगा। हमारे युवा वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकीविदों को देश के बाहर की

संस्थाओं और अकादमियों से विचारों का आदान-प्रदान करने के अवसरों तथा विदेशों में बहुमूल्य शोध और कार्य अनुभव प्राप्त करने से वंचित नहीं रखा जाना चाहिए । विदेशों में अध्ययन/कार्य करते के उपरांत अनेक पेशेवर वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीविद देश में लौट आते हैं । अर्थ-व्यवस्था के आधुनिकीकरण और प्राविधिक स्तरोन्नयन, उद्योग, विश्वविद्यालय और शोध संस्थाओं में आधुनिक सुविधाओं की बढ़ती हुई उपलब्धता तथा एन०आर०आई० निवेश के लिए और अधिक उदार प्रोत्साहनों के चलते इस मनोवृत्ति में और वृद्धि होनी चाहिए । यदि विदेशों में रह रहे व्यावसायिकों का समुचित ढंग से उपयोग किया जाए तो वे प्रतिभा बैंक का काम कर सकते हैं। हमारा यह अभिमत है कि वह सुनिश्चित करने के लिए सभी संभव प्रयास किए जाने चाहिए कि देश में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए जो माहौल है वह प्रतिभावान व्यक्तियों के लिए आकर्षक है । तथापि हम नियामक कानून की सलाह देना उचित नहीं समझते हैं । हममें से एक व्यक्ति अंतिम मुद्दे से सहमत नहीं है ।

महत्वपूर्ण क्षेत्र योजनाएं

14.3 राष्ट्रीय नीति सम्बन्धी पुनरीक्षा समिति ने राष्ट्रीय स्तर की एक विशेषज्ञ समिति द्वारा महत्वपूर्ण क्षेत्र योजनाओं का व्यापक मूल्यांकन करने की सिफारिश की थी (सि०सं० 221) । ये योजनाएं चूंकि अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई हैं इसलिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हैं । अतः निरीक्षण और मूल्यांकन की एक उचित प्रणाली का होना बहुत ही महत्वपूर्ण है । हमें सूचित किया गया है कि पिछले तीन वर्षों के दौरान ही इन योजनाओं के लिए काफी मात्रा में धन प्रदान किया गया है और यह कि राष्ट्रीय स्तर की विशेषज्ञ समिति द्वारा इन योजनाओं का मूल्यांकन कराना जल्दबाजी होगी । अतः हमारा विचार है कि आठवीं पंचवर्षीय योजना के तीसरे वर्ष अर्थात् 1994-95 में व्यापक मूल्यांकन शुरू किया जा सकता है क्योंकि तब तक इन योजनाओं को व्यापक स्तर पर लागू किए हुए लगभग 5-6 वर्ष हो जाएंगे ।

सामुदायिक पालिटेकनिक

14.4 सिफारिश सं० 222 में कलबाग समिति की रिपोर्ट के आधार पर सामुदायिक पालिटेकनिक की योजना में सुधार करने का सुझाव दिया गया है। भारत सरकार के शिक्षा विभाग को कलबाग समिति की रिपोर्ट पर शीघ्र निर्णय लेना चाहिए।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान

14.5 सिफारिश सं० 224 में भा०प्रौ०सं० की समीक्षा समिति की रिपोर्ट पर शीघ्र निर्णय लिए जाने के लिए सुझाव दिया गया है।

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद

14.6 सिफारिश सं० 223 में यह सुनिश्चित करते के लिए तत्काल कदम उठाने का सुझाव दिया गया है कि अ०भा०त०शि०प० के क्षेत्रीय कार्यालयों में सभी पदों पर भर्ती कर दी गई है तथा यह कि इन कार्यालयों को पर्याप्त प्राधिकार और कार्य सौंपे गए हैं। हमने अ०भा०त०शि०प० अधिनियम के कार्यक्रम पर काफी विचार किया है। निश्चय ही हम उन कारणों को स्वीकार करते हैं जिनके चलते अधिनियम बनाना आवश्यक हो गया था। हमारा दृढ़ मत है कि तकनीकी शिक्षा में मानकों का बनाया रखना नितान्त आवश्यक है। इस बात का खंडन नहीं किया जा सकता कि मानकों और मानदंडों की आयोजना, उन्हें तैयार करने तथा उन्हें बनाए रखने, प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को धन प्रदान करने, निरीक्षण और मूल्यांकन, प्रमाणीकरण और अवार्ड में समानता को बनाए रखने तथा तकनीकी और प्रबंध शिक्षा के समन्वित और समेकित विकास को सुनिश्चित करने के लिए तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में एक अखिल भारतीय स्तर के व्यावसायिक निकाय की आवश्यकता नहीं है। तथापि, हमारा यह अभिमत है कि अ०भा०त०शि०प० की भूमिका विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की

भूमिका की तरह ही होनी चाहिए तथा यह कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की तुलना में इसे ज्यादा विनियामक नहीं होना चाहिए। हमने रिपोर्ट के पैरा 13.3 में स्पष्ट कर दिया है कि हमने मानक रहित और न्यून मानक वाले विश्वविद्यालय और कालेज खोलने को विनियमित करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को सांविधिक अधिकार प्रदान करने से संबंधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति सम्बन्धी पुनरीक्षा समिति की सिफारिश का समर्थन क्यों नहीं किया है। हमारा यह अभिमत है कि अ०भा०त०शि०प० के क्षेत्रीय कार्यालयों में सभी पदों पर नियुक्ति की जानी चाहिए तथा यह कि क्षेत्रीय समिति का अध्यक्ष उस क्षेत्र में आने वाले राज्यों के शिक्षा मंत्रियों को बारी बारी से होना चाहिए। नई संस्थाएं खोलने, नए पाठ्यक्रम शुरू करने तथा अ०भा०त०शि०प० द्वारा तैयार की गई मार्गदर्शी रूपरेखाओं के कार्य ढांचे के अंतर्गत दाखिलों में वृद्धि से संबंधित विषयों पर क्षेत्रीय समिति को सिफारिश करने का अधिकार होना चाहिए। राज्य सरकारों तथा विश्वविद्यालयों को केवल क्षेत्रीय समितियों की सिफारिशों के आधार पर ही आवश्यक अनुमोदन जारी करना चाहिए।

भावी दृष्टिकोण और उपाय

14.7 राष्ट्रीय शिक्षा नीति सम्बन्धी पुनरीक्षा समिति ने गुणवत्ता और मानक में सुधार, आधारभूत सुविधाओं के स्तरोन्नयन, उद्योग और संस्थाओं के बीच आपसी संबंध, प्रौद्योगिकी पर निगरानी रखने तथा जनशक्ति की आयोजना, शोध और विकास की तरक्की, वंचित समुदाय के लिए विशेष कार्यक्रम, उद्यमशीलता में विकास तथा सतत शिक्षा और कक्षा में बच्चों को बनाए रखने से संबंधित कार्यक्रमों के संबंध में भी कई सिफारिशों की हैं। कार्रवाई योजना में सुधार करते समय इन सिफारिशों पर समुचित ध्यान दिया जाना चाहिए।

अध्याय 15

शिक्षा में भाषाएं

15.1 वर्तमान नीति रा० शि० नी० 1968 में वर्णित की गई थी। इस मामले की काफी जांच पड़ताल के बाद रा० शि० नी० इस निष्कर्ष पर पहुंची थी कि भाषा से संबंधित मूलभूत सिद्धान्तों में सुधार करने की तनिक भी गुंजाइश नहीं है तथा ये संगत बने हुए हैं। रा० शि० नी० ने 1968 की नीति के प्रावधानों के सक्रिय और उद्देश्य पूर्ण कार्यान्वयन की सिफारिश की थी। रा० शि० नी० ने भी 1968 की नीति को दोहराया है। इसने नीति के कार्यान्वयन और इसके कार्यान्वयन में सुधार लाने के लिए आवश्यक उपायों के अध्ययन पर अपना ध्यान केन्द्रित किया। सतत रूप से चल रही योजनाओं में सुधार लाने के लिए तथा केन्द्रीय हिंदी संस्थान, केन्द्रीय अंग्रेजी और विदेशी भाषा संस्थान तथा केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान जैसी इस क्षेत्र की संस्थाओं की कार्यक्षमता को बढ़ाने के लिए इसकी सिफारिशें उपयोगी हैं।

15.2 त्रिभाषा सूत्र के संबंध में राष्ट्रीय शिक्षा नीति संबंधी पुनरीक्षा समिति ने यह राय व्यक्त की कि इस सूत्र को लागू करने में चाहे जितनी भी कठिनाइयां अथवा विषमताएं हों, परीक्षा की घड़ी में यह सफल साबित हुई है तथा यह कि इस पर फिर से विचार करना न तो अपेक्षित है और न ही समझदारी की बात है। तथापि हममें से दो व्यक्तियों का यह अभिमत है कि अंग्रेजी सम्पर्क भाषा होनी चाहिए।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति सम्बन्धी पुनरीक्षा समिति ने त्रिभाषा सूत्र के एक समान और विवेकपूर्ण कार्यान्वयन का आग्रह किया है। तथा इसने भाषा शिक्षण, भाषा शिक्षकों के प्रशिक्षण तथा पाठ्यचर्या विकास के क्षेत्र में कई सिफारिशें की हैं। इसने स्कूल प्रणाली में छात्रों द्वारा भाषा की दक्षता प्राप्त करने के मामले में एकरूपता को सुनिश्चित करने के लिए केन्द्रीय हिंदी संस्थान, केन्द्रीय अंग्रेजी और विदेशी भाषा संस्थान तथा केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान के बीच समुचित तालमेल का भी सुझाव दिया है (सि० सं० 235)। रा० शि० नी० सम्बन्धी पुनरीक्षा समिति ने केन्द्रीय हिंदी संस्थान तथा केन्द्रीय अंग्रेजी और विदेशी भाषा संस्थान के समान ही केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान को स्वायत्त निकाय में परिवर्तित करने का भी सुझाव दिया है।

15.3 रा० शि० नी० सम्बन्धी पुनरीक्षा समिति ने उच्च शिक्षा में भारतीय भाषाओं के प्रयोग को बढ़ावा देने, संविधान के अनुच्छेद 351 के अनुसार हिंदी के विकास के लिए विशेष उपायों, संस्कृत शिक्षा में शैक्षिक स्तरों के अनुरक्षण और समन्वय, सिंधी तथा गोर्खाली, संथाली, मैथिली और भोजपुरी जैसी अंतर-राज्यीय भाषाओं के विकास, प्रशिक्षण और अनुवाद के लिए राष्ट्रीय स्तर की सुविधा, भारत के एक नए भाषाई सर्वेक्षण, तथा भाषा के विकास के लिए प्राविधिकी के प्रयोग के संबंध में कई बहुत ही उपयोगी सुझाव दिए हैं (सि० सं० 236-241 तथा 244 - 247)। हमारा यह अभिमत है कि सिर्फ सि० सं० 239 और 246 को छोड़कर शेष सभी सिफारिशें उपयोगी हैं तथा कार्रवाई योजना में सुधार करने समय इन पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

15.4 संविधान के अनुच्छेद 351 में की गई परिकल्पना के अनुसार हिंदी को बढ़ावा देने के लिए किए जाने वाले प्रयासों को सुदृढ़ तथा एकजुट करने के उद्देश्य से सि० सं० 239 में केन्द्रीय हिंदी संस्थान, केन्द्रीय हिंदी निदेशालय तथा वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग को एक में मिलाने का सुझाव दिया गया है। तथापि, हमारा यह अभिमत है कि इन तीन संस्थाओं को एक में मिलाना वांछनीय नहीं होगा। इनमें से प्रत्येक संस्था का चार्टर भिन्न है। केन्द्रीय हिंदी निदेशालय द्वि-भाषी, त्रि-भाषी, बहु-भाषी शब्दकोषों को तैयार करने तथा अहिंदी भाषी क्षेत्रों में हिंदी के प्रचार-प्रसार के लिए, केन्द्रीय हिंदी संस्थान हिंदी शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए तथा वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग भारतीय भाषाओं में शब्दावली के विकास के लिए हैं। इसके अलावा इन तीनों को एक में मिलाने से जो निकाय उभर कर सामने आएगा वह सहज रूप से चलाने योग्य नहीं होगा; इस एकीकरण से सेवा संबंधी विवाद खड़े हो जाने की संभावना है क्योंकि इन तीनों संगठनों के कर्मचारियों की सेवा शर्तें प्रभावित होंगी।

15.5 सि० सं० 246 में सुझाव दिया गया है कि तर्कसंगत सिद्धान्तों

पर आधारित भारत का एक नया भाषाई सर्वेक्षण शुरू किया जाना चाहिए। हमने नोट किया है कि भारत के महापंजीयक, भारतीय मानव-विज्ञान सर्वेक्षण तथा शैक्षिक अनुसंधान से संबंधित कुछ संस्थाओं सहित कई एजेन्सियां पहले से ही भाषा से संबंधित आकड़े एकत्र करने में लगी हुई हैं। इसे तथा भाषा के मामले पर तीव्र मतभेदों और भाषाई सर्वेक्षण से उठने वाले संभावित विवादों को ध्यान में रखते हुए हमारा यह अभिमत है कि एक नया भाषाई सर्वेक्षण वांछनीय नहीं है।

15.6 रा० शि० नी० सम्बन्धी पुनरीक्षा समिति ने उर्दू के विकास के संबंध में अली सरदार जाफरी समिति की सिफारिश का भी समर्थन किया है। हमें यह सूचित किया गया है कि भारत सरकार का शिक्षा विभाग शिक्षाविदों तथा उर्दू भाषा में विशेषज्ञता प्राप्त व्यक्तियों के परामर्श से अली सरदार जाफरी समिति की संपूर्ण रिपोर्ट पर कार्रवाई कर रहा है। अतः हम इस सिफारिश पर कोई भी मत नहीं पेश कर रहे हैं।

अध्याय 16

शिक्षा की विषय-वस्तु और पद्धति

16.1 इस रिपोर्ट के अध्याय 12 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति पुनरीक्षण समिति ने शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति से सम्बंधित मुद्दों पर विस्तार से विचार किया है। इन मुद्दों में पाठ्यचर्या, शिक्षा की सांस्कृतिक अन्तर्वस्तु, मूल्य शिक्षा, भाषाएँ, शैक्षिक प्रौद्योगिकी, संगणक शिक्षा, कार्य अनुभव, पर्यावरणात्मक चेतना, गणित एवं विज्ञान शिक्षा, खेल, शारीरिक शिक्षा एवं युवा कार्यकलाप, परीक्षा सुधार और स्कूल बैग के बोझ में कमी करना सम्मिलित हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति पुनरीक्षा समिति ने स्वयं बताया कि सिफारिश संख्या 254 में उल्लिखित उपायों पर “ शिक्षा में भाषाएं” नामक अध्याय में अधिक विस्तार से चर्चा की गई थी। इसलिए इस अध्याय में सिफारिश संख्या 254 पर विचार नहीं किया गया है। कार्य अनुभव / एस०यू०पी० डब्ल्यू० से संबंधित सिफारिश संख्या 258 (1) जिसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति पुनरीक्षा समिति द्वारा स्वयं “ शिक्षा और काम का अधिकार” अध्याय में स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त किया गया है इसलिए यहां सिफारिश संख्या 258 (1) पर भी विचार नहीं किया गया है।

पाठ्यचर्या

16.2 राष्ट्रीय शिक्षा नीति पुनरीक्षा समिति ने राष्ट्रीय पाठ्यचर्या अवस्थापना (फ्रेमवर्क) का उल्लेख किया जिसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति की अनुपालना में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् द्वारा तैयार किया गया था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति पुनरीक्षा समिति यह विचार प्रकट करती है कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् द्वारा तैयार किए जाने वाले कोर पाठ्यचर्या क्षेत्रों में अनुदेशकीय पैकेजों और विशिष्ट कार्यानुभव कार्यकलापों के शिक्षात्मक पैकेजों ने पाठ्यचर्या में संशोधन के केन्द्रीय प्रत्यक्ष प्रयास को प्रभावित किया है जबकि केन्द्रीय समन्वय अर्थपूर्ण होगा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति पुनरीक्षा समिति की राय थी कि पाठ्यचर्या तैयारी की पद्धति राज्य एजेन्सियों के माध्यम से विकेन्द्रीकृत की जानी चाहिए। हमने यह नोट किया कि अब भी राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् द्वारा तैयार की गई राष्ट्रीय पाठ्यचर्या अवस्थापना (फ्रेमवर्क) ने केवल दिशा

निर्देश दिए हैं , कि पाठ्यचर्या की वास्तविक तैयारी राज्य एजेन्सियों द्वारा उनके स्कूलों के लिए की जाती है। इस प्रकार राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् की पाठ्यचर्या में एक समन्वय की भूमिका है। शिक्षा की सांस्कृतिक विषय वस्तु के सम्बन्ध में राष्ट्रीय शिक्षा नीति पुनरीक्षा समिति महसूस करती है कि पाठ्यचर्या में राष्ट्रीय शिक्षा नीति द्वारा सुझाई गई भारत की आम विरासत को ही केवल सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए , बल्कि भारत के सभी भागों की सांस्कृतिक परम्पराओं की विविधताओं विशेषकर उन्हें जो मौखिक और लोक परम्पराओं की प्रतीक है को भी सम्मिलित किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने यह भी सुझाव दिया कि देश की सांस्कृतिक परम्पराओं को छात्र समुदाय तक पहुंचाने में उसी आधार पर आलोचनात्मक विश्लेषण की स्वीकृति-अस्वीकृति को अन्तर्निविष्ट करने की आवश्यकता है इन सिफारिशों का यह तात्पर्य है कि सांस्कृतिक विरासत के दो प्रकार हैं – एक सामान्य और दूसरी गैर सामान्य और इस प्रकार संस्कृति की विविधताएं भारत की सामान्य संस्कृति का भाग नहीं हैं। दूसरी ओर भारत की मिश्रित संस्कृति विविधताओं को सम्मिलित करती हैं। यह सुझाव देते हुए कि कोर पाठ्यचर्या को मूल्यों, जैसे भारत की सामान्य सांस्कृतिक विरासत को बढ़ाना चाहिए; राष्ट्रीय शिक्षा नीति विविधताओं को नहीं नकारती। यह इस तथ्य से स्पष्ट है कि पैरा 4.6 ने जनजातीय लोगों की समृद्ध सांस्कृतिक पहचान के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए शिक्षा के सभी स्तरों पर पाठ्यचर्या की आवश्यकता पर बल दिया। सिफारिश संख्या 249 में निहित संस्कृति का स्थिर विचार है- ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विकास की प्रक्रिया में अनेक तत्व अप्रचलित हो जाते हैं और जब अन्य परिवर्तन और संशोधन से गुजरते हैं तब छोड़ दिए जाते हैं। इस प्रकार संस्कृति को एक प्रक्रिया के रूप में देखा जाना चाहिए न कि इसके अन्तिम रूप में। अतीत के किसी निश्चित काल में सृजित किसी रूप में देखा जाना चाहिए जिसे या तो श्रद्धेय होना है या मलिन होना है।

मूल्य शिक्षा

16.3 राष्ट्रीय शिक्षा नीति पुनरीक्षा समिति ने मूल्य शिक्षा से सम्बन्धित राष्ट्रीय शिक्षा नीति की व्यवस्थाओं को अनुमोदित किया और राष्ट्रीय शिक्षा नीति द्वारा देश की एकता और अखण्डता के लिए की गई परिकल्पना की प्रशंसा की। राष्ट्रीय शिक्षा नीति द्वारा विशिष्ट रूप से गिनवाए गए मूल्यों में से अधिकांश को राष्ट्रीय शिक्षा नीति पुनरीक्षा समिति ने महसूस किया उनकी शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति में व्यापक जानकारी होनी चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति पुनरीक्षा समिति का यह विचार था कि मूल्य शिक्षा कक्षा-कक्ष में अनुदित पाठ्यचर्या तक ही सीमित नहीं रहनी चाहिए। स्कूल और समुदाय के बीच संयोजन की स्थापना और लोकगीतों के सामुदायिक गायन जैसी पाठ्येतर कार्यकलापों का जैसे मूल्यों को प्रोत्साहन देने के लिए इसने कई अन्य कार्यकलापों का सुझाव दिया। कार्रवाई कार्यक्रम का संशोधन करते हुए इन सुझावों (सिफारिश संख्या 251-253) को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

शैक्षिक प्रौद्योगिकी

16.4 शैक्षिक प्रौद्योगिकी के सम्बन्ध में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का नियमन विशद रूप से राष्ट्रीय शिक्षा नीति पुनरीक्षा समिति को अनुमोदित किया गया था। सिफारिश संख्या 255 ने शैक्षिक प्रौद्योगिकी की स्कीम के कार्यान्वयन को सुधारने के लिए सुझाव प्रस्तुत किए। प्राधिकृत राज्य सरकारों को प्रदत्त इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर की उपयोगिता के स्तर का मूल्यांकन, हार्डवेयर के प्रयोग में आने वाली आधारभूत बाधाओं को हटाना और बेहतर समन्वय और अनुश्रवण आदि सुझाए गए उपाय हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति पुनरीक्षा समिति ने कक्षा-कक्ष शिक्षा में शैक्षिक प्रौद्योगिकी के प्रयोग में शिक्षकों के प्रशिक्षण और पुनः प्रशिक्षण की महत्ता दोहराई। सिफारिश ने यू जी सी, सी आई ई एफ एल, सी आई आई एल और के एच एस जैसी मौजूदा संस्थाओं में सुविधाओं के बेहतर प्रयोग की भी वकालत की। राष्ट्रीय शिक्षा नीति पुनरीक्षा समिति ने एस आई ई टी में तकनीकी और व्यावसायिक पदों में उपयुक्त ढंग से संचालन के लिए उपायों का सुझाव भी दिया ताकि एस आई ई टी की क्षमताओं का भरपूर उपयोग हो। हम सुझाव देते हैं कि इस सिफारिश का केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा अनुसरण किया जाना चाहिए और कार्रवाई कार्यक्रम का संशोधन करते समय इसे ध्यान में रखा जाना चाहिए।

संगणक शिक्षा

16.5 संगणक शिक्षा सम्बन्धी सिफारिश संख्या 256 और 257 में नीतिगत उलझनें नहीं हैं, उनका संबंध संगणक शिक्षा की योजना के

कार्यान्वयन से हैं। एन पी ई आर सी ने संगणक शिक्षा के विस्तार के विषय में एक सतर्कता नोट की ओर ध्यान आकृष्ट किया : प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वजनीकरण की उच्च प्राथमिकताओं और संसाधन दबाव को ध्यान में रखना आवश्यक है। एन पी ई आर सी ने कक्षा-कक्ष परियोजना की पुनरीक्षा का भी सुझाव दिया। हमने एन पी ई आर सी की सिफारिश पर सावधानी पूर्वक विचार किया है। यद्यपि संसाधन उपलब्धता एक महत्वपूर्ण विचार है, हम महसूस करते हैं कि उभरते हुए प्रौद्योगिकी युग में संगणक निरक्षरताएं उतनी ही बड़ी विकलांगता हैं जितनी निरक्षरता और हम अन्य देशों के मुकाबले पिछड़ जाना बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसलिए स्कूलों में विशेषकर सैकेण्डरी स्तर पर संगणक शिक्षा के लिए सुविधाओं के क्रमिक विकास की आवश्यकता है हमने संगणक शिक्षा की चल रही स्कीम को फिर से शुरू करने के भारत सरकार के शिक्षा विभाग के उद्देश्य को ध्यान में रखा है ताकि इसे और अधिक प्रभावी बनाया जा सके।

पर्यावरणात्मक शिक्षा और विज्ञान तथा गणित का अध्यापन

16.6 रा शि नी पु स कार्य अनुभव, शिक्षा के पर्यावरणीय अभिविन्यास, गणित शिक्षण और विज्ञान शिक्षा पर रा शि नी द्वारा दिए गए बल से सहमत थी, फिर भी कार्यान्वयन रूपात्मकताओं के बाबत इसका मतभेद था। रा शि नी पु स ने यह सुझाव दिया कि बच्चों के बीच पर्यावरण को पहचानने की जागरूकता परियोजना कार्य में उनकी निरंतर भागीदारी के माध्यम से पैदा की जानी चाहिए। हम देखते हैं कि स्कूली शिक्षा के लिए पर्यावरणीय अभिविन्यास की केन्द्र प्रायोजित योजना में कई परियोजना कार्यकलाप हैं जिनका लक्ष्य बच्चों और समुदाय में पर्यावरणीय जागरूकता पैदा करना है। रा शि नी पु स ने यह इच्छा व्यक्त की कि पारम्परिक बुद्धिमत्ता और ज्ञान को गणित और विज्ञान के शिक्षण के साथ जोड़ा जाना चाहिए। इस संदर्भ में रा शि नी पु स ने स्कूली शिक्षा के लिए संवर्द्धन सामग्री के तौर पर विशेष रूप से वैदिक गणित के सूत्रों का हवाला दिया। हम यह महसूस करते हैं कि गणित और विज्ञान के पाठ्यक्रम और शिक्षण में ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य और कला की वर्तमान स्थिति के बीच समन्वय स्थापित किया जाना चाहिए और संकल्पना की समझ पर बल दिया जाना चाहिए। रा शि नी पु स ने विज्ञान के शिक्षण में खोज की पद्धतियों का प्रयोग बेहतर समझा ताकि विद्यार्थी प्राकृतिक और भौतिक घटनाओं के प्रति अपना ज्ञान विकसित कर सकें। इसने विज्ञान शिक्षकों के अभिविन्यास, नई पुस्तकों के प्रकाशन, विज्ञान के शिक्षण के लिए सरल प्रयोग तैयार करने और वैज्ञानिक प्रवृत्ति पैदा करने की वकालत की। ये सुझाव निश्चित रूप

से रा० शि० नी० के पैरा 8.18 और 8.19 की पुनरावृत्ति है जिसमें विज्ञान शिक्षा सुदृढ़ करने की परिकल्पना की गई है, ताकि बच्चे की जिज्ञासा प्रवृत्ति, सृजनात्मकता, विषय निष्ठता, प्रश्न करने के साहस, सौंदर्य बोध और प्रश्न हल करने तथा निर्णय लेने के कौशल जैसी स्पष्ट क्षमताओं और मूल्यों को विकसित करने की सुविधा प्रदान की जा सके।

किशोरावस्था

16.7 सि० सं० 259-266 में राष्ट्रीय और सामाजिक विकास कार्यक्रमों में युवाओं की भागीदारी के लिए योजनाओं पर रा० शि० नी० पु० सं० के सुझाव दिए गए हैं। हमारा निवेदन है कि कार्यवाही योजना को संशोधित करते समय इन सुझावों को ध्यान में रखा जाए। हमारी यह निश्चित मान्यता है कि रा० शि० नी० के पैरा 8.22 में परिकल्पित एन० एस० एस० एन० सी० सी० जैसी किसी न किसी मौजूदा योजना में विद्यार्थियों को शरीक किया जाना चाहिए।

परीक्षा सुधार

16.8 परीक्षा सुधारों के संबंध में रा० शि० नी० पु० सं० ने भारतीय विश्वविद्यालय आयोग (1902) से शुरू करते हुए विभिन्न समितियों और आयोगों के निरीक्षणों की विस्तृत समीक्षा की। समीक्षा के दौरान रा० शि० नी० पु० सं० ने मूल्यांकन पद्धति और परीक्षा सुधारों के संबंध में रा० शि० नी० के प्रावधानों का जिक्र किया।

रा० शि० नी० पु० सं० ने भी विशेष तौर पर परीक्षाओं में व्यक्ति परकता को दूर करने स्मरण करने पर महत्व न दिए जाने, विद्यार्थियों के शैक्षिक और गैर शैक्षिक उपलब्धियों के निरन्तर और विस्तृत आंतरिक मूल्यांकन करने, परीक्षाओं के संचालन में सुधार करने, शैक्षिक सामग्रियों और पद्धति में सहवर्ती परिवर्तन करने, चरण क्रम में माध्यमिक स्तर से सत्र की पद्धति शुरू करने और अंकों की जगह ग्रेड का प्रयोग करने के लिए रा० शि० नी० के नियमों का उल्लेख किया। साथ ही रा० शि० नी० पु० सं० ने परीक्षा सुधार कार्य जारी रखने के लिए कार्यवाही योजना द्वारा सुझाए अल्पकालीन और दीर्घकालीन उपायों को भी दर्शाया। रा० शि० नी० पु० सं० ने विश्व विद्यालय और स्कूल स्तरों पर विभिन्न राज्यों में परीक्षा सुधारों की स्थिति भी प्रस्तुत की।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति पुनरीक्षा समिति इस निष्कर्ष पर पहुँची कि परीक्षा सुधार के घटक खण्डशः तथा उचित समन्वय के बगैर लागू किए गए थे और इसके फलस्वरूप परीक्षा-पद्धति शिक्षा के स्वरूप और कोटि के दबाव से मनवाई जा रही थी तथा विकृत की जा रही थी।

16.9 राष्ट्रीय शिक्षा नीति पुनरीक्षा समिति ने अपनी सिफारिशों

(सिफारिश संख्या 267 और 268) में, विशेष रूप से चार मुद्दों को प्रस्तुत किया अर्थात् :

- (i) परीक्षा सुधारों का पैकेज के रूप में अनुमान लगाया जाना चाहिए।
- (ii) पैकेज को समग्र रूप से लागू किया जाना चाहिए बजाए इसके कि प्रत्येक घटक को खंडशः और तदर्थ आधार पर क्रियान्वित किया जाए।
- (iii) रा० शि० नी० पु० सं० द्वारा सुझाए गए पैकेज का क्रियान्वयन शिक्षा पद्धति में व्यापक विविधताओं तथा आन्तरिक मूल्यांकन प्रक्रिया की विश्वसनीयता के बारे में व्यापक आशंकाओं जैसी व्यावहारिक समस्याओं से परिपूर्ण है।
- (iv) विभिन्न स्तरों पर परीक्षा-सुधारों में प्रगति को समन्वित करने और उसका अनुश्रवण करने के लिए एक उच्च स्तरीय राष्ट्रीय परीक्षा सुधार आयोग गठित किये जाने की आवश्यकता।

16.10 समग्र रूप से सिफारिश को पढ़ने से यह प्रतीत होता है कि रा० शि० नी० पु० सं० स्वयं द्वारा सुझाए गए पैकेज की तत्काल सम्भाव्यता तथा स्वीकार्यता के बारे में अनिश्चित थी। शैक्षिक संस्थाओं की दी गई विविधता से सभी के लिए सुधारों का एकल पैकेज निर्धारित करना यथार्थ नहीं होगा। सेमेस्टर पद्धति को लागू करने जैसे कुछेक सुधार स्कूल स्तर के अतिरिक्त उच्चतरशिक्षा के लिए प्रासंगिक हो सकते हैं। बहुल प्रवेश और निर्गम के लिए सुविधाएं तथा एक संस्था से दूसरी संस्था में ग्रेड का स्थानान्तरण कम-से-कम स्कूल स्तर पर तत्काल सम्भव नहीं है और पाठ्यचर्या में एक समान डिग्री तथा शिक्षा के माध्यम के लिए आह्वान, जो हमारे जैसे महाद्वीप राष्ट्र में प्राप्त करने कठिन है, सम्भव नहीं है। अतः, उत्तम अप्राप्य पैकेज की योजना की अपेक्षा श्रेष्ठ प्राप्त परिणामों के लिए संघर्ष करना हमारा प्रयास होना चाहिए। परीक्षा सुधार अनिवार्य रूप से प्रासंगिक तथा विकासमूलक होना चाहिए।

16.11 परीक्षा-सुधारों की अनिवार्यता को बढ़ा चढ़ाकर नहीं कहा जा सकता।

हम यह महसूस करते हैं कि परीक्षण-निकायों के अलग-अलग पहलुओं और प्रवृत्तियों पर परीक्षा-सुधार की जिम्मेदारी सौंपने की बजाए, केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा इस क्षेत्र में सशक्त और समन्वित प्रयास किया जाना चाहिए। परीक्षा-सुधार आयोग के गठन पर बल देने का विचार आकर्षक है। तथापि, एक और संस्था के सृजन के अतिरिक्त, हम यह सुझाव देंगे कि रा० शि० नी० पु० सं० परी० तथा वि० अनु० आ० को क्रमशः स्कूल और उच्चतर शिक्षा पद्धतियों में परीक्षा-सुधारों को बढ़ावा देने तथा मार्गदर्शन करने में मुख्य भूमिका निभानी चाहिए।

अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित उपाय सुझाए जाते हैं :-

- (1) परीक्षण-निकायों द्वारा आरम्भ किए गए परीक्षा-सुधारों की दर्जा-रिपोर्ट तैयार करना ।
- (2) परीक्षण-निकायों के लिए निर्धारित मार्गदर्शी रूपरेखाओं के रूप में उपयोगी एक राष्ट्रीय परीक्षा सुधार कार्यवाही तैयार करना जिसे विशिष्ट परिस्थितियों के अनुरूप कार्यवाही अपनाने तथा उसमें नव-परिवर्तन लाने की स्वतन्त्रता होगी ।
- (3) विभिन्न परीक्षण-निकायों द्वारा परीक्षा-सुधारों के क्रियान्वयन के समन्वयन, अनुश्रवण और मूल्यांकन के लिए एक प्रभावी तन्त्र विकसित करना ।
- (4) परीक्षा-सुधारों के लिए नव-परिवर्तनों और उपायों का प्रलेखन तथा प्रसार-प्रचार ।

स्कूल-बस्ते का भार

16.12 रा० शि० नी० पु० सं० ने "स्कूल-बस्ते के भार" के बारे में चिन्ता व्यक्त की और अनेक सिफारिशों की (सिफारिश संख्या 269 से 276) । पाठ्यचर्या का पूरा प्रश्न जटिल है और समाधान आसान नहीं है । पाठ्यचर्या भार के बारे में चिन्ता सर्वव्यापक है । ज्ञान-प्रसवोटन, विशेष रूप से, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में तथा समय-सीमाओं, जिनके दौरान पाठ्यचर्या को पूरा किया जाना है, के बीच अपरिवर्तनीय तनाव है । जबकि स्कूल-बस्ते का भार एक वैध चिन्ता है, कोई भी आधुनिकीकरण और प्रासंगिकता की आवश्यकता की अपेक्षा नहीं करना चाहेगा । रा० शि० नी० पु० सं० ने ज्ञान के व्यापक विकास के अनुरूप विज्ञान सामग्री तैयार करने के मूल्यों पर संदेह प्रकट किया और स्व-ज्ञान की अपेक्षा ज्ञान प्राप्त करने की वैज्ञानिक पद्धति पर बल दिए जाने की आवश्यकता पर बल दिया । छात्रों में पूछताछ तथा समस्या-सुलझाने और वैचारिकता-कौशलों की भावना भरना तथा वैज्ञानिक-मनःस्थिति और सेवा-पद्धति मन में बैठाना निःसंदेह महत्वपूर्ण है । तथापि, वैज्ञानिक पद्धति और वैज्ञानिक-ज्ञान के बीच लाया गया प्रभेद कृत्रिम है । सामान्य रूप में वैज्ञानिक-पद्धति पढ़ाए जाने की अपेक्षा यह बेहतर है कि इसे अनुभूतिमूलक तथ्यों तथा ज्ञान के सम्बन्ध में पढ़ाया जाए । विज्ञान-शिक्षा के प्रारम्भिक चरणों में इस प्रकार का दृष्टिकोण अत्यावश्यक है ।

16.13 राष्ट्रीय शिक्षा नीति में, सर्वसुलभ नामांकन तथा शिक्षा की कोटि में पर्याप्त सुधार और 14 वर्ष की आयु तक बच्चों को व्यापक रूप से को बढ़ावा दिए जाने के प्रयासों के सन्दर्भ में शिक्षा के प्रति

बाल-केन्द्रित दृष्टिकोण को अपनाए जाने की परिकल्पना की गई है । स्कूल स्तर पर शिक्षा की विषय-वस्तु तथा प्रक्रिया का पुनः अनुस्थापन, जो रा० शि० नी० को अपनाए जाने के बाद आरम्भ किया गया था, ने स्कूली-छात्रों पर बोझ को कम करने के प्रश्न सहित अनेक चिन्ताओं को ध्यान में रखा । रा० शि० नी० की मार्गदर्शी रूपरेखाओं के आधार पर, रा० शै० अनु० प्र० परिषद् ने वर्ष 1988 में स्कूल-शिक्षा के सभी चरणों के लिए एक राष्ट्रीय पाठ्यचर्या कार्यवाही तैयार किया । संशोधित पाठ्यचर्या ने पाठ्यचर्या भार को कम करने की आवश्यकता पर ध्यान दिया । वर्ष 1988 के राष्ट्रीय पाठ्यचर्या कार्यवाही तथा रा० शै० अनु० प्र० परि० के पाठ्यविवरणों/ पाठ्यपुस्तकों में जिस शैक्षणिक महत्व पर बल दिया गया है वह छात्र के शरीर-गठन, अध्ययन-प्रक्रिया और अध्ययन की शर्तों और पद्धतियों की विस्तृत जानकारी पर आधारित है । शिक्षा के प्रति बाल-केन्द्रित दृष्टिकोण सम्बन्धी कार्यवाही, मददगार के रूप में शिक्षक की भूमिका, रट्टा लगाकर पढ़ने की पद्धति को बदलने अध्यापन के अन्तः सक्रिय तरीकों द्वारा व्याख्यानों और सूचना पर दिया गया बल विषयों के अध्ययन को समझने के लिए सरल करने तथा उसे रुचिकर बनाने के लिए तैयार किए गए हैं । रा० शै० अनु० प्र० परि० की पाठ्यचर्या प्राथमिक, अपर-प्राथमिक, माध्यमिक और सीनियर-माध्यमिक चरणों के लिए आत्मनिर्भर पैकेजों के रूप में तैयार किए गए हैं । यदि मार्गदर्शी रूपरेखाओं का सावधानीपूर्वक पालन किया जाता है तो "स्कूली-बस्ते का बोझ" की समस्या थोड़ी सुलझ जाएगी । विज्ञान-विषयों में रा० शै० अनु० प्र० परि० की पाठ्यपुस्तकें विशेष रूप से +2 स्तर के लिए, कठिन अवधारणाओं तथा अनिवार्य स्रोत सामग्री का विस्तृत उपचार प्रदान करती है । अधिकांश स्थानों पर, स्रोत सामग्री का मूल्यांकन नहीं किया गया है । यह न केवल शहरी क्षेत्रों के स्कूलों के पुस्तकालयों की सीमाओं को ध्यान में रखते हुए किया गया है बल्कि ग्रामीण और दूरवर्ती क्षेत्रों के स्कूलों में अधिकांश रूप से किया गया ।

विशेष रूप से +2 स्तर पर विज्ञान-विषयों में, बड़ी तादाद में पुस्तकें निर्धारित करने के लिए शहरी क्षेत्रों में खर्चीले निजी स्कूलों की ओर की प्रवृत्ति ने, छात्रों पर अधिक भार डाल दिया है । इन स्कूलों के शिक्षकों की पुनःस्थापन की आवश्यकता है ताकि वे अनावश्यक रूप से बड़ी संख्या में पुस्तकों को निर्धारित करने की आदत को छोड़ दें ।

अध्याय 17

शिक्षक और छात्र

रा०शि०नी०मू०स० परिप्रेक्ष्य

17.1 राष्ट्रीय शिक्षा नीति मूल्यांकन समिति शिक्षक - शिक्षा की प्रमुखता के सम्बन्ध में रा०शि०नी० से सहमत है, शिक्षक - शिक्षा पद्धति की पूरी तरह से जांच करने को शैक्षिक पुनर्गठन के प्रति पहले कदम के रूप में समझा गया है। रा०शि०नी०मू०स० ने भी जिला स्तर पर शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं को सुदृढ़ करने के राष्ट्र-व्यापी कार्यक्रम के आयोजन के लिए रा०शि०नी० को मान्यता दी। इसने यह भी नोट किया कि 1987 के बाद, शिक्षक-शिक्षा की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत भवनों के निर्माण, पुस्तकों की खरीद तथा अन्य सुविधाओं के सर्जन के लिए पर्याप्त निधियाँ उपलब्ध कराई गई थीं। इस रिपोर्ट के अध्याय - 13 में, रा०शि०नी०मू०स० ने अनेक सिफारिशों की जिनमें भर्ती, विषय वस्तु तथा शिक्षक-शिक्षा की प्रक्रिया (पूर्व-सेवा तथा सेवाकालीन, दोनों), शिक्षक-कल्याण और प्रबन्ध में सहभागिता तथा शिक्षक-शिक्षा की केन्द्रीय प्रायोजित योजना को शामिल किया गया है। रा०शि०नी०मू०स० ने शैक्षिक संस्थाओं के सामूहिक जीवन में छात्रों की सहभागिता पर सुझाव भी दिए।

शिक्षक जवाबदेही तथा मूल्यांकन

17.2 अध्याय - 13 में रा०शि०नी०मू०स० की सिफारिशें संचालन सम्बन्धी मामलों से सम्बन्धित हैं जिसमें रा०शि०नी० में किसी प्रकार के सुधार की आवश्यकता नहीं है। मात्र अपवाद, शिक्षकों के लिए लाइसेंस - पद्धति आरम्भ किए जाने का सुझाव है (सिफारिश संख्या 292)। रा०शि०नी०मू०स० का यह विचार था कि शिक्षक उतना ही व्यावसायिक है जितना कि एक डाक्टर, एक इंजीनियर अथवा एक वकील। एक व्यावसायिक व्यक्ति की अर्हता प्राप्त करने तथा बने रहने के लिए यह आवश्यक है कि उसे अद्यतन ज्ञान और कौशल प्राप्त हो।

अतः यह अनिवार्य है कि प्रत्येक शिक्षक बिना किसी अपवाद के प्रत्येक पांच अथवा छः वर्षों में एकबार सेवारत शिक्षा कार्यक्रम में भाग ले। अद्यतन बनाने की अपेक्षा को व्यवसायी के रूप में शिक्षक की सतता से जोड़ा जाना चाहिए। यदि कोई शिक्षक कुछ एक

अनुस्थापन पाठ्यक्रम अथवा एक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में भाग लेने से इनकार करता है तो उसका शिक्षण लाइसेन्स वापिस ले लिया जाना चाहिए। एन०पी०ई०आर०सी० द्वारा परिकल्पित लाइसेन्सिंग प्रणाली का दायरा इंजीनियरी, चिकित्सा विधि जैसे व्यवसायों में निर्धारित जरूरतों से परे है। व्यावसायिक निकाय आमतौर पर एक सदस्य को अपराधी साबित होने की स्थिति में तो अनर्हक बना देते हैं पर उसे अपने कौशलों में अद्यतन बनाने में असफल रहने की स्थिति में नहीं। एन०पी०ई०आर०सी० द्वारा यथापरिकल्पित लाइसेन्सिंग पद्धति में शामिल प्रशासनिक कामकाज काफी श्रमसाध्य होगा, चालीस लाख शिक्षकों को शामिल करने में एक जटिल नियामक शासन तंत्र के सृजन की आवश्यकता होगी जिससे शैक्षिक वातावरण दूषित हो सकता है। अतः एन०पी०ई०आर०सी० के सुझाए अनुसार शिक्षकों को लाइसेन्स देना वांछनीय नहीं है। शिक्षक की जिम्मेदारी और सक्षमता को सुनिश्चित करने के बारे में एन०पी०ई०आर०सी० की चिन्ता बिल्कुल सही है लेकिन इसका हल कठोर है। हम महसूस करते हैं कि प्रस्तावित रा०शि०नी० की संबद्ध रूपरेखाएं (पैरा 9.2 और 9.3) इन चिन्ताओं का समाधान करेगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में एक खुली सहभागी और आंकड़ा आधारित शिक्षक मूल्यांकन पद्धति के सृजन की परिकल्पना की गयी है और अच्छे निष्पादन के लिए प्रोत्साहन तथा गैर-निष्पादन के लिए प्रोत्साहन न देने सहित उत्तरदायित्व के मानदण्ड निर्दिष्ट हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शिक्षक संघों से व्यवसायिक सत्यनिष्ठा को कायम रखने शिक्षक की प्रतिष्ठा बढ़ाने और, व्यवसायिक दुर्व्यवहार को समाप्त करने की महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने की भी अपेक्षा की गयी है। रा०शि०नी० में यह सुझाया गया है कि राष्ट्रीय स्तर के शिक्षक संघ शिक्षकों के लिए व्यावसायिक आचार संहिता तैयार करें और उसकी अनुपालना को सुनिश्चित करें।

शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रवेश

17.3 रा०शि०नी०पु० समिति ने यह सुझाव दिया कि शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के लिए छात्रों का चयन मात्र विश्वविद्यालय ग्रेड अथवा

अंकों पर न होकर पूर्णतया अभिरुचि और उपलब्धि द्वारा शासित होना चाहिए। (सि०सं० 277) शिक्षक भर्ती के सन्दर्भ में, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में स्थानिक और कार्यात्मक आवश्यकताओं सहित योग्यता, वास्तविकता और अनुरूपता को सुनिश्चित करने के तरीकों का पुनर्निर्धारण करने के विषय में उल्लेख किया गया है। शिक्षकों अथवा शिक्षक प्रशिक्षणार्थियों की चयन प्रणाली अनुचित प्रलोभन से मुक्त तथा निष्पक्ष होनी चाहिए जिससे चयन प्रक्रिया की विश्वसनीयता को बढ़ावा मिल सके।

शिक्षक शिक्षा की विषयवस्तु और प्रक्रिया

17.4 एन०पी०ई०आर०सी० ने कई धारणाओं को सूचीबद्ध किया जिनका संबंध शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों की विषयवस्तु और प्रक्रिया के बारे में सूचना से है। (सिफारिश संख्या 278-281 और सिफारिश संख्या 283) ये धारणाएं रा०शि०शि० कार्रवाई योजना में निहित प्रावधानों का विस्तार हैं और शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों में इनमें से अधिकांश का समावेश किया गया है। प्रमुख सिफारिशें निम्नलिखित हैं :-

- (i) स्थितिपरक अनुप्रयोगों के लिए सिद्धान्त और व्यवहार को एकीकृत बनाया जाना चाहिए।
- (ii) प्रशिक्षण कार्यक्रमों में विशेषतौर पर समाज के शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की लड़कियों और बच्चों के प्रति संवेदनशीलता जैसी विशेषताओं और मूल्यों का प्रसार किया जाना चाहिए तथा व्यवसाय और समाज के प्रति सही दृष्टिकोण का समावेश होना चाहिए।
- (iii) शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में ऐसे सिद्धान्तों और तरीकों को शामिल किया जाना चाहिए जो बाल केन्द्रित दृष्टिकोण, बहुस्तरीय शिक्षण, सतत और व्यापक मूल्यांकन, न्यूनतम अध्ययन स्तरों के आधार पर विषयवस्तु के विकास शि०दे० और दे० के साथ संबंध और प्राथमिक शिक्षा में खेल-खेल में पढ़ाई तथा कार्यकलाप पर आधारित पद्धति को अपनाना शामिल होना चाहिए।
- (iv) सेवारत कार्यक्रम शिक्षकों की विशिष्ट जरूरतों से संबंधित होने चाहिए और उनमें शिक्षक विकास, मूल्यांकन और अनुवर्ती कार्रवाई की भावी जरूरतें निहित होनी चाहिए।
- (v) नवाचारी कार्यनीतियों तथा महत्वपूर्ण कार्यकलापों के प्रायोगिक परीक्षण को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
- (vi) रेडियो, टी०वी० और मुद्रण साधनों का प्रयोग करके सेवारत शिक्षा की दूरस्थ शिक्षा पद्धति का विकास किया जाना चाहिए।

यद्यपि इनमें से कई धारणाओं को पहले ही शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम में समाविष्ट कर दिया गया है, हम राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद तथा राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषदों को इन पर उस समय विचार करने की सिफारिश करते हैं जब भी पाठ्यचर्या की समीक्षा अथवा इसका नवीकरण किया जाए।

पत्राचार पाठ्यक्रम

17.5 एन०पी०ई०आर०सी० ने रा०शि०शि० परिषद के अभिमत को दोहराया कि शिक्षक शिक्षा में प्रथम डिग्री पत्राचार पाठ्यक्रम के जरिए प्रदान नहीं की जानी चाहिए (सि०सं० 282) सेवापूर्व शिक्षक प्रशिक्षण की पत्राचार प्रणाली में प्रशिक्षणार्थी स्कूली परिस्थितियों का पर्याप्त आभास नहीं कर पाते हैं और व्यावहारिक शिक्षण उत्साहहीन होता है। अतः एक पत्राचार पाठ्यक्रम ज्यादा से ज्यादा किताबी ज्ञान प्रदान करता है जो कि एक संतुलित व्यवसायिक शिक्षक तैयार करने में अपर्याप्त होता है। यह सिफारिश काफी ठोस है और केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों और विश्वविद्यालयों द्वारा इस पर प्रभावशाली ढंग से अनुवर्ती कार्रवाई किए जाने की जरूरत है। हमें यह जानकर खुशी हुई है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद् के विचारों पर ध्यान दिया और सेवापूर्व शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों को बन्द करने के लिए विश्वविद्यालयों को अपेक्षित अनुदेश जारी किए। हम यह चाहते थे कि एन०पी०ई०आर०सी० घटिया स्तर के शिक्षक शिक्षा संस्थाओं के प्रचुर मात्रा में प्रसार होने के विरुद्ध कड़ा रुख अपनाए। जब तक शिक्षक शिक्षा के व्यापारीकरण को खत्म करने के लिए तत्काल सुदृढ़ और कारगर कदम नहीं उठाए जाते तब तक शैक्षिक स्तरों के विषय में बात करना व्यर्थ होगा। अतः हमारा यह जोरदार आग्रह है कि रा०शि०शि०परिषद् को रा०शि०नी०/कार्रवाई योजना में यथापरिकल्पित आवश्यक संसाधन और सक्षमता तत्काल उपलब्ध करायी जाए।

व्यावहारिक प्रशिक्षण माडल

17.6 शिक्षक प्रशिक्षण की व्यावहारिक प्रशिक्षण पद्धति के वास्ते एन०पी०ई०आर०सी० ने सुदृढ़ दलील दी (सि०सं० 284-285)। एन०पी०ई०आर०सी० ने यह महसूस किया कि सेवापूर्व और सेवारत प्रशिक्षण के पारम्परिक संस्थागत आधारित माडल प्रा०शि०के० सर्वसुलभीकरण की चुनौती का सामना करने के लिए पर्याप्त नहीं है। परम्परागत दृष्टिकोण कई कमियों से ग्रस्त है और यह मूलभूत वास्तविकताओं से अलग है, सिद्धान्त और व्यवहार के मध्य संबंध काफी कमजोर है और अवस्थापना संबंधी सुविधाएं अपर्याप्त है। अतः शिक्षक के प्रशिक्षण पर बल देने की अपेक्षा शिक्षक के विकास पर

बल दिया जाना चाहिए। व्यावहारिक प्रशिक्षण माडल में प्रशिक्षण, शिक्षकशिक्षा संस्थाओं में एक संक्षिप्त सैद्धान्तिक अनुस्थापन के साथ प्रारंभ होता है। इस चरण के बाद 3-5 वर्षों की अवधि के लिए एक स्कूल में व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी को एक स्थानबद्ध प्रशिक्षणार्थी के रूप में एक अनुभवी और कुशल शिक्षक के साथ रखा जाएगा जो एक वास्तविक माडल के रूप में कार्य करेगा। द्वितीय और तृतीय वर्षों में, देखरेख कम हो जायेगी और प्रशिक्षणार्थियों को अधिक स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए छोड़ दिया जाएगा। पर्यवेक्षणाधीन अध्यापन के इस चरण के दौरान, प्रशिक्षणार्थियों को शिक्षक शिक्षा संस्थानों में अल्पकालीन सत्रों में भाग लेना अनिवार्य होगा। प्रशिक्षणार्थी को पर्यवेक्षकों और वरिष्ठ शिक्षकों के निरंतर मूल्यांकन के आधार पर 3-5 वर्षों के बाद ही एक प्रशिक्षित शिक्षक के रूप में प्रमाणित किया जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति संबंधी पुनरीक्षा समिति के अनुसार, इंटरशिप मॉडल में शिक्षकों के भीतर अपेक्षित क्षमताओं और मनोवृत्तियों के विकास के लिए बेहतर अवसर हैं। रा०शि०नी० संबंधी पु०सं० ने प्रशिक्षण के इस मॉडल की सिफारिश सिर्फ "अर्द्ध शिक्षकों" के लिए की थी। अन्य शिक्षकों के लिए, रा०शि० नी० संबंधी पु०सं० ने यह सुझाव दिया था कि इस मॉडल की प्रशिक्षण के संभावित साधन के रूप में आजमाइश की जा सकती है। फिलहाल इंटरशिप मॉडल और बड़े पैमाने पर इसको अपनाने के लिए व्यावहारिक पहलुओं पर कोई सुप्रमाणित अनुभव नहीं है तथा इसके तुलनात्मक लाभों की और आगे जांच करते की आवश्यकता है। राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद् जैसी किसी विशेषज्ञ संस्था को मॉडल का गहराई से अध्ययन करना चाहिए तथा राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषदों और शिक्षक शिक्षा संस्थानों का मार्गदर्शन करना चाहिए।

बी०एड० पाठ्यक्रम

17.7 सिफारिश संख्या 286-287 बी०एड० पाठ्यक्रमों के पाठ्य विवरण के ब्यौरों और खोले जाने वाले पाठ्यक्रमों की किस्मों के संबंध में हैं। राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद् को राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के परामर्श से आवश्यक कार्रवाई करनी चाहिए।

शिक्षक शिक्षा की विशेषताएं

17.8 सिफारिश सं० 288-289 में रा०शि०नी०पु०सं० ने उन विशेषताओं, का उल्लेख किया है जो कि एक शिक्षक प्रशिक्षक में होनी चाहिए। रा०शि०नी०पु०सं० ने यह भी सुझाव दिया है कि शिक्षक प्रशिक्षकों के लिए कार्यक्रम तैयार किए जाने चाहिए तथा ये कार्यक्रम ऐसे होने चाहिए जिनमें प्रशिक्षणार्थी में अपेक्षित सभी विशेषताएं विकसित हो

सकें। (सिफारिश सं० 288-289) हमें पता चला है कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद् शिक्षक प्रशिक्षकों के लिए एक विशेष कार्यक्रम तैयार कर रही है। रा०शि०अ०प्र०पु० द्वारा रा०शि०नी०पु०सं० की सिफारिशों को ध्यान में रखा जाए।

सेवा कालीन कार्यक्रम : योजना

17.9 सिफारिश सं० 290 में सुझाव दिया गया है कि सेवा कालीन शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों की आयोजना और उनकी व्यवस्था का उत्तरदायित्व शैक्षिक परिसर को सौंप दिया जाना चाहिए। शैक्षिक काम्पलैक्स स्कूल और जिला प्रौद्योगिकी संस्थान के बीच एक प्रभावी संपर्क माध्यम भी उपलब्ध करवा सकता है। रा०शि०नी०पु०सं० ने अध्याय 14 "विकेन्द्रीयकरण और सहभागितापूर्ण प्रबंध" में शैक्षिक काम्पलैक्स की संकल्पना की व्यवस्था की है। शैक्षिक काम्पलैक्स पर हमारे विचार तदनुसूची अध्याय में निर्दिष्ट हैं। यहां इतना ही कहना काफी है कि अध्याय 14 में, रा०शि०नी०पु०सं० ने आठवीं योजना के दौरान, प्रायोगिक आधार पर शैक्षिक काम्पलैक्स के विचार की जांच करना और कार्यात्मक मॉडलों के विकास की वकालत की है, "शिक्षक और छात्र" नामक अध्याय सहित अन्य अध्यायों में, रा०शि०नी०पु०सं० यह मानकर आगे बढ़ी है कि शैक्षिक काम्पलैक्स की अवधारणा एक सुपरीक्षित अवधारणा है और उसे शिक्षा के प्रबंध तथा शिक्षक शिक्षा जैसे बड़े कार्यक्रमों की पूरी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती थी। प्रभावी कार्यात्मक मॉडलों के विकास से पूर्व शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों की योजना और आयोजना का उत्तरदायित्व शैक्षिक काम्पलैक्स को सौंपना समयपूर्व होगा। अतः प्राथमिक शिक्षकों के सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रमों के प्रशिक्षण और प्रबंध का उत्तरदायित्व सिर्फ जिला शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थानों पर ही होना चाहिए।

शिक्षक शिक्षा संस्थान : संकाय

17.10 रा०शि०नी०पु०सं० ने शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों को अवांछित और अधमी व्यक्तियों के शरणस्थलों के रूप में प्रयोग किए जाने की परिपाटी की सही रूप में आलोचना की थी और सुझाव दिया था कि उनका संचालन सुयोग्य व्यक्तियों द्वारा किया जाना चाहिए (सिफारिश सं० 291) रा०शि०नी०पु०सं० ने यह माना था, जो कि सही भी था कि शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों में जिला शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थानों का संकाय अत्यधिक महत्वपूर्ण तत्व है। हम रा०शि०नी०पु०सं० की राज्य सरकारों से इस अपील का जोरदार समर्थन करते हैं कि उन्हें सभी पदों को भरने और भर्ती नियम बनाने की दिशा में तुरंत ध्यान देना चाहिए। इन नियमों से यह सुनिश्चित होना चाहिए कि पद, सुयोग्य और प्रतिबद्ध व्यक्तियों द्वारा समुचित कार्यकाल के लिए भरे जाएं।

शिक्षक शिक्षा योजना

17.11 हम रा०शि०नी०पु०स० की इस सिफारिश (सिफारिश सं० 296-297) का भी जोरदार समर्थन करते हैं कि ऐसे शिक्षक शिक्षा संस्थानों को जिनके लिए भारत सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की गई थी संचालित करने के लिए तुरंत कदम उठाए जाने चाहिए और उन राज्यों को और आगे वित्तीय सहायता न दी जाए जिनमें वास्तविक प्रगति और धनराशि का उपयोग संतोषपूर्ण नहीं रहा हो।

17.12 रा०शि०नी०पु०स० ने सिफारिश की है कि जिला शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थानों को अपने अनुसंधान और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन के लिए पहल करने के प्रयोजन से राज्य शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद और राज्य सरकार से स्वायत्तता प्रदान की जानी चाहिए (सिफारिश सं० 294)। इसने यह भी सुझाव दिया कि प्रारंभिक शिशु देखभाल व शिक्षा, शैक्षिक प्रक्रिया और व्यावसायीकरण और परीक्षा सुधार, प्रमाणीकरण और बहुविध प्रवेश और निकास बिन्दुओं को शामिल करने के लिए जिला शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थानों के उत्तरदायित्व का विस्तार किया जाना चाहिए (सिफारिश सं० 295) निश्चय ही हम यह महसूस करते हैं कि प्रत्येक जिला शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान की पर्याप्त परिचालन स्वायत्तता के साथ विशिष्ट पहचान होनी चाहिए। इसमें परीक्षण और नवाचार हेतु “स्थान (स्पेस)” होना चाहिए। तथापि, जिला शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थानों और राज्य शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद के नेटवर्क प्रबंध होना अधिक लाभकारी होगा, जिसमें राज्य शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद आवश्यक मार्गदर्शन और समन्वय उपलब्ध करवाएगी। राज्य शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद अनुभवों और सूचना के आदान प्रदान के लिए एक सूचना केन्द्र के रूप में भी कार्य कर सकती है। हम राज्य शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषदों के लिए स्वतंत्र और स्वायत्त ढाँचे की सिफारिश करते हैं ताकि ये परिषदें सच्चे अर्थों में शैक्षिक संस्थानों के रूप में उभर सकें। वर्तमान में, कुछ ही जिला शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान पूरी तरह परिचालन में आ सके हैं। अतः हम ऐसा महसूस करते हैं कि आज की स्थिति में, जिला शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान रा०शि०नी०पु०स० द्वारा यथा निर्दिष्ट अतिरिक्त उत्तरदायित्वों का भार नहीं उठा सकेंगे। व्यावसायीकरण जैसे कुछ क्षेत्रों के लिए राज्य स्तर पर पृथक संस्थानों को स्थापित करते की जांच करना उचित होगा, प्रारंभिक शिशु देखभाल और शिक्षा तथा परीक्षा सुधार जैसे कुछ क्षेत्रों के संबंध में राज्य शैक्षिक अनुसंधान और

प्रशिक्षण परिषद् स्वयं ही अग्रणी भूमिका निभा सकती है।

संस्थानों के प्रधान

17.13 रा०शि०नी०पु०स० ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति (पैरा 10.7) द्वारा शैक्षिक संस्थानों के प्रधानों को महत्वपूर्ण भूमिका सौंपे जाने पर बल दिया है (सिफारिश सं० 293)। हमारा विचार है कि इस संबंध में तुरंत कार्रवाई की जानी आवश्यक है और संस्थानों के प्रधानों को अपनी भूमिका निभाने हेतु अपेक्षित शक्तियां और क्षमताएं दी जानी चाहिए।

शिक्षक कल्याण/सहभागिता/गतिशीलता

17.14 रा०शि०नी०पु०स० ने शिक्षक कल्याण, शिक्षक सहभागिता और शिक्षकों की गतिशीलता के संबंध में भी सुझाव दिए हैं (सिफारिश सं० 299-301)। राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने सरकार और समाज से ऐसी स्थितियां उत्पन्न करने का आग्रह किया है जिनके रहते शिक्षकों को रचनात्मक और सर्जनात्मक दिशाओं में प्रेरित और प्रोत्साहित करने में सहायता मिलेगी।

यह भी महसूस किया गया कि शिक्षकों के वेतनमान और सेवा-शर्तें उनके सामाजिक और व्यावसायिक उत्तरदायित्वों और इस पेशे के प्रति प्रतिभाओं को आकर्षित करने की आवश्यकता के अनुकूल होनी चाहिए। कार्यालय कक्ष आवासीय क्वार्टरों, समुदाय और सामूहिक जीवन की सुविधाएं, सांस्कृतिक और मनोरंजनात्मक सुविधाएं, चिकित्सा-सुविधाएं, यात्रा-सुविधाएं आदि पर राज्य सरकार द्वारा अपनी वित्तीय स्थिति और अन्य प्रतिबद्धताओं की दृष्टि से विचार किया जाना है। प्रबन्धन में शिक्षकों की भागीदारी के संबंध में हम यह मानते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति का पैरा 9.2 अत्यधिक लचीला प्रस्ताव प्रस्तुत करता है अर्थात् शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों को तैयार करने और उनके कार्यान्वयन में शिक्षक निरन्तर निर्णायक भूमिका निभाएंगे।

छात्र

17.15 एन०पी०ई०आर०सी० ने शैक्षिक संस्थाओं के सामूहिक जीवन में जैसे छात्र-परिषद की स्थापना, विभागीय छात्र परामर्शदात्री समितियों की स्थापना में छात्र की सहभागिता के लिए अनेक उपायों की सिफारिश की है। एन०पी०ई०आर०सी० ने यह भी सुझाव दिया कि इन निकायों में छात्रों का प्रतिनिधित्व अधिमानतः नामांकन द्वारा हो। राज्य सरकारें और विश्वविद्यालय विशेष स्थितियों को ध्यान में रखते हुए इन सिफारिशों पर उचित कार्रवाई कर सकते हैं।

अध्याय 18

शिक्षा का प्रबन्धन

18.1 प्रबन्धन पर एन० पी० ई० आर० सी० की सिफारिशें आठ विशिष्ट क्षेत्रों : भिन्न लक्ष्य निर्धारण (सिफारिश सं० 303-306), शैक्षिक परिसर (सिफारिश सं० 307), भारतीय शिक्षा सेवा (सिफारिश सं० 308), स्वैच्छिक संगठनों की भागीदारी (सिफारिश सं० 309), सेवाओं का समन्वयन और अभिसरण (सिफारिश सं० 310), केन्द्रीय संस्थानों की भूमिका (सिफारिश सं० 311) और केन्द्र प्रायोजित स्कीमें (सिफारिश सं० 312), में आती हैं। शैक्षिक जटिलताओं के क्षेत्र में भारतीय शिक्षा सेवा और केन्द्र प्रायोजित स्कीमों के अतिरिक्त एन० पी० ई० आर० सी० की सभी सिफारिशों का सामंजस्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति / कार्रवाई योजना के प्रत्यक्ष ज्ञान के साथ है। हम सुझाव देंगे कि कार्रवाई योजना का संशोधन करते समय इन सिफारिशों पर ध्यान दिया जाय। इस अध्याय में हम शिकायतों के निवारण से सम्बन्धित सिफारिश संख्या 220 पर भी विचार कर रहे हैं जिस पर एन० पी० ई० आर० सी० के उच्च शिक्षा के अध्याय में चर्चा की गई क्योंकि इस सिफारिश को शिक्षा के सभी स्तरों पर बढ़ाया जा सकता है।

शैक्षणिक परिसर

18.2 एन० पी० ई० आर० सी० की विभिन्न कार्यक्रमों की आयोजना और कार्यान्वयन में शैक्षणिक परिसरों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निर्धारित की गई। मुख्य सिफारिश विकेन्द्रीकरण और सहभागी प्रबन्ध के अध्याय में सम्मिलित है जबकि, शैक्षणिक परिसरों के लिए महत्वपूर्ण निर्धारित करने वाली सम्बन्धित सिफारिशें कई अन्य अध्याय जैसे 'शिक्षा और महिलाओं की समानता' (सिफारिश सं० 15, 28, 35, 39) 'अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े अन्य वर्गों की शिक्षा' (सिफारिश सं० 62 और 68), 'ई० सी० सी० ई०' (सिफारिश सं० 122, 131, 132, 133, 141 और 142), 'प्रारम्भिक शिक्षा का सर्वसुलभीकरण' (सिफारिश सं० 155 क, 158, 169, 171, 173 और 175) और 'शिक्षक और छात्र' (सिफारिश सं० 284 और 290) में बिखरे हुए हैं। स्कूल परिसरों

का विचार सबसे पहले कोठारी आयोग (1964-66) द्वारा प्रस्तुत किया गया था। स्कूल-परिसर में स्कूल-नेटवर्क से संसाधनों और अनुभवों के साझा आदान-प्रदान को सुकर बनाने की अपेक्षा की गई थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने स्कूल परिसर और कार्रवाई कार्यक्रम (पी० ओ० ए०) की राष्ट्रीय शिक्षा नीति को विस्तारित करने के लिए प्रमुख भूमिका सौंपी। हम पाते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति पुनरीक्षा द्वारा सुझाए गए शिक्षा परिसर स्कूल परिसरों के विचार का विस्तार हैं जिनमें वे कालेज और विश्वविद्यालय भी नेटवर्क में लाए गए हैं। हम शैक्षिक परिसरों में एन० पी० ई० आर० सी० की पहुंच में अनिश्चितता का निश्चित मापदंड पाते हैं। इस अध्याय में राष्ट्रीय शिक्षा नीति पुनरीक्षा समिति ने स्कूल परिसर के विचार के साथ प्रयोग की वकालत की थी, जबकि अन्य अध्यायों में शिक्षा परिसरों से सम्बन्धित सिफारिशें इस आधार वाक्य से शुरू होती हैं कि शिक्षा परिसर एक स्थापित संस्था है, जिसे उसके कार्य क्षेत्र में आने वाले आप्रेशन ब्लैकबोर्ड जैसे बड़े कार्यक्रमों और शिक्षा प्रबन्ध का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सौंपा जा सकता है। उच्च शिक्षा के दिए गए मौजूदा स्तर पर कॉलेजों और विश्वविद्यालयों से शिक्षा-परिसरों में कहीं भी प्रमुख भूमिका निभाने की उम्मीद करना कुछ-कुछ अस्वाभाविक प्रतीत होता है। इसलिए हमारा सुझाव है कि इस विचार को चुनिन्दा क्षेत्रों में प्रयोग के तौर पर परखा जाय।

जिला शिक्षा बोर्ड

18.3 राष्ट्रीय शिक्षा नीति पुनरीक्षासमिति जिला शिक्षा बोर्डों का भी हवाला देती है, जिन्हें राष्ट्रीय शिक्षा नीति द्वारा सैकेण्डरी स्तर तक शिक्षा के प्रबंध में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका दी गई थी। हम सिफारिश करते हैं कि इन बोर्डों का गठन किया जाना चाहिए और इन्हें तेजी से चलाया जाना चाहिए।

बोर्ड का विधान ऐसा होना चाहिए कि ये जिला, जिला अधिकारियों और शिक्षकों के चुनिन्दा प्रतिनिधियों के विधिवत् प्रतिनिधित्व सहित विशुद्ध रूप से त्रिपक्षीय निकाय हों। हम में से

एक प्रतिनिधि इस सिफारिश से सहमत नहीं है।

भारतीय शिक्षा सेवा

18.4 राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने अखिल भारतीय सेवा के रूप में भारतीय शिक्षा सेवा (आई० ई० एस०) की स्थापना को आवश्यक बताया ताकि शिक्षा के विशाल क्षेत्र को राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में लाया जा सके। इसने यह भी सुझाव दिया कि भारतीय शिक्षा सेवा (आई० ई० एस०) के भर्ती के बुनियादी सिद्धांत, कार्य और प्रक्रियाएं राज्य सरकारों के परामर्श से निश्चित किए जाएं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति पुनरीक्षा समिति ने (सिफारिश सं० 308) भारत सरकार की सेवा जैसे मॉडल पर राज्यों में शैक्षिक परामर्शदात्री सेवाओं के संवर्गों के सृजन का सुझाव दिया। हमने देखा कि कोठारी आयोग (1964-66) और सरकारिया आयोग (1983-84) सहित अनेक आयोगों, समितियों और सम्मेलनों ने भारतीय शिक्षा सेवा (आई० ई० एस०) की स्थापना का पक्ष लिया था। सम्भवतः भारतीय शिक्षा सेवा (आई० ई० एस०) शैक्षिक प्रबंध के क्षेत्र में बेहतर प्रतिभा उभार सकती है। यदि वहां भारतीय शिक्षा सेवा है तो अनेक प्रतिभाशाली युवक जो अन्य सेवाओं में जाते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में रहना पसन्द कर सकते हैं। उनके लिए जो अन्य अखिल भारतीय सेवाओं में वे जिस स्थान से हैं वहां के अलावा किसी अन्य राज्य में भर्ती होने वालों की एक निश्चित प्रतिशतता का आवंटन राष्ट्रीय एकता और शिक्षा के प्रबंध में एक राष्ट्रीय दृष्टिकोण को बढ़ावा देगा। राज्यों में ऐसी सेवा अच्छे मानदंडों, व्यवसायवाद और शैक्षिक प्रशासन में निरंतरता की स्थापना को बढ़ावा दे सकती है। भारतीय शिक्षा सेवा केन्द्र-राज्य संबंधों को और अधिक बढ़ाएगी और भारत सरकार के शिक्षा के प्रबन्ध में अधिक जरूरतमंद राज्य को सापेक्ष महत्व देगी। राज्य शिक्षा परामर्शदात्री सेवाएं अनावश्यक हैं क्योंकि कुछ सचिवालयी पदों के अतिरिक्त अन्य सभी पद शैक्षिक संवर्ग द्वारा पहले ही भरे जा चुके हैं। हम महसूस करते हैं कि राज्यों के साथ परामर्श की प्रक्रिया को त्वरित बनाना और राज्यों के विचारों और उनकी चिन्ताओं का सम्यक ध्यान रखते हुए भारतीय शिक्षा सेवा के विचार को ठोस आकार देना आवश्यक होगा। हममें से दो भारतीय शिक्षा सेवा के विचार का समर्थन नहीं करते।

केन्द्र प्रायोजित स्कीमें

18.5 केन्द्र प्रायोजित स्कीमों (सी० एस० एस०) के संबंध में हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति पुनरीक्षा समिति के सामने आए दो दृष्टिकोण पाते हैं। पहला दृष्टिकोण जो आठवीं पंचवर्षीय योजना (1990-95) के प्रस्ताव पत्र में दर्शाया गया है, जिसने सभी केन्द्र प्रायोजित स्कीमों के राज्यों को स्थानांतरण की सिद्धांत रूप में वकालत की। दूसरे

दृष्टिकोण के अनुसार शिक्षा को समवर्ती सूची में रखे जाने के लिए, राज्य सरकारों के पास संसाधनों की अपर्याप्तता, प्रारम्भिक शिक्षा का सर्वसुलभीकरण तथा शैक्षिक असमानताओं को दूर करने जैसे राष्ट्रीय उद्देश्यों को प्राप्त करने में केन्द्र सरकार की भूमिका की आवश्यकता, जैसे तत्वों के संबंध में केन्द्र प्रायोजित योजनाओं को जारी रखने का आह्वान किया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति पुनरीक्षा समिति ने इस बात पर भी ध्यान दिया कि सामान्य तौर पर केन्द्र प्रायोजित स्कीमों में पांच वर्ष की पूर्ण अवधि के लिए चलती हैं और इस प्रक्रिया से गुजरते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति की अनुपालना में प्रारम्भ हुई केन्द्र प्रायोजित स्कीमों को 1992 तक जारी रहना था। समिति ने यह भी देखा कि इन स्कीमों का आकस्मिक अवरोध विषम क्षेत्रों में पहले ही की गई पहलकदमियों के विघटन का प्रमुख कारण बनेगा। इन दृष्टिकोणों का सम्मान रखते हुए राष्ट्रीय शिक्षा पुनरीक्षा समिति ने व्यावहारिक रूप से सुझाव दिया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुपालन में प्रारम्भ की गई केन्द्र प्रायोजित स्कीमों 1992-93 तक जारी रहनी चाहिए और इन स्कीमों के कार्यान्वयन की पुनरीक्षा उस वर्ष के अंत से पहले प्रारम्भ होनी चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति पुनरीक्षा समिति ने यह भी सुझाव दिया कि मूलभूत स्तर पर शिक्षा के प्रबंध का विकेन्द्रीकरण निश्चित करने का प्रयोजन न होने तक कोई नई केन्द्र प्रायोजित स्कीम प्रारम्भ नहीं होनी चाहिए। (सिफारिश संख्या 312)

18.6 हमने सरकारिया आयोग और श्री पी० वी० नरसिम्हा राव की अध्यक्षता में केन्द्र प्रायोजित स्कीमों की राष्ट्रीय विकास परिषद (1988) समिति सहित अनेक आयोगों और समितियों के दृष्टिकोणों को देख लिया है जिन्होंने केन्द्र प्रायोजित स्कीम के मुद्दों की जांच की। राष्ट्रीय विकास परिषद ने सभी मौजूदा केन्द्र प्रायोजित स्कीमों की जांच की और आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शिक्षा के साथ-साथ आई० सी० डी० एस० के क्षेत्र में सभी केन्द्र प्रायोजित स्कीमों को जारी रखने की सिफारिश की। राष्ट्रीय विकास समिति ने मौजूदा केन्द्र प्रायोजित स्कीमों को रखने और नई स्कीमों को प्रारम्भ करने के लिए निम्नलिखित संशोधित कसौटियां भी रखीं :-

- (क) एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय लक्ष्य, जैसे गरीबी उपशमन अथवा शिक्षा में न्यूनतम स्तर की प्राप्ति को पूरा करना, अथवा
- (ख) इस कार्यक्रम में क्षेत्रीय अथवा अन्तरराज्यीय विशेषता हैं, अथवा
- (ग) कार्यक्रम अथवा स्कीम गतिनिर्धारक के स्वरूप की हो या प्रदर्शन, सर्वेक्षण या शोध से सम्बन्धित हो।

18.7 हमारी यह ठोस राय है कि शिक्षा में उपलब्ध कराये गए संसाधनों में अत्यधिक वृद्धि के बिना शैक्षिक परिवर्तन लाना सम्भव

नहीं होगा। जबकि संसाधनों की पर्याप्त उपलब्धता स्वयं ऐसे परिवर्तन के लिए पर्याप्त शर्त नहीं हो सकती, यह एक जरूरी शर्त है।

संपूर्ण राष्ट्र को शिक्षा के महत्वपूर्ण क्षेत्र के लिए संसाधनों का पता लगाना चाहिए और इस प्रयास में केन्द्र और राज्यों को सहायक भूमिकाएं निभानी चाहिए और उन्हें सहयोग की सही भावना के मुताबिक वास्तविक तालमेल के साथ सहयोगी होना चाहिए। वृहत् संसाधन प्राप्ति होने के कारण केन्द्र को राज्यों के प्रयासों में सहायता देनी चाहिए। शिक्षा के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में केन्द्रीय सहायता के संपूर्ण लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए यह जरूरी है कि संसाधनों के हिसाब पर बल दिया जाए और इसका गैर उपयोग न हो यह सुनिश्चित किया जाए। वृहत् रूप में कहा जाए तो केन्द्र प्रायोजित योजना का लक्ष्य भी यही है। फिर भी सामान्य तौर पर यह देखा गया है कि योजनाएं बनाने और लागू करने में राज्यों से उचित परामर्श नहीं लिया जाता है और योजनाओं में स्थानीय स्थितियों के अनुरूप लचीलेपन का अभाव है। हमें यह सूचना मिली थी कि रा० शि० नी० के अनुसरण में शुरू की गई केन्द्र प्रायोजित योजनाओं को राज्यों के परामर्श से बनाया गया था और उन्हें लागू किया जा रहा है। महत्वपूर्ण बात यह है कि नीति और कार्यक्रमों को तैयार करने और लागू करने में केन्द्र और राज्य सरकारों के बीच सहभागिता की सच्ची भावना के साथ निकट का संपर्क होना चाहिए। यदि इस सिद्धांत का अक्षरशः और इसके सही अर्थ में पालन किया जाए तो केन्द्रीय प्रायोजित योजना के संबंध में कोई गलत अवधारणा नहीं रहेगी। इसलिए हम 23-24 दिसम्बर, 1991 को हुई एन० डी० सी० की बैठक में लिए गए निर्णयों से सहमत हैं, निर्णय निम्नलिखित हैं :

“यह सहमत हुई कि नरसिम्हा राव समिति की सिफारिश के मुताबिक 113 केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं केन्द्र के हिस्से की निधि, जो गाडगिल सूत्र से बाहर हटकर प्रदान की जाएगी, के साथ राज्यों को स्थानान्तरित की जाएगी।”

इनमें से कोई भी योजना शिक्षा या आई० सी० डी० एस्० से संबंधित नहीं है। हम इस तथ्य से अवगत हैं कि शिक्षा विभाग ने राज्यों के परामर्श से चल रही सभी केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं की समीक्षा शुरू की है।

हमें उम्मीद है कि इन योजनाओं को इन परामर्शों के प्रकाश में आठवीं योजना के दौरान संशोधित किया जाएगा। हम कुछ प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में जहां ये योजनाएं शुरू नहीं की गई हैं, नई केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं शुरू करने का सुझाव देना चाहेंगे जैसे, परामर्श को उचित प्रक्रिया के बाद शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यकों की प्रगति। हममें से एक इस सुझाव से सहमत नहीं है।

शिकायतों को दूर करना

18.8 विधि आयोग ने उच्च शिक्षा पद्धति में शिकायतों को दूर करने के लिए अपनी 123वीं रिपोर्ट में त्रिस्तरीय ढांचे का सुझाव दिया था। यह सिफारिश उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय के दबाव और बोझ को कम करने के लिए आयोग द्वारा सुझाए गए अनेक उपायों में से एक है। रा० शि० नी० पु० सं० ने विधि आयोग की रिपोर्ट (सि० सं० 220) पर भारत सरकार द्वारा जल्दी निर्णय लेने का सुझाव दिया। शिक्षा विभाग ने यह सुझाव दिया था कि ट्रिब्यूनलों का गठन शिक्षा के सभी स्तरों पर लाभदायक होगा। प्रत्येक राज्य में शिक्षकों और प्रशासकीय कर्मचारियों की सेवा-शर्तों और शैक्षिक अधिनियमों, कोडों और नियमावलियों से संबंधित मामलों में सैकड़ों मामले लंबित पड़े हैं। मुकदमों की प्रचुरता के कारण राज्य शिक्षा विभाग शैक्षिक मुद्दों और कार्यक्रमों के प्रति पर्याप्त ध्यान देना कठिन समझता है। साथ ही शिक्षा विभागों और शैक्षिक संस्थानों के प्रबंधन के प्रशासकीय शिक्षक और प्रशासकीय कर्मचारी अपनी शिकायतों के दूर होने में हो रहे अत्यधिक विलंब से दुखी हैं। इसलिए विशेष राज्य स्तरीय शैक्षिक ट्रिब्यूनलों का गठन वांछनीय है। इन ट्रिब्यूनलों के गठन के ब्यौरे राज्य सरकारों के परामर्श से तैयार किए जा सकते हैं।

पद्धति को कारगर बनाना

18.9 शिक्षा का प्रबंधन विवेचनात्मक है परंतु ऐसा आयाम है जिसपर बहुधा कम बल दिया जाता है। ऐसा कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि शिक्षा के कई अंग, खासकर उच्च शिक्षा पद्धति अव्यवस्थित क्रम में हैं। जैसा कि रा० शि० नी० ने अर्थपूर्ण ढंग से व्यक्त किया है।

‘ये’ और शिक्षा के कई अन्य नए कार्य अव्यवस्थित स्थिति में नहीं किए जा सकते। शिक्षा का प्रबंध अत्यधिक बौद्धिक कठोरता, उद्देश्य की गंभीरता के वातावरण में नवाचार और सर्जन के लिए आवश्यक स्वतंत्र वातावरण में किए जाने की जरूरत है। यद्यपि शिक्षा की गुणवत्ता और दायरे में कठिन परिवर्तन करना होगा, पद्धति से अनुशासन का अभी और यहीं पालन करना होगा।

देश को शैक्षिक पद्धति में भरपूर विश्वास है। ठोस परिणामों की आशा करना लोगों का अधिकार है। पहला कार्य इसे कारगर बनाना है। सभी शिक्षकों को पढ़ाना चाहिए और सभी विद्यार्थियों को पढ़ना चाहिए।

18.10 हम इससे सहमत हैं। पद्धति को कारगर बनाने के संबंध में कोई समझौता नहीं होना चाहिए। रा० शि० नी० के पैरा 7.3 में दी गई योजना को अमल में लाने के लिए कार्य योजना के निर्माण और कार्यान्वयन का हम जोरदार समर्थन करते हैं।

अध्याय 19

शिक्षा के लिए संसाधन

19.1 रा०शि०नी०पु०स० ने अनेक रिपोर्टों और दस्तावेजों का गहन अध्ययन किया और शिक्षा के लिए संसाधनों में वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण सिफारिशें कीं।

19.2 संक्षेप में सिफारिशें निम्नलिखित हैं -

- (I) शिक्षा में सार्वजनिक निवेश सकल राष्ट्रीय उत्पादन का 6 प्रतिशत होना चाहिए।
- (II) छात्र ऋणों के माध्यम से विद्यार्थियों को उपयुक्त सहायता देकर सभी तकनीकी और प्रबंधकीय शिक्षा को स्व-वित्तपोषित बनाया जाए।
- (III) उच्च शिक्षा संस्थानों द्वारा शिक्षा शुल्क और विशेष शुल्कों जैसे प्रयोगशाला शुल्क, पुस्तकालय शुल्क आदि में वृद्धि।
- (IV) विश्वविद्यालयों में अनुसंधान को बढ़ाने और शैक्षिक आधारभूत संरचना जैसे, भवनों, होस्टलों और स्टाफ क्वार्टरों के निर्माण के लिए संस्थागत वित्त का इस्तेमाल करना।
- (V) केन्द्र सरकार द्वारा दी जाने वाली छात्रवृत्तियों के लिए निधि में बढ़ोतरी।
- (VI) सामुदायिक योगदान को क्रियाशील बनाना।
- (VII) परामर्श तथा अन्य सेवाओं के माध्यम से अपनी आय बढ़ाने के लिए उच्च और तकनीकी तथा प्रबंधकीय संस्थानों द्वारा किए जाने वाले प्रयास।

19.3 ये सिफारिशें मौजूदा शिक्षा नीति के ढांचे के अन्तर्गत हैं, फिर भी अधिक से अधिक छात्र ऋण और शिक्षा के लिए विकास संबंधी वित्त प्रदान करने के लिए ऋण नीति में संशोधन करने की जरूरत है।

19.4 कई समितियों और आयोगों द्वारा पहले ही उठाए गए मुद्दे जो वास्तव में स्वयंसिद्ध हैं, को हम बार बार दुहराते हैं कि बिना पर्याप्त संसाधनों के शैक्षिक पुनर्गठन की बात केवल नारा बनकर रह जाएगी। कोठारी आयोग ने पहले ही इस विचार को व्यक्त कर दिया था कि शिक्षा पर सार्वजनिक खर्च सकल राष्ट्रीय उत्पादन का 6 प्रतिशत होना

चाहिए। इस विचार को बार बार दुहराया गया है और अब यह एक तरह से राष्ट्रीय संकल्प बन चुका है। रा०शि०नी० में यह घोषणा की गई थी कि आठवीं योजना से शिक्षा पर परिव्यय एकरूपता के साथ राष्ट्रीय आय का 6 प्रतिशत बढ़ाया जाएगा (पैरा 11.4) रा०शि०नी०पु०स० ने इसी घोषणा को दुहराया था। यद्यपि सभी पंचवर्षीय योजनाओं में शिक्षा पर राष्ट्रीय विकास और अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण समझते हुए बल दिया गया था, वास्तव में संसाधनों के आवंटन के मामले में शिक्षा को अवशिष्ट क्षेत्र के रूप में समझा गया है। हम इस तथ्य को स्वीकारते हैं और समझते हैं कि इस प्रथा को बदला जाना चाहिए और शीघ्र ही रा०शि०नी० के प्रावधान (पैरा 11.4) को कार्यान्वित किया जाना चाहिए। प्राथमिकता वाले क्षेत्रों जैसे प्रारंभिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने, प्रौढ़ साक्षरता और व्यावसायीकरण के लिए जरूरत के आधार पर वित्त प्रदान करने की जरूरत है।

19.5 हम इस तथ्य से अवगत हैं कि बढ़ती मांगों और संसाधनों के दबाव के कारण शिक्षा के लिए पर्याप्त संसाधन कभी भी पर्याप्त नहीं हो सकते और शिक्षा के लिए उच्च बजट आवंटन को निम्नलिखित अन्य उपायों द्वारा पूरा किया जाना चाहिए :-

- (i) सरकारी संसाधनों के आवंटन के मामले में शिक्षा के क्षेत्र के अन्तर्गत प्राथमिकता तय करना।
- (ii) छात्र ऋणों के माध्यम से जरूरतमंद विद्यार्थियों को उपयुक्त सहायता देकर शुल्क लेने की पद्धति को संशोधित कर उच्च शिक्षा और तकनीकी तथा प्रबंधकीय शिक्षा को उत्तरोत्तर व्यापक रूप से स्ववित्त पोषित बनाना।
- (iii) शैक्षिक आधारभूत ढांचे के विकास के लिए संस्थागत वित्त।
- (iv) परामर्श और अन्य अध्ययनों के माध्यम से आय बढ़ाने के लिए शैक्षिक संस्थानों को सुविधाएं।
- (v) शिक्षा को वित्तीय मदद देने के लिए समुदाय और सहकारी क्षेत्रों को प्रोत्साहन। संपूर्ण साक्षरता अभियान में हजारों अवैतनिक स्वैच्छिक कार्यकर्ताओं द्वारा दिया गया समय और किया गया प्रयास बिना किसी अवसर लागत के

सामाजिक पूंजी बढ़ाने की सम्भाव्यता का ठोस प्रदर्शन है ।
(vi) खर्च की उपयोगिता और उसका प्रभाव जिसका अर्थ यह है कि कार्यक्रमों को न केवल वित्तीय खर्च या अधिक से अधिक भौगोलिक क्षेत्र या लाभग्राहियों को शामिल करने के संदर्भ में बल्कि परिणामों के दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए ।

19.6 उक्त ढांचा केवल एन०पीई०/पी०ओ०ए० के प्रावधानों और रा०शि०नी०फु०स० की सिफारिशों की पुनरावृत्ति है परन्तु कम प्रासंगिक नहीं है । हम केन्द्र और राज्य सरकारों, वित्तीय संस्थानों और शैक्षिक संस्थानों से इस ढांचे को लागू करने के लिए विशेष कार्ययोजनाएं शुरू करने की सिफारिश करना चाहेंगे ।

सिफारिशों का सारांश

1. सहभागी शिक्षा आदेश की अवधारणा शैक्षिक संस्थाओं को शामिल करने तक ही सीमित नहीं रहनी चाहिए और समूचे समाज को इसमें शामिल किया जाना चाहिए। (पैरा 2.2)

2. जबकि नीति के थोड़े से भाग को नए सिरे से तैयार करने की जरूरत है। कार्रवाई योजना में पर्याप्त संशोधन किया जाना चाहिए। (पैरा 2.3)

शिक्षा और महिला समानता

3. जबकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति पुनरीक्षा समिति (रा०शि०नी०पु०स०) में महिला शिक्षा के महत्व को ठीक ही दोहराया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति ढांचा पर्याप्त है और कार्रवाई योजना में संशोधन किया जाना चाहिए ताकि रा०शि०नी० पु०स० (पैरा 3.5) की सिफारिशों पर ध्यान दिया जा सके। (पैरा 3.5)

अनु० जाति, अनु० जनजाति तथा शैक्षिक रूप से पिछड़े अन्य वर्गों के लिए शिक्षा

4. कार्यक्रमों की मानीटरिंग तथा केन्द्र सरकार को रिपोर्ट करने (पैरा 4.4) के लिए इस प्रयोजन के लिए प्रत्येक राज्य में एक मुख्य एजेंसी की पहचान की जानी चाहिए। (पैरा 4.4)

5. अ०जा०, अ०ज०जा० और शैक्षिक रूप से पिछड़े अन्य वर्गों की शिक्षा के लिए एक स्थायी के०शि०स०बो० समिति का गठन किया जाना चाहिए, इन वर्गों से सम्बन्धित शिक्षाविदों को इस समिति में प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। (पैरा 4.4)

6. जबकि शिक्षा बाल-केंद्रित और अलग-अलग लोगों की आवश्यकतायें पूरी करने वाली होनी चाहिए, पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या के मामले में छात्रों से भेदभाव करना उचित नहीं है। (पैरा 4.5)

7. अल्पसंख्यकों द्वारा प्रबंधित शिक्षा संस्थाओं को मान्यता प्रदान करने सम्बंधी दिशा निर्देश के कार्यान्वयन की मानीटरिंग राज्य सरकारों पर छोड़ दी जानी चाहिए क्योंकि वे उचित मानीटरिंग की आवश्यकता के सम्बन्ध में काफी जागरूक हैं और अल्पसंख्यक

आयोग जैसे अनेक संगठन मानीटरिंग के प्रयोजन से पहले ही विद्यमान हैं। (पैरा 4.6)

8. नीति को नए सिरे से तैयार करने की आवश्यकता है, कार्रवाई योजना में संशोधन करते समय सिफारिश सं० 69 और 80 के अलावा अनु० जाति, अनु०ज०जा० तथा शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की शिक्षा से सम्बन्धित रा०शि०नी०पु०स० समिति की सभी सिफारिशों पर विचार किया जाना चाहिए। (पैरा 4.8)

विकलांगों की शिक्षा

9. नीति को नए सिरे से तैयार करने की आवश्यकता नहीं है। विकलांगों की शिक्षा से सम्बन्धित रा०शि०नी०पु०स० की सिफारिशें संशोधित कार्रवाई योजना में शामिल की जानी चाहिए। (पैरा 5.3)

सामान्य स्कूल प्रणाली

10. सामान्य स्कूल प्रणाली के सम्बन्ध में राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 68 और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रावधान के कार्यान्वयन के लिए प्रभावी कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। इसके अंत में साधारण स्कूलों की कोटि में सुधार करके तथा न्यूनतम शिक्षण स्तर की सुविधायें प्रदान करके यथाशीघ्र स्कूलों के बीच असमानता दूर की जानी चाहिए। केन्द्र और राज्य दोनों को इस सम्बन्ध में दृढ़ प्रयास करने चाहिए। सुविधा प्राप्त स्कूलों को अन्य संस्थाओं के साथ अपनी सुविधाओं और संसाधनों का वितरण करके, सामुदायिक गतिविधियां प्रारंभ करके और सुविधावंचित लोगों के बच्चों को दाखिल करके अपना सामाजिक दायित्व स्वीकार करना चाहिए। (पैरा 6.6)

नवोदय विद्यालय

11. स्कीम जारी रहनी चाहिए और मूल परिकल्पना के अनुसार प्रत्येक जिले में एक नवोदय विद्यालय स्थापित किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त निम्नलिखित उपाय सुझाये गए हैं -

(i) स्कीम को यथा संभव कम खर्चीली बनाए रखने के लिए सतत समीक्षा,

(ii) प्रवेश प्रक्रिया के आवधिक मूल्यांकन और उचित संशोधन

से प्रवेश परीक्षाओं की वैधता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करना, और

(iii) इन संस्थाओं की अनुकरणीय भूमिका पर और अधिक ध्यान। (पैरा 7.5)

12. सभी जिलों में उचित सुविधाओं और निवेश सहित नवोदय विद्यालय स्थापित हो जाने के बाद स्कीम की भावी नीति पर विचार करना भी आवश्यक है। नई संस्थाओं की स्थापना और विद्यमान संस्थाओं में सुविधाएं बढ़ाने के बीच चुनाव करना है। नवोदय विद्यालयों से निकलने वाले छात्रों की उच्च शिक्षा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए योजना भी प्रारंभ करना है। आवासीय स्कूलों को केन्द्रिय सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एक स्कीम तैयार करने की जरूरत है। इस स्कीम में अनुजन तथा अनु जाति के क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। (पैरा 7.9)।

प्रारंभिक बाल अनुरक्षण और शिक्षा

13. संविधान के अनुच्छेद 45 के क्षेत्र में विस्तार किया जाना चाहिए (पैरा 8.3)

14. प्रारंभिक बाल अनुरक्षण और शिक्षा से सम्बन्धित समेकित बाल विकास स्कीम और अन्य केन्द्र प्रायोजित स्कीम, केन्द्र प्रायोजित योजना के रूप में, आठवीं योजना के रूप में जारी रहनी चाहिए। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को व्यापक भूमिका निभानी चाहिए और इन्हें महिलाओं और बच्चों के लिए चलाए जाने वाली सहायता सेवाओं तथा अनेक गतिविधियों जैसे बाल अनुरक्षण परिवार कल्याण पोषण और स्वास्थ्य जैसी गतिविधियों का मुख्य बिन्दु होना चाहिए। आंगनवाड़ी के कार्यकर्ताओं की भर्ती और प्रशिक्षण का कार्य इस प्रकार से किया जाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे व्यापक भूमिका को निभाने के लिए आवश्यक कुशलता और प्रेरणा रखते हों। (पैरा 8.8)

15. एनपीईआरसी की अन्य सिफारिशों में जो मुख्य रूप से कार्यान्वयन प्रेरणा से संबंधित हैं, पीएओ की संवीक्षा के अनुसार किया जाना चाहिए। (पैरा 8.8)

प्रारंभिक शिक्षा का सर्वसुलभीकरण

16. एनपीईआरसी के परामर्श के अनुसार संवैधानिक संशोधन किया जाना आवश्यक नहीं है चूंकि एक राष्ट्र के संकल्प का स्पष्टीकरण प्रारंभिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण को प्राप्त करना है। केन्द्रीय और राज्य सरकारों को प्रौढ़ साक्षरता और प्राथमिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण को प्राथमिकता देनी चाहिए। इन दोनों क्षेत्रों में ऐसे कार्यक्रम तैयार करें जिनमें कि वित्तीय, प्रशासनिक और राजनैतिक सभी सहायता प्रदान की जा सके। इस सहायता में उचित

अनुपात के साथ प्राथमिकता भी हो। (पैरा 9.2)

17. सुलभता और अनुक्रमांक से संबंधित नीति को और परिष्कृत किया जाना अपेक्षित नहीं है। एनपीईआरसी द्वारा रेखांकित किए गए सामरिक के महत्वपूर्ण संघटकों जैसे सामुदायिक लाभबंदी, स्कूल मैपिंग और माइक्रो प्लानिंग जैसे संघटकों को बड़े पैमाने पर विस्तार करने की आवश्यकता नहीं है। (पैरा 9.5)

18. एमएलएल महत्वपूर्ण क्षेत्र होना चाहिए।

19. एनपीईआरसी का अनौपचारिक शिक्षा की सिफारिश करना एनपीईआरसी की तुलना में अधिक व्यावहारिक और वास्तविक होगा।

20. अनौपचारिक शिक्षा की प्रबन्ध व्यवस्था और अध्ययन वातावरण में सामंजस्यता के लिए तुरन्त और प्रभावी रूप से कार्यवाही की जानी अपेक्षित है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अनौपचारिक शिक्षा की गुणवत्ता सभी दृष्टिकोणों से औपचारिक व्यवस्था के समान हो सके। केन्द्र और राज्यों को अनौपचारिक कार्यक्रमों का ध्यान से लगातार अनुरक्षण करना चाहिए ताकि कार्यक्रमों को प्रभावी बनाया जा सके। (पैरा 9.13)

21. शिक्षा के सर्वसुलभीकरण के लिए प्राथमिकता के रूप में "आप्रेसन ब्लैक बोर्ड" का आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विस्तृत और विस्तारित स्वरूप में प्रयोग किया जाना जारी रहना चाहिए। (पैरा 9.15)

22. शैक्षिक समष्टि के आप्रेसनल मॉडल का विस्तार परीक्षण और परख किए जाने तक यह संभव नहीं है कि शैक्षणिक समष्टि के साथ आप्रेसनल स्कीम को जोड़ा जा सके और ना ही यह संभव है कि यूईई शैक्षणिक समष्टि की योजना और अनुरक्षण का कार्य सौंपा जा सके जैसा कि एनपीईआरसी द्वारा सिफारिश सं० 169, 171, 173 और 175 में परामर्श दिया गया है। (पैरा 9.15)

23. एनपीईके पैरा 5.12 में दिए गए लक्ष्यों को संशोधित किए जाने की आवश्यकता है। प्रत्येक कोशिश में यह सुनिश्चित किया जाए कि इक्कीसवीं शताब्दी में प्रवेश करने से पूर्व संवैधानिक आवश्यकता के अनुसार 14 वर्ष तक की आयु तक निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना एक वास्तविकता बन जाए। (पैरा 2.6 और 9.17)

24. यूईईके क्षेत्र में आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्नलिखित तथ्यों को प्राथमिकता देने की आवश्यकता है :-

(i) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित लड़कियों और व्यक्तियों सहित सभी बच्चों का समान रूप से नामांकन।

- (iii) सभी बच्चों को एक किलोमीटर तक की दूरी में प्राइमरी स्कूल का प्रावधान करना और बीच में ही स्कूल छोड़ देने वाले बच्चों, ऐसी बालिकाओं और बच्चों के लिए अनौपचारिक शिक्षा की सुविधा प्रदान करना जो बच्चे स्कूल न जा सकते हों।
- (iii) प्राइमरी स्कूल के अनुपात को बढ़ाकर अपर प्राइमरी स्कूल में करने के वर्तमान अनुपात 1:4 से बढ़ाकर 1:2 करना। अपर प्राथमिक स्तर पर लड़कियों की सहभागिता बढ़ाने के लिए यह एक पूर्व शर्त होगी,
- (iv) कक्षा I से V और I से VIII के बीच पढ़ाई छोड़ देने वालों की वर्तमान दर 45 और 60 प्रतिशत में कमी करके क्रमशः 20 प्रतिशत और 40 प्रतिशत तक लाना,
- (v) आपरेशन ब्लैकबोर्ड का विस्तार करके स्कूल सुविधाओं में सुधार जिसे अपर प्राथमिक स्तर तक उपलब्ध कराया जाए,
- (vi) प्राथमिक स्तर के लगभग सभी बच्चों द्वारा शिक्षा का न्यूनतम स्तर प्राप्त करना और अपर प्राथमिक स्तर पर इस अवधारणा को व्यापक स्तर पर शुरूआत करना,
- (vii) प्राथमिक शिक्षा के कार्यकलापों में सहयोग देने और इसकी देख-रेख के लिए स्थानीय समितियां जिनमें महिलाओं और अध्यापकों का उचित प्रतिनिधित्व हो।
- (viii) प्रारंभिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के लिए मानिट्रिंग प्रणाली में सुधार ताकि उपरोक्त लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित की जा सके।

राष्ट्रिय और कार्यवाही योजना में तदनुसार संशोधन किया जा सकता है (पैरा 9.18)।

प्रौढ़ और सतत शिक्षा

- 25. सार्वभौमिक प्रारंभिक शिक्षा और प्रौढ़ साक्षरता को साथ-साथ प्रोन्नत करने के "दुहरे दृष्टिकोण" को जारी रखकर इनसे शैक्षिक आयोजना को सूचना प्रदान करना जारी रखा जाना चाहिए, महिलाओं और अनु जाति, अनु जनजाति जैसे सुविधांचित वर्गों की आवश्यकताओं पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। (पैरा 10.1)
- 26. वैकल्पिक माडल के रूप में राष्ट्रिय पुंस की महिला समाख्या की अवधारणा तर्कसंगत नहीं है। (पैरा 10.4)
- 27. राष्ट्रिय पुंस ने दिसम्बर, 1990 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। इसके बाद की घटनाओं से स्पष्ट है कि राष्ट्रिय पुंस में "एनर्जिकुलम एक्सपेरिमेंट" के महत्व की उपेक्षा की गई है। सम्पूर्ण साक्षरता अभियान एक सशक्त और सजीव मॉडल है जो आठवीं पंचवर्षीय योजना में साक्षरता क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त करने

में सहायक होगा। (पैरा 10.6)

28. प्राथमिक शिक्षा प्रणाली (अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रमों की स्कूल प्रणाली के माध्यम) से पास होने वाले नव-साक्षरों और युवाओं के लिए उत्तर साक्षरता और सतत शिक्षा कार्यक्रम बनाये जाने चाहिए और ये कार्यक्रम साक्षरता अभियानों के साथ-साथ बनाये जाने चाहिए और बड़ी संख्या में लोगों द्वारा साक्षरता पाठ्यक्रमों के पूरा करते ही इन्हें लागू कर देना चाहिए। (पैरा 10.9)

माध्यमिक शिक्षा

- 29. नीति को नए सिरे से तैयार किया जाना चाहिए ताकि माध्यमिक शिक्षा के लिए अपेक्षित पहल किए जा सकें (पैरा 2.7)
 - 30. माध्यमिक शिक्षा की नई मांगों को पूरा करने के लिए देश भर में माध्यमिक शिक्षा सुविधाओं का नियोजित ढंग से विस्तार करना आवश्यक होगा। (पैरा 11.3)
 - 31. सभी राज्यों में माध्यमिक शिक्षा के प्रबन्ध ढांचे में एकरूपता लाने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए। (पैरा 11.4)
 - 32. माध्यमिक शिक्षा बोर्डों को पुनर्गठित करना और उन्हें स्वयत्तता देना आवश्यक है ताकि माध्यमिक शिक्षा को शैक्षिक निवेश प्रदान करने की उनकी योग्यता में वृद्धि की जा सके। (पैरा 11.5)
 - 33. राष्ट्रिय के पैरा 10.7 में निहित निर्देशों के कार्यान्वयन तथा हेडमास्टर्स को प्रशासनिक शैक्षिक और वित्तीय अधिकार प्रदान करने के लिए केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा समयबद्ध कदम उठाए जाने चाहिए। (पैरा 17.15)
 - 34. माध्यमिक शिक्षा में शिक्षक प्रशिक्षण पर भी प्राथमिक शिक्षा के समान ही महत्व दिया जाना चाहिए। (पैरा 11.8)
 - 35. पहले से चल रही क्लास परियोजना का विस्तार किया जाना चाहिए। (पैरा 11.9)
 - 36. मुक्त शिक्षण को अधिकतम प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए और राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय को मुक्त विद्यालय प्रणाली में वही प्रमुख भूमिका निभानी चाहिए जो मुक्त विश्वविद्यालयों के मामले में इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय निभा रहा है (पैरा 11.11)
- ### शिक्षा का व्यावसायीकरण
- 37. + 2 स्तर पर विद्यमान व्यावसायिक धारा को उचित रूप से सुदृढ़ बनाया जाना चाहिए और जहां कहीं संभव हो, व्यावसायिक पाठ्यक्रम कक्षा IX स्तर पर भी प्रारंभ किए जा सकते हैं (पैरा 12.12)।
 - 38. राष्ट्रिय पुंस द्वारा लाया गया अभ्यन्तर व्यावसायिक पाठ्यक्रम का विचार आकर्षक है। जातिगत व्यावसायिक पाठ्यक्रम चयनात्मक आधार पर आरम्भ किया जाए, जातिगत व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का

आरम्भ में दस प्रतिशत विद्यालयों में परीक्षण किया जाए। (पैरा 2.5 और 12.12)

39. कार्य अनुभव कार्यक्रम को, इन कार्यकलापों के लिए स्कूल समय का 12.5 प्रतिशत से 20 प्रतिशत समय देकर, सुव्यवस्थित ढंग से कार्यान्वित किया जाए, इस कार्यक्रम के अंतर्गत इन कार्यकलापों का विभिन्न विषयों के संबंध में व्यावहारिक अनुस्थापन होना चाहिए। व्यावसायिक "कोर" को माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्तर पर स्थान मिलेगा, कार्य अनुभव/एस०यू०पी०डब्ल्यू० प्रारम्भिक शिक्षा से सम्बद्ध होगा। (पैरा 12.12)

40. व्यावसायिक शिक्षा की योजनाओं के कार्यान्वयन के संबंध में रा०शि०नी०पु०स० की अन्य सिफारिशों का पी०ए०ओ० को संशोधित करते समय ध्यान रखा जाए। (पैरा 12.12)

41. योजना के कार्यान्वयन और आयोजना के संबंध में कड़ाई से काम किया जाना चाहिए (पैरा 12.12)

उच्च शिक्षा

42. नोन-स्टैंडर्ड और घटिया दर्जे के विश्वविद्यालय तथा कालेज (खोलने) को विनियमित करने के लिए राष्ट्रीय स्तर का सांविधिक तंत्र स्थापित करना उपयुक्त नहीं है। बिना उपयुक्त सुविधाओं के कालेजों की काफी बढ़ती हुई संख्या को काफी हद तक रोका जा सकता है बशर्ते कि विश्वविद्यालय कड़े नियंत्रण लगाएं और सम्बद्धता की स्वीकृति प्रदान करने से पहले आवश्यक अवस्थापना के निमार्ग तथा शैक्षिक सुविधाओं पर जोर दें तथा राज्य सरकारें विश्वविद्यालयों के निर्णय का पालन करें। राज्य उच्च शिक्षा परिषदों की स्थापना और इसकी गतिविधि से उच्च शिक्षा का सुनियोजित विकास होगा। (पैरा 13.3)

43. शिक्षकों और छात्रों को साक्षरता जैसे कार्य के विस्तार में शामिल करने को सुनिश्चित करने के प्रयास किए जाने चाहिए। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी छात्र किसी न किसी योजना में भाग लेंगे, विशेषकर राष्ट्रीय सेवा योजना (रा०से०यो०) और राष्ट्रीय केडेट कांसर्स (रा०के०को०) को, उपयुक्त सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए। राष्ट्रीय सेवा और विकास में भाग लेने के लिए स्कूल के बाहर के युवकों को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष योजनाएं तैयार की जानी चाहिए। +2 स्तर पूरा करने वाले छात्रों के लिए दो वर्षीय योगिक कार्यक्रम की संभाव्यता और वित्तीय कठिनाइयां, जिसमें छतरी-सैनिक सेवा, व्यावसायिक और परम्परागत कौशल का विकास और ग्रामीण क्षेत्रों में विस्तार कार्य शामिल हैं। इस कार्यक्रम की मुख्य विशेषता यह होगी कि छात्रों के लिए अपने राज्य से बाहर इन कार्यक्रमों में भाग लेना आवश्यक होगा ताकि राष्ट्रीय एकता को

बढ़ावा दिया जा सके। (पैरा 13.4)

44. एन०टी०एस० की परीक्षाएं आयोजित करने का कार्य शुरू करना चाहिए ताकि यह अपेक्षित विशेषज्ञता प्राप्त कर सके और सक्षम संसाधन केंद्र के रूप में विकसित हो सके। (पैरा 13.5)

45. गांधीवादी विचारधारा पर ग्रामीण शिक्षा को अत्यावश्यक प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए केंद्रीय ग्रामीण संस्थान परिषद की आवश्यकता है, इसकी तत्काल स्थापना की जानी चाहिए। (पैरा 13.6)

46. रा०शि०नी०पु०स० (सि०सं० 219) की एन०सी०एच०ई० के संबंध में सिफारिश युक्तिसंगत है और रा०शि०नी० के पैरा 5.34 को पुनः तैयार किया जाना चाहिए। (पैरा 2.5 और 13.10)

47. वि०अ०आ० के पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त करने की आवश्यकता नहीं है। (पैरा 13.10)

48. वि०अ०आ० के क्षेत्रीय कार्यालय उपयुक्त प्राधिकारी और कार्यों के साथ यथाशीघ्र स्थापित किए जाएं। (पैरा 13.11)

49. चूंकि अधिकांश विश्वविद्यालय सम्बद्ध करने वाले विश्वविद्यालय हैं इसलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति की पुनरीक्षण समिति की सिफारिश संख्या 201 तभी कार्यान्वित की जा सकती है जबकि अधिकांश विद्यालय स्वायत्त हो जायें अथवा जबकि अंतिम परीक्षा के स्थान पर धीरे-धीरे आंतरिक मूल्यांकन पद्धति लागू कर दी जाये अथवा जबकि सभी स्नातक पूर्व पाठ्यक्रमों के लिए एक समान परीक्षाएं आयोजित करने के उद्देश्य से राज्य स्तर का एक स्वतंत्र परीक्षण निकाय स्थापित कर दिया जाये। (पैरा 13.12)

50. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उपलब्ध संस्थानों के भीतर रहते हुए चुनिन्दा कालेजों में शोध सुविधाएं बढ़ाने पर विचार कर सकता है। (पैरा 13.13)

51. पाठ्यचर्या विकास केंद्रों की योजना जारी रखी जानी चाहिए। तथापि किसी भी प्रकार की आशंका को दूर करने के उद्देश्य से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विश्वविद्यालयों से आदर्श पाठ्यचर्या अपनाने के लिए पूरी स्वतंत्रता का आग्रह कर सकता है। पाठ्यचर्या विकास के लिए विश्वविद्यालयों के विशेष अनुरोध पर ही विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को विचार करना चाहिए। (पैरा 13.15)

52. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग शैक्षिक स्टाफ कोलेजों की योजना के कार्यान्वयन पर कड़ी निगरानी रख सकता है। (पैरा 13.16)

तकनीकी तथा प्रबन्ध शिक्षा

53. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों और क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेजों के स्नातकों के स्थानांतरण को किसी कानून द्वारा विनियमित किया

जाना वांछनीय नहीं है। यह सुनिश्चित करने के लिए पूरा प्रयास किया जाना चाहिए कि देश में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए वातावरण इतना आकर्षक हो कि प्रतिभाशाली व्यक्ति उसके प्रति आकृष्ट हो सकें। (पैरा 14.2)

54. 8वीं योजना (1992-97) के तीसरे वर्ष अर्थात् 1994-95 में महत्वपूर्ण क्षेत्रों की योजनाएं (थर्ड एरिया स्कीम्स) का विस्तृत मूल्यांकन किया जाना चाहिए। (पैरा 14.3)

55. भारत सरकार के शिक्षा विभाग को सामुदायिक पॉलिटैक्निक संबंधी कालबाग समिति की रिपोर्ट पर शीघ्र निर्णय लेना चाहिए। (पैरा 14.4)

56. भारत सरकार के शिक्षा विभाग को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान पुनरीक्षा समिति की रिपोर्ट पर शीघ्र निर्णय लेना चाहिए। (पैरा 14.5)

57. अखिल-भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद अधिनियम का संशोधन किया जाना चाहिए और राष्ट्रीय शिक्षा नीति का पैरा 6.19 पुनः तैयार किया जाना चाहिए। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की क्षेत्रीय समितियों में समुचित स्टाफ की व्यवस्था की जानी चाहिए। और क्षेत्रीय समिति को यह अधिकार होना चाहिए कि वह अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित मार्गदर्शी सिद्धान्तों के ढांचे के भीतर नये संस्थान खोलने, नये पाठ्यक्रम शुरू करने और दाखिलों की संख्या में वृद्धि करने के संबंध में सिफारिशें कर सकें। राज्य सरकारों और विश्वविद्यालयों को केवल क्षेत्रीय समिति की सिफारिशों के आधार पर ही अपेक्षित संस्वीकृतियां जारी करनी चाहिए। (पैरा 14.6)

58. कार्रवाई योजना का संशोधन करते समय गुणवत्ता और स्तर, आधारभूत सुविधाओं के उन्नयन, उद्योग-संस्थान संबंधों, प्रौद्योगिकी निरीक्षण आदि जनशक्ति आयोजना, अनुसंधान और विकास की प्रोन्नति वंचित वर्ग के लिए विशेष कार्यक्रम, उद्यमकर्ता विकास और सतत शिक्षा तथा बच्चों को स्कूल में बनाए रखने संबंधी कार्यक्रमों के बारे में राष्ट्रीय शिक्षा नीति की पुनरीक्षण समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर समुचित विचार करना चाहिए। (पैरा 14.7)

शिक्षा में भाषायें

59. इस संबंध में राष्ट्रीय शिक्षा नीति की पुनरीक्षण समिति की सिफारिश संख्या 239 और 246 को छोड़कर शेष सभी सिफारिशें उपयोगी हैं और कार्रवाई योजना में संशोधन करते समय उन्हें ध्यान में रखा जाना चाहिए। (पैरा 15.3)

60. केंद्रीय हिन्दी संस्थान, केंद्रीय हिन्दी निदेशालय तथा वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग को एक साथ करना वांछनीय नहीं है। (पैरा 15.4)

61. नये सिरे से भाषाई सर्वेक्षण वांछनीय नहीं है। (पैरा 15.5)

62. शिक्षा की अन्तःवस्तु और प्रक्रिया कार्रवाई योजना का संशोधन करते समय मूल्य शिक्षा के बारे में राष्ट्रीय शिक्षा नीति की परीक्षण समिति द्वारा की गई सिफारिशों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। (पैरा 16.3)

63. शैक्षिक प्रौद्योगिकी के संबंध में राष्ट्रीय शिक्षा नीति की परीक्षण समिति द्वारा की गई सिफारिशों के संबंध में केंद्र और राज्य सरकारों के साथ अनुवर्ती कार्रवाई की जानी चाहिए और कार्रवाई योजना में संशोधन करते समय उसे ध्यान में रखा जाना चाहिए। (पैरा 16.4)

64. स्कूलों में विशेषरूप से माध्यमिक स्तर पर कम्प्यूटर शिक्षा की सुविधाओं में उत्तरोत्तर विस्तार किये जाने की आवश्यकता है। (पैरा 16.5)

65. कार्रवाई योजना में संशोधन करते समय युवकों और खेल-कूदों के बारे में दिये गये सुझावों को ध्यान में रखा जाये। छात्रों के लिए यह जरूरी होना चाहिए कि वह जैसा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के पैरा 8.82 में कहा गया है कि एन०एस०एस०, राष्ट्रीय केडिट कोर जैसे मौजूदा योजनाओं में किसी एक में हिस्सा लें। (पैरा 16.7)

66. परीक्षा निकायों की अलग-अलग पहल और रुचियों के सहारे छोड़ने के बजाय इस क्षेत्र में केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा एक सुदृढ़ और समन्वित प्रयास किया जाना चाहिए। इस संबंध में अन्य बातों के साथ-साथ निम्न उपायों पर विचार किया जा सकता है :-

(i) परीक्षण निकायों द्वारा परीक्षा सुधारों के संबंध में किये गये उपायों के बारे में एक स्थिति विषयक रिपोर्ट तैयार करना।

(ii) एक ऐसा राष्ट्रीय परीक्षा सुधार ढांचा तैयार करना जो कि परीक्षण निकायों के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्तों के रूप में कार्य कर सके और इन निकायों को इस संबंध में नवाचार की स्वतंत्रता को तथा वह अपनी विशिष्ट स्थिति के अनुरूप उक्त ढांचे को अपना सकें।

(iii) एक ऐसा प्रभावी तंत्र विकसित करना चाहिए जो कि विभिन्न परीक्षण निकायों द्वारा परीक्षा संबंधी सुधारों के कार्यान्वयन के समन्वय, अनुवीक्षण और मूल्यांकन का काम कर सके।

(iv) परीक्षा संबंधी सुधारों में नवाचार और उस दिशा में उपायों का प्रलेखन और प्रसार (पैरा 16.11)

67. यद्यपि स्कूल के बस्ते का अत्यधिक भार एक चिन्ता का विषय है तथापि आधुनिकीकरण और प्रासंगिकता की अपेक्षाओं को अनदेखा नहीं किया जा सकता। (पैरा 16.12)

68. राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रावधान और राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ढांचे का

निष्ठापूर्वक पालन किया जाना चाहिए जिससे कि स्कूल के बस्ते के अत्यधिक भार की समस्या कम हो जाएगी। शहरी क्षेत्रों में खर्चीले प्राइवेट स्कूल के अध्यापकों का अनुस्थापन किया जाना चाहिए जिससे कि वे अनावश्यक रूप से पुस्तकों की बड़ी संख्या निर्धारित करने की आदत का त्याग कर दें। (पैरा 16.13)

अध्यापक और छात्र

69. राष्ट्रीय शिक्षा नीति की परीक्षण समिति द्वारा अध्यापकों के लिए लाइसेंस की जिस प्रणाली का सुझाव दिया गया है वह वांछनीय नहीं है। (पैरा 17.2)

70. चयन की पद्धति चाहे वह अध्यापकों के लिए हो या अध्यापक प्रशिक्षार्थियों के लिए हो अधिक वस्तुनिष्ठ होनी चाहिए और अनावश्यक प्रलोभनों से मुक्त होनी चाहिए जिससे कि चुनाव की प्रक्रिया विश्वसनीय बन सके। (पैरा 17.3)

71. अध्यापक-शिक्षा की अन्तःवस्तु और प्रक्रिया के संबंध में राष्ट्रीय शिक्षा नीति की परीक्षण समिति द्वारा दिये गये सुझाव राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद्, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् और राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् के विचारार्थ उस समय भेजे जाते हैं जब कभी पाठ्यचर्या की पुनरीक्षा की जाती है या उसका नवीनीकरण किया जाता है। (पैरा 17.4)

72. अध्यापक शिक्षा में पहली डिग्री पताचार पाठ्यक्रमों के माध्यम से नहीं दी जानी चाहिए। (पैरा 17.5)

73. जैसा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति / कार्यवाही योजना में कहा गया है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् के लिए अपेक्षित संसाधन और क्षमता तत्काल जुटाई जानी चाहिए। (पैरा 17.5)

74. राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद् जैसे विशेषज्ञ निकायों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति की परीक्षण समिति द्वारा अध्यापक-प्रशिक्षण तत्स्थानी पद्धति का अध्ययन करना चाहिए और राज्य शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् तथा अध्यापक शिक्षा संस्थानों का मार्गदर्शन करना चाहिए। (पैरा 17.6)

75. जहां तक बी० एड० पाठ्यक्रमों की पाठ्यचर्या के बारे में राष्ट्रीय शिक्षा नीति की परीक्षण समिति की सिफारिशों का संबंध है, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद् राज्यों / संघशासित क्षेत्रों के परामर्श से आवश्यक कार्यवाही कर सकता है। (पैरा 17.6)

76. शिक्षक-प्रशिक्षकों के लिए विशेष कार्यक्रम तैयार करते समय राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् को शिक्षक-शिक्षा के संबंध में राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो विशेष गुणों का उल्लेख किया गया है उन्हें ध्यान में रखना चाहिए (पैरा 17.8)

77. प्राथमिक अध्यापकों के सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रमों के प्रशिक्षण तथा प्रबन्ध की जिम्मेदारी केवल जिला शिक्षा तथा प्रशिक्षण संस्थानों की होनी चाहिए। (पैरा 17.9)

78. राज्य सरकारों को शिक्षक-प्रशिक्षण संस्थानों के सभी पदों पर भर्ती और उनके लिए भर्ती नियम बनाने की ओर तत्काल ध्यान देना चाहिए। (पैरा 17.10)

79. जिन शिक्षक-प्रशिक्षण संस्थानों के लिए भारत सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की गई थी उन्हें संचालित करने की दिशा में तत्काल कार्यवाही की जानी चाहिए। जिन राज्यों में वास्तविक घटकों और निधियों के उपयोग की स्थिति अंसतोष जनक है उन्हें और आगे वित्तीय सहायता न दिये जाने का सुझाव भी पूर्णतः स्वीकार्य है। (पैरा 17.11)

80. प्रत्येक जिला शिक्षा तथा प्रशिक्षण संस्थान में पर्याप्त कार्यात्मक लचीलापन होना चाहिए और उसकी एक अलग पहचान होनी चाहिए (पैरा 17.12)

81. छात्रों के संबंध में राष्ट्रीय शिक्षा नीति की परीक्षण समिति ने जो सिफारिशें की हैं उनके बारे में राज्य सरकारों और विश्वविद्यालयों को विशिष्ट परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए समुचित कार्यवाही करनी चाहिए। (पैरा 17.15)

शिक्षा का प्रबन्ध

82. शिक्षा समष्टि (एज्यूकेशन कम्प्लेक्स) की अवधारणा को चुनिन्दा क्षेत्रों में प्रायोगिक आधार पर अपनाया जा सकता है। (पैरा 18.2)

83. जिला शिक्षा बोर्ड स्थापित किये जाने और उन्हें शीघ्रता के साथ संचालित किया जाना चाहिए। (पैरा 18.3)

84. भारतीय शिक्षा सेवा (आई ई एस) के अवधारणा के संबंध में राज्यों से परामर्श करने और राज्यों के विचारों तथा चिन्ताओं की ओर पूरा ध्यान देते हुए इस अवधारणा को ठोस आकार देने की दिशा में तत्काल कार्यवाही की जानी जरूरी है। (पैरा 18.4)

85. केन्द्र प्रायोजित योजना के संबंध में राष्ट्रीय विकास परिषद् की 23-24 दिसम्बर, 1991 को हुई 43वीं बैठक में लिये गये निर्णयों पर बल दिया जाता है। शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए अल्पसंख्यकों के विकास जैसे प्राथमिकता के जो कुछेक क्षेत्र अभी तक शामिल नहीं किये गये हैं उनके बारे में राज्यों के साथ विधिवत् परामर्श करने के बाद नई केन्द्र प्रायोजित योजनाएं शुरू करने की भी सिफारिश की जाती है। (पैरा 18.7)

86. विशेषज्ञता प्राप्त राज्यस्तरीय शैक्षिक (ट्रिब्यूनलों) न्यायाधिकरणों, की स्थापना वांछनीय है। ऐसे न्यायाधिकरणों की स्थापना संबंधी

ब्यौरे राज्य सरकारों के परामर्श से तैयार किये जा सकते हैं। (पैरा 18.8)

87. “पद्धति को क्रियाशील बनाना” एक ऐसी अवधारणा समझी जानी चाहिए जिसके बारे में समझौता नहीं किया जा सकता। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के पैरा 7.3 में उल्लिखित कार्यनीति को व्यवहार में लाने की कार्ययोजना तैयार करने और उसे क्रियान्वित करने की पुरजोर सिफारिश की जाती है (पैरा 18.10)

शिक्षा के लिए संसाधन

88. संसाधनों के आबंटनों के मामले में शिक्षा को एक अवशिष्ट क्षेत्र समझने की परिपाटी को लौटाया जाये और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के पैरा 11.4 को तत्काल लागू किया जाये। प्राथमिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण, प्रौढ़ साक्षरता तथा व्यावसायीकरण जैसे प्राथमिकता के क्षेत्रों के लिए आवश्यकता पर आधारित वित्त पोषण आवश्यक है। (पैरा 19.4)

89. शिक्षा के लिए अधिक बजट आवंटन के साथ अन्य उपाय भी किये जाने चाहिए जैसे कि -

- (i) सरकारी संसाधनों के आबंटन के मामले में शिक्षा के क्षेत्र के भीतर प्राथमिकता निर्धारण
- (ii) जरूरत मंद छात्रों को छात्र-ऋण आदि के माध्यम से समुचित सहायता देकर और इस प्रकार फीस संरचना में

संशोधन करके उच्च शिक्षा और तकनीकी तथा प्रबन्ध शिक्षा को अधिकांशतः उत्तरोत्तर स्वतः वित्त पोषित बनाना चाहिए।

- (iii) शैक्षिक आधारभूत सुविधाओं के विकास के लिए संस्थागत वित्त व्यवस्था।
- (iv) परामर्शात्मक तथा अन्य अध्ययनों के माध्यम से अपनी आय में वृद्धि करने के लिए शैक्षिक संसाधनों को प्रोत्साहन
- (v) शिक्षा को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए सुझाव और सहकारी क्षेत्रों को प्रोत्साहन देना। पूर्ण साक्षरता अभियानों में बिना वेतन के काम करने वाले हजारों स्वयं सेवकों द्वारा जो समय दिया जाता है और जो प्रयास किये जाते हैं वे इस बात के ठोस प्रमाण है कि सामाजिक सम्पदा का सहयोग प्राप्त किया जा सकता है।
- (vi) खर्च की कार्यक्षमता और प्रभावोत्पादकता जिसका अर्थ यह होगा कि कार्यक्रमों का मूल्यांकन वित्तीय खर्च या जितने भौगोलिक क्षेत्र शामिल किये गये हैं उसके संदर्भ में वहां लाभग्राहियों की संख्या के संदर्भ में ही नहीं बल्कि परिणामों के संदर्भ में भी किया जायेगा। (पैरा 19.5)

परिशिष्ट I

भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के शिक्षा विभाग के दिनांक 31 जुलाई, 1991 के आदेश सं० एफ० 3-1/91 -पी० एन० 1, की प्रतिलिपि

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एन० पी० ई०) और कार्यवाही योजना (पी० ओ० ए०) को कार्यान्वयन के लिए वर्ष 1986 में तैयार किया गया था। एन० पी० ई० और पी० ओ० ए० के कार्यान्वयन के लिए केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा कई कदम उठाए गए हैं। वर्ष 1987-88 की वार्षिक योजना में इस मंत्रालय ने शिक्षा के लिए आबंटन में अच्छी वृद्धि की है। एन० पी० ई० / पी० ओ० ए० के अनुसरण में कई राज्य सरकारों ने अपने कार्यक्रमों के लिए संसाधन आबंटित किए हैं। रा० शि० नी० में प्रत्येक पांच वर्षों में नीति के विभिन्न चरणों के कार्यान्वयन की समीक्षा का प्रावधान है।

2. केन्द्र सरकार ने मई 1990 में रा० शि० नी० की समीक्षा के लिए आचार्य राममूर्ति की अध्यक्षता में एक समिति गठित की थी। समिति ने दिसम्बर, 1990 में अपनी रिपोर्ट सौंप दी। केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने 8-9 मार्च, 1991 को हुई अपनी बैठक में रा० शि० नी० समीक्षा समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के लिए उठाई जाने वाली प्रक्रिया की जांच की और यह निर्णय लिया कि रा० शि० नी० समीक्षा समिति की सिफारिशों पर विचार करने के लिए अध्यक्ष अर्थात् केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री द्वारा एक केब समिति गठित की जाए।

3. इसलिए मानव संसाधन विकास मंत्री ने रा० शि० नी० के विभिन्न चरणों के कार्यान्वयन की समीक्षा करने के लिए नीति बनाए जाने के बाद से ही रा० शि० नी० और अन्य सम्बद्ध विकासों की समीक्षा के तथा रा० शि० नी० में किए जाने वाले संशोधनों से संबंधित सिफारिशों करने के लिए समिति की रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए केब समिति गठित की।

4 समिति में निम्नलिखित शामिल होंगे -

- (1) श्री जनार्दन रेड्डी,
मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री आन्ध्र प्रदेश अध्यक्ष
- (2) श्री विक्रम वर्मा,
शिक्षा मंत्री, मध्य-प्रदेश

- (3) श्री गेगोंग अपांग,
मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री अरुणाचल प्रदेश
- (4) डॉ० राम चन्द्र पूर्वे,
मंत्री (एस० ई० एंड पी० ई०) बिहार
- (5) श्री आर० एम० वीरप्पन,
शिक्षा मंत्री, तमिलनाडु
- (6) श्री एस० एस० चक्रवर्ती,
मंत्री (उच्च शिक्षा) पश्चिम बंगाल
- (7) श्री ई० टी० मोहम्मद बशीर,
शिक्षा मंत्री, केरल
- (8) सदस्य (शिक्षा) योजना आयोग
- (9) अध्यक्ष
विश्व विद्यालय अनुदान आयोग
- (10) डॉ० एम० एस० आदिसेशैय्या
अध्यक्ष
मद्रास विकास अध्ययन संस्थान
79, मेन रोड,
गाँधी नगर, अदयार, मद्रास 600०
- (11) डॉ० राधिका हर्जबर्गर,
निदेशक,
ऋषि वैली स्कूल
पो० ऑ० मदानापल्ली, जिला चित्तूर।
- (12) डॉ० ए० पी० मित्रा
भूतपूर्व महानिदेशक, सी० एस० आई० आर०
30, कैलाश कुंज
ग्रेटर कैलाश-I, नई दिल्ली।
- (13) श्रीमती जगन्नाथन कृष्णाम्मल,
सचिव
लैंड फॉर टिलर्स फ्रीडम (एल० ए० एफ० टी० आई०)
किलवेलुर-61104, तनजौर जिला, तमिलनाडु

(14) डॉ० राम दयाल मुंडा,
प्रोफेसर, क्षेत्रीय भाषा
राँची विश्वविद्यालय,
राँची ।

(15) श्री हबीब तनवीर
निदेशक
नया थियेटर
एल०-15, बेर सराय, नई दिल्ली- 110016

(16) डॉ० आर० वी० वैद्यनाथ अय्यर सदस्य -सचिव
संयुक्त सचिव (आयोजना)


- 5 केन्द्रीय शिक्षा सचिव, एन० सी० ई० आर० टी० के निदेशक और
एन० आई० ई० पी० ए० के निदेशक समिति की बैठकों में स्थायी
अतिथि होंगे ।
- 6 समिति को अपनी पहली बैठक की तिथि के बाद के दो महीने
के अन्दर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी चाहिए ।
- 7 समिति कार्य की अपनी प्रक्रिया और पद्धति निर्धारित करेगी।

परिशिष्ट II

नीति पर केब समिति के सदस्यों के बीच परिचालित दस्तावेजों की सूची

- (I) मूल पाठ्य-पुस्तकें
- (i) राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986
 - (ii) कार्यवाही योजना
 - (iii) राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 की समीक्षा के लिए समिति की रिपोर्ट
 - (iv) राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 की समीक्षा के लिए समिति की रिपोर्ट सिफारिशें
 - (v) राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 कार्यान्वयन रिपोर्ट (अगस्त, 1991)
- (II) डी श्रेणी (एन० पी० ई० आर० सी० रिपोर्ट पर शिक्षा विभाग, जी० ओ० आई० टिप्पणियाँ)
- डी० 1 शिक्षा और महिला समानता
 - डी० 2 अ० जा० / अ० ज० जा० और अन्य शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए शिक्षा
 - डी० 3 विकलांगों के लिए शिक्षा
 - डी० 4 वयस्क और अनवरत शिक्षा
 - डी० 5 शिक्षा में भाषाएँ
 - डी० 6 सामान्य स्कूल पद्धति
 - डी० 7 तकनीकी और प्रबंधन शिक्षा
 - डी० 8 उच्च शिक्षा
 - डी० 9 प्रारम्भिक बाल देखभाल और शिक्षा
 - डी० 10 प्राथमिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाना
 - डी० 11 शिक्षक और विद्यार्थी
 - डी० 12 शिक्षा के विषय और उसकी पद्धति
 - डी० 13 शिक्षा और कार्य अधिकार
 - डी० 14 माध्यमिक शिक्षा
 - डी० 15 विकासीकरण और सहभागी प्रबंधन
 - डी० 16 शिक्षा के लिए संसाधन
 - डी० 17 नवोदय विद्यालय
 - डी० 18 भूमिका, पद्धति और प्रक्रिया तथा दृष्टिकोण
 - डी० 19 भूमिका, लक्ष्य और शिक्षा के मूल्य
 - डी० 20 सबके लिए शिक्षा के लिए विदेशों से वित्तपोषण
- (III) एस० श्रेणी (एन० पी० ई० आर० सी० रिपोर्ट पर राज्य सरकारों केन्द्रशासित प्रदेशों के प्रशासनों की टिप्पणियाँ)
- एस० 1 प्राथमिक शिक्षा, वयस्क शिक्षा और उच्च शिक्षा पर महाराष्ट्र सरकार की टिप्पणियाँ
 - एस० 2 हरियाणा सरकार की टिप्पणियाँ
 - एस० 3 आन्ध्र प्रदेश सरकार की टिप्पणियाँ
 - एस० 4 त्रिपुरा सरकार की टिप्पणियाँ
 - एस० 5 केरल सरकार की टिप्पणियाँ
 - एस० 6 मध्य प्रदेश सरकार की टिप्पणियाँ
 - एस० 7 पंजाब सरकार की टिप्पणियाँ
 - एस० 8 अंडमान और निकोबार प्रशासन की टिप्पणियाँ
 - एस० 9 पश्चिम बंगाल सरकार की टिप्पणियाँ
 - एस० 10 हिमाचल प्रदेश सरकार की टिप्पणियाँ
 - एस० 11 राजस्थान सरकार की टिप्पणियाँ
 - एस० 12 गुजरात सरकार की टिप्पणियाँ
 - एस० 13 मिजोरम सरकार की टिप्पणियाँ
 - एस० 14 लक्षद्वीप सरकार की टिप्पणियाँ
 - एस० 15 गुजरात सरकार की अतिरिक्त टिप्पणियाँ
 - एस० 16 शिक्षा विभाग से संबंधित कोर्ट के मामले से संबंधित सूचना: आन्ध्र प्रदेश
 - एस० 17 शिक्षा विभाग से संबंधित कोर्ट के मामले से संबंधित सूचना : हरियाणा
 - एस० 18 शिक्षा विभाग से संबंधित कोर्ट के मामले से संबंधित सूचना : महाराष्ट्र
 - एस० 19 शिक्षा विभाग से संबंधित कोर्ट के मामले से संबंधित सूचना : पश्चिम बंगाल

- (IV) एम० श्रेणी (एन० पी० ई० आर० सी० रिपोर्ट पर केब के सदस्यों की टिप्पणियाँ)
- एम० 1 डॉ० मेल्कम एस० आदिसेशैय्या की टिप्पणियाँ
- एम० 2 एन० एल० एम० के महानिदेशक श्री एल० मिश्रा के निरीक्षण की टिप्पणियाँ
- एम० 3 सी० बी० एस० ई० के अध्यक्ष डा० एच० एस० एस० सिंघा की टिप्पणियाँ
- एम० 4 श्री ज्योतिभाई देसाई की टिप्पणियाँ
- एम० 5 डॉ० (श्रीमती) ज्योति एच० त्रिवेदी की टिप्पणियाँ
- एम० 6 श्री हरिवल्लभ पारिख का दिनांक 4 सितम्बर, 1991 का पत्र
- एम० 7 डॉ० डी० पी० पट्टनायक की टिप्पणियाँ
- एम० 8 श्री राम लाल पारिख की टिप्पणियाँ
- (V) ओ० एम० डी० श्रेणी (एन० पी० ई० आर० सी० की रिपोर्ट पर जी० ओ० आई० के अन्य मंत्रालयों / विभागों की टिप्पणियाँ
- ओ० एम० डी० 1 स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की टिप्पणियाँ
- ओ० एम० डी० 2 इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग की टिप्पणियाँ
- ओ० एम० डी० 3 विज्ञान और तकनीकी मंत्रालय, विज्ञान और तकनीकी विभाग की टिप्पणियाँ
- ओ० एम० डी० 4 ग्रामीण विकास मंत्रालय की टिप्पणियाँ
- ओ० एम० डी० 5 उद्योग मंत्रालय, लघु उद्योग विभाग की टिप्पणियाँ
- ओ० एम० डी० 6 युवा मामले और खेलकूद विभाग की टिप्पणियाँ
- ओ० एम० डी० 7 महिला और और बाल विकास विभाग की टिप्पणियाँ
- ओ० एम० डी० 8 औद्योगिक विकास विभाग की टिप्पणियाँ
- ओ० एम० डी० 9 वित्त मंत्रालय आर्थिक मामलों के विभाग की टिप्पणियाँ
- ओ० एम० डी० 10 सूचना और प्रसारण मंत्रालय की टिप्पणियाँ
- ओ० एम० डी० 11 वित्त मंत्रालय, आर्थिक मामले के विभाग (बैंकिंग अनुभाग) की टिप्पणियाँ
- (VI) ओ० डी० श्रेणी (अन्य दस्तावेज)
- ओ० डी० 1 प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम : राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एन० सी० ई० आर० टी०) द्वारा तैयार किया गया ढाँचा
- ओ० डी० 2 एन० पी० ई० आर० सी० रिपोर्ट पर एन० सी० ई० आर० टी० की टिप्पणियाँ
- ओ० डी० 3 परीक्षा सुधार पर समिति की रिपोर्ट
- ओ० डी० 4 योजना आयोग के कुछ विभागों की टिप्पणियाँ



परिशिष्ट III

नीति पर केबं समिति का सचिवालय

1. डा० आर० वी० वैद्यनाथ अय्यर
संयुक्त सचिव
शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय
नई दिल्ली।
2. श्री० के० के० खुल्लर
परामर्शदाता, शिक्षा विभाग
मानव संसाधन विकास मंत्रालय
नई दिल्ली
3. श्री टी० सी० जेम्स
अवर सचिव, शिक्षा विभाग
मानव संसाधन विकास मंत्रालय
नई दिल्ली
4. श्री कृष्ण कुमार
कार्यक्रम निर्माता, शिक्षा विभाग
मानव संसाधन विकास मंत्रालय
नई दिल्ली
5. श्री हरि सहाय
सहायक
शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय
नई दिल्ली
6. श्री आर० पी० अरोड़ा
निजी सहायक, शिक्षा विभाग
मानव संसाधन विकास मंत्रालय
नई दिल्ली
7. श्री ए० के० खुराना
आशुलिपिक, शिक्षा विभाग
मानव संसाधन विकास मंत्रालय
नई दिल्ली
8. श्री वी० नागराजन
वर्ड प्रोसेसर ओपरेटर
शिक्षा विभाग
मानव संसाधन विकास मंत्रालय
नई दिल्ली
9. श्री ई० कृष्ण कुमार
वर्ड प्रोसेसर ओपरेटर
शिक्षा विभाग
मानव संसाधन विकास मंत्रालय
नई दिल्ली
10. श्री कैलाश राम
चपरासी, शिक्षा विभाग
मानव संसाधन विकास मंत्रालय
नई दिल्ली
11. श्री एस० एस० बुटोला
चपरासी, शिक्षा विभाग
मानव संसाधन विकास मंत्रालय
नई दिल्ली

NUEPA DC



D14450